शुक्रवार,
२८ नवंबर, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation
13.3.42

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

शुक्रवार, २८ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारतीय नाविक-दस्ता

*७८३. **सरदार हुक्म सिंह** :(क) क्या **रक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष भारतीय नाविक दस्ते का वार्षिक ग्रीष्म पोतभ्रमण हो चुका है ?

(ख) यदि हां, तो हमारे पोत किन किन पत्तनों पर गये थे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख)भारतीय नौ सेना के पोतों ने जून-जुलाई १९५२ में निम्नलिखित पत्तनों का भ्रमण किया :—

(१) हिन्देशिया ।

टांडजोएंग प्रिओक (जकार्ता)

शोराबाया, बाली ।

(२) मलाया ।

सिंगापुर, पिनांग, पोर्ट डिकसन और पोर्ट स्वीटेनहम ।

(३) थाइलैण्ड (स्याम) ।

बैंगकाक ।

(४) श्रीलंका ।

त्रिकोमाली ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या हमारे पोत इन देशों में हमारे ही कहने से गये थे अथवा इन में से किसी को इन देशों में से किसी ने निमन्त्रित किया था ?

सरदार मजीठिया : साधारणतः होता यह है कि प्रति वर्ष हमारे पोत भ्रमण के लिये जाते हैं और इन देशों में होते जाते हैं । इस प्रकार वे न केवल कतिपय अभ्यास करते हैं जिस से कि वे अपने कार्य में और अधिक कुशल हो जाते हैं अपितु, वे उन देशों के भारतीयों को भी देखते हैं और उन से सम्पर्क स्थापित करते हैं ।

सरदार हुक्म सह : क्या हम यह जान सकते हैं कि उन्होंने इन मासों में कौन-से अभ्यास किये हैं ?

सरदार मजीठिया : मुझे खेद है कि अभ्यासों को बतलाना जनहित में उचित नहीं है किन्तु मैं इतना बतला सकता हूं कि यह उन के प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिये किया गया था :

सरदार हुक्म सिंह : क्या ये अभ्यास हमारी विमान सेना या रायल एअर फोर्स

(राजकीय विमान बल) के साथ किये गये थे ?

सरदार मजीठिया : इनके साथ नहीं।

सरदार हुक्म सिंह : मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस अवधि में कोई सुरंग हटाने वाला बेड़ा बनाया गया था ?

सरदार मजीठिया : नहीं, श्रीमान्।

श्री पुन्नूस : मैं यह जान सकता हूं कि इन अभ्यासों पर हमारा कितना धन व्यय हुआ ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैंने बतलाया, ये अभ्यास सामान्य दिनचर्या के रूप में किये जाते हैं।

श्री पुन्नूस : मैं यह जानना चाहता हूं कि हमें इस पर कितना अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैंने बतलाया, इस पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होता, यह तो उन की सामान्य दिनचार्या के रूप में किये जाते हैं।

विभागीत पदोन्नति समिति

*७८४. **सरदार हुक्म सिंह**: क्या **गृह कार्य मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रत्येक मन्त्रालय में कोई ऐसे निश्चत पद हैं जिन पर पदोन्नति चुनाव के द्वारा की जाती है ; और

(ख) क्या प्रत्येक मंत्रालय में चुनाव द्वारा पदोन्नति करने के मामलों का निश्चय करने के लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति होती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां। भारत सरकार के मन्त्रालयों तथा उन के अधीनस्थ विभागों में सहायक की श्रेणी से ऊपर की श्रेणी के पद जो कि अधीक्षात्मक तथा प्रशासकीय प्रकार के होते हैं और जिन में बहुत अधिक उत्तरदायित्व, पर्याप्त स्वविवेक और उपक्रम की आवश्यकता होती है चुनाव के पदों की श्रेणी में रख दिये गये हैं जिन पर उपलब्ध व्यक्तियों में से गुणों के आधार पर सब से अच्छे व्यक्ति को चुन कर नियुक्ति की जाती है।

(ख) नियमित संगठित सेवाओं के चुनाव के पदों पर नियुक्ति के लिये चुनाव के सम्बन्ध में मन्त्रणा देने के लिये विशेष बोर्ड बनाये गये हैं, जैसे कि भारतीय विदेश सेवा के लिये विदेश सेवा बोर्ड, भारत सरकार के अवर सचिव के पदों तथा इस से ऊपर के पदों और सचिवालय से भिन्न कतिपय महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों के लिये केन्द्रीय कर्मचारी वर्ग बोर्ड और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्रेणी २ तथा ३ के पदों पर नियुक्तियों के लिये केन्द्रीय सचिवालय सेवा चुनाव बोर्ड। इस प्रकार के पदों पर नियुक्तियां सम्बद्ध बोर्ड की मन्त्रणा से की जाती हैं। अन्य पदों पर नियुक्तियों के लिये, जिन पर कि गुणों के आधार पर चुनाव कर के पदोन्नति की जाती है, नियुक्ति करने वाले सम्बद्ध पदाधिकारियों को पदोन्नति के लिये पदाधिकारियों के चुनाव के सम्बन्ध में मन्त्रणा देने के लिये भारत सरकार के मन्त्रालयों तथा उन के अधीनस्थ विभागों में एक या इससे अधिक विभागीय पदोन्नति समितिया बनाई गई हैं। कितनी समितियां बनाई जायें और वे कैसी हों इस बात का निश्चय करने का काम सम्बद्ध मन्त्रालयों या विभागों पर उन की आवश्यकताओं के अनुसार छोड़ दिया गया है। इस प्रकार की विभागीय पदोन्नति समितियों में प्रायः एक संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य भी होता है।

श्री फ्रैंक एन्थोनी : क्या मैं चुनाव की प्रक्रिया को जान सकता हूं — क्या यह एक पदालि से दूसरी पदालि में पदोन्नति तक

सीमित है अथवा यह एक वेतनक्रम से दूसरे वेतनक्रम में उन्नति पर भी लागू होती है ?

श्री दातार : यह एक पदालि से दूसरी पदालि तथा एक वेतन-क्रम से दूसरे वेतन-क्रम में उन्नति—दोनों पर ही लागू होती है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं ऐसे मामलों की संख्या जान सकता हूं जिन में कि विभागीय समिति ने उम्मीदवार से साक्षात् प्रश्न पूछ कर या चर्चा कर के नहीं, अपितु केवल पत्र परिचालित कर के ही निश्चय किया ?

श्री दातार : मुझे इस प्रश्न की सूर्व-सूचना मिलनी चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर : मैं यह जान सकता हूं कि क्या ज्येष्ठता और तथाकथित कार्य-कुशलता के आधार पर पदोन्नति में कोई अनुपात रखा जाता है ?

श्री दातार : इन में अनुपात का कोई प्रश्न ही नहीं है । ये दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न चीजें हैं । एक तो चुनाव-पद हैं जोकि सर्वथा गुणों पर आधारित हैं और दूसरे न चुने जाने वाले पद हैं जिन पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाती है ।

सरदार हुक्म सिंह : लोक सेवा आयोग का सदस्य जब इन विभागीय समितियों में सम्मिलित होता है—तो वह क्या काम करता है—क्या वह केवल एक निजी मन्त्रणादाता होता है अथवा उसका निर्णय सर्वमान्य होता है ?

श्री दातार : यह पदोन्नति समिति का एक नियमित सदस्य होता है और पदाधिकारियों के चुनाव में प्रभाव पूर्ण भाग लेता है ।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं यह जान सकती हूं कि क्या वे चुनाव को पूरा करने से पहिले उम्मीदवार से कोई साक्षात् प्रश्न आदि भी पूछते हैं ?

श्री दातार : कतिपय मामलों में साक्षात् प्रश्न आदि पूछ कर भी योग्यता जांची जाती है ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या यह सत्य है कि साक्षात्परीक्षा के पश्चात् मित्रों, प्रियजनों तथा सम्बन्धियों को चुन लिया जाता है ?

श्री फ्रैंक एन्थोनी : क्या मैं यह समझूं कि एक ही पदालि में एक वेतन-क्रम से दूसरे वेतन-क्रम में उन्नति भी चुनाव के द्वारा ही की जाती है ?

श्री दातार : जी हां ।

पंडित के० सी० शर्मा : क्या चुनाव के लिये कोई गुण निश्चित है ?

श्री दातार : गुण गुण ही है और गुण ज्येष्ठता से भिन्न है ।

पंडित के० सी० शर्मा : क्या यह कोई निराकार चीज है—क्या इस की परिभाषा नहीं की जा सकती और इसे निश्चित रूप से बताया नहीं जा सकता ?

श्री दातार : 'गुण' तो अच्छी प्रकार समझा जा सकता है ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं यह जान सकता हूं कि क्या संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि के अतिरिक्त इन पदोन्नति समितियों में गृह तथा वित्त मन्त्रालयों के प्रतिनिधि भी होते हैं ?

श्री दातार : जी नहीं ; जब तक कि कोई विशेष चुनाव गृह या वित्त मन्त्रालय इन दोनों के सम्बन्ध में न किया जा रहा हो ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या कोई ऐसे भी मामले हैं जिन में संघ लोक सेवाआयोग के सदस्य ने अन्य सदस्यों से मतभेद प्रकट किया हो और मैं यह जान सकता हूं कि उस का क्या फल हुआ ?

श्री दातार : इस की कार्यवाही गुप्त होती है और इसे बतलाना जनहित में उचित नहीं होगा; किन्तु मैं यह बतला सकता हूं

कि साधारणतया उस की सिफारिशें सदा सर्वमान्य होती हैं ।

श्री नम्बियार : यदि चुनाव बोर्ड के चुनाव से किसी कर्मचारी को सन्तोष न हो तो उस के लिये कौन-सा मार्ग रह जाता है ? क्या वह अपील कर सकता है ?

श्री दातार : वह सीधा भारत सरकार के पास जा सकता है ।

श्री नम्बियार : क्या चुनाव बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का कोई मार्ग है ?

श्री दातार : अपील का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । परन्तु जब कभी ऐसे मामलों में अभ्यावेदन किया जाता है, तो उन पर पुनर्विचार होता है ।

श्री नम्बियार : यदि चुनाव बोर्ड के इन निर्णयों के विरुद्ध अपील करने नहीं दी जाती, तो वह सरकार के पास कैसे जा सकता है ?

श्री दातार : उचित मामलों में वह पुनर्विचार के लिये कह सकता है ।

श्री फ्रैंक एन्थोनी : क्या यह सत्य है कि रेलों में चुनाव के लिये जो ढंग काम में लाया जाता है उस के विरुद्ध मन्त्रालय को बहुत-सी शिकायतें मिली हैं ?

श्री दातार : जी नहीं ।

श्री वीरस्वामी : मैं यह जान सकता हूं कि क्या ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति देने के सिद्धान्त को पूर्णतया तिलांजलि दे दी गई है और क्या केन्द्रीय सरकार के नौकरों को पदोन्नति के प्रत्येक पग पर संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है ?

श्री दातार : जिन पदों पर चुनाव करके पदोन्नति नहीं की जाती उन के सम्बन्ध में ज्यष्ठता के अनुसार पदोन्नति के सिद्धान्त को छोड़ा नहीं गया है; वास्तव में उन में मुख्यतया इसी बात की ओर ध्यान दिया जाता है ।

दिखा-सुना कर शिक्षा देने का विभाग

*७८५. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **शिक्षा मन्त्री** २ जुलाई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४१० के उत्तर की ओर निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या तब से दिखा-सुना कर शिक्षा देने के विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी कार्यवाहियों में कोई प्रगति की है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : दिखा-सुना कर शिक्षा देने के विभाग ने दिखा-सुना कर शिक्षा देने के सम्बन्ध में जिज्ञासा को शान्त करने के साधन के रूप में और उन्नति कर ली है । भारतीय अवस्था के अनुसार दिखा-सुना कर शिक्षा के प्रसार की चीज़ें बनाने के सम्बन्ध में कुछ एक नई योजनायें विचाराधीन हैं । दिखा-पुना कर शिक्षा देने की चीज़ों तथा सामग्री के उत्पादन तथा प्रयोग के सम्बन्ध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम पहिले ही दिल्ली में २४ नवम्बर १९५२ से आरम्भ हो चुका है ।

दिखा-सुना कर शिक्षा देने के सम्बन्ध में सरकार ने एक राष्ट्रीय समिति भी स्थापित करने का निश्चय किया है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं यह जान सकता हूं कि क्या इन चल-चित्रों की पट्टियों को बनाने तथा अन्य देशों से इन नेगेटिव चित्रों को दोहरा बनाने के लिये इस मन्त्रालय में कोई अलग विभाग है ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, श्रीमान्, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के अधीन एक विभाग खोला गया है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं यह जान सकता हूं कि क्या सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के चल-चित्र विभाग तथा इस विभाग में परस्पर कोई सहयोग है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह विभाग वस्तुतः सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के ही अधीन कार्य कर रहा है ।

सरदार हुक्म सिंह : इस विभाग से संलग्न पुस्तकालय में कुल कितने चलचित्र, चार्ट तथा विज्ञापन-पत्र हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : चल-चित्र पट्टी विभाग के पास ३०० चलचित्र की पट्टियां तैयार करने की सामग्री है और यह उन की बहुत-सी प्रतियां बना सकता है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं यह जान सकता हूं कि क्या संयक्त राष्ट्रीय शिक्षा विज्ञान संस्कृति संघटन ने इस शिक्षा के लिये श्री ग्रीन की सेवायें उधार देने की हमारी प्रार्थना को अब स्वीकार कर लिया है ?

श्री के० डी० मालवीय : नहीं श्रीमान् । संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा विज्ञान संस्कृति संघटन (यूनेस्को) ने यहां श्री ग्रीन को नहीं भेजा है, किन्तु यूनेस्को ने हमारी इस योजना में सहायता करने के लिये दो व्यक्तियों को भेजा था ।

सरदार हुक्म सिंह : हम ने इस विशेषज्ञ की सेवाओं के लिये विशेष रूप से प्रार्थना की थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मारी वह प्रार्थना मान ली गई है अथवा क्या वह अब भी विचाराधीन है ?

श्री के० डी० मालवीय : वह हमें नहीं मिल सका ।

उच्च न्यायालय क न्यायाधीशों का पारिश्रमिक

*७८६. **श्री एस० एन० दास** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री १२ सितम्बर, १९५१ को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पारिश्रमिक के सम्बन्ध में पूछे गये मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या २३१ के उत्तर की ओर निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उस के बाद से इस विषय में यदि कोई निश्चय किया गया है, तो वह क्या है; और

(ख) क्या यह सत्य है कि कुछ एक राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध अपनी सम्मति प्रकट की है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख): गत जनवरी में यह अनुदेश दिये गये थे कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अपने सामान्य कर्तव्यों के अतिरिक्त और कोई कार्य करने के लिये कोई पारिश्रमिक न दिया जाये । इस प्रयोजन के लिये विधान बनाने का भी प्रस्ताव किया गया था । कुछ राज्य सरकारें इस के पक्ष में नहीं थीं तथा आगे और विचार करने पर इस प्रस्ताव को छोड़ देने का निश्चय किया गया था ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं उन राज्यों के नाम जान सकता हूं जिन्होंने इस प्रस्ताव के विरुद्ध अपनी सम्मति प्रगट की थी और उन की इस बारे में क्या युक्तियां ह ?

श्री दातार : मेरे पास उन के नाम तो नहीं हैं, किन्तु उन की युक्ति यह थी कि परिचालित-पत्रों द्वारा स्थापित अभिसमयों या नियमों के स्थान पर विधान न बनाना ही अच्छा है ।

श्री एस० एन० दास : मैं यह जान सकता हूं कि क्या निर्वाचन आयोग तथा लोक सेवा आयोगों के पदाधिकारियों को सम्मिलित करने के लिये परिचालित-पत्रों में कोई संशोधन या रूप-भेद किया गया है ?

श्री दातार : जी नहीं ।

दिल्ली के अपहृत व्यक्ति

*७८७. **पंडित मनीश्वरदत्त उपाध्याय** : (क) क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ में दिल्ली में गुण्डों द्वारा

कुल कितने व्यक्तियों के अपहृत किये जाने की सूचना मिली ?

(ख) उन की आय तथा लिंग, यदि ज्ञात हो तो, क्या था ?

(ग) इस प्रकार के व्यक्तियों में से कितनों को पुनः अपने सम्बन्धियों के पास लौटा दिया गया है और कितनों के मर जाने की सूचना मिली है ?

(घ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १ जनवरी से २१ नवम्बर, १९५२ तक ११४ व्यक्तियों के उठाये जाने या अपहृत किये जाने की सूचना मिली ।

(ख) उन की आयु तथा लिंग इस प्रकार हैं :—

१० वर्ष के नीचे के	(१) पुरुष ...	६
	(२) स्त्री ...	७
१० वर्ष तथा १६ वर्ष	(१) पुरुष ...	१६
के बीच के	(२) स्त्री ...	१६
१६ वर्ष से ऊपर के	(१) पुरुष ..	३
	(२) स्त्री ...	६६
		११४

(ग) पुनः अपने सम्बन्धियों को लौटाये गये व्यक्तियों की संख्या ...९०

जिन व्यक्तियों के मर जाने की सूचना मिली ... १

(घ) इस के लिये अधिक विस्तृत गश्त आरम्भ कर दी गई है और इस प्रकार के अपराधों का पता लगाने के लिये चुने हुए कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये हैं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि दिल्ली तथा अन्य बड़े बड़े नगरों में एक गिरोह काम कर रहा है और क्या ऐसी कोई सूचना मिली है ?

श्री दातार : ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस विषय में कोई जांच की गई है कि इन लोगों का उद्देश्य क्या प्रतीत होता है ? क्या ये इक्का-दुक्का घटनायें होती हैं या इन में कोई षड्यन्त्र प्रतीत होता है ?

श्री दातार : इन में कोई षड्यन्त्र नहीं प्रतीत होता, किन्तु ये इक्का-दुक्का घटनायें होती हैं । कभी कभी इन की संख्या बढ़ जाती है ।

पंडित के० सी० शर्मा : इस प्रकार के अपराधों के सम्बन्ध में कितने अभियोग चलाये गये हैं ?

श्री दातार : मैं यह बता सकता हूं कि पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या ९३ थी और अब तक दण्डित व्यक्तियों की संख्या १७ तथा विचाराधीन व्यक्तियों की संख्या २० है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं यह जान सकता हूं कि क्या वे खास दिल्ली के रहने वाले हैं या बाहर के हैं ?

श्री दातार : उन में कुछ दिल्ली के रहने वाले हैं और कुछ अन्य प्रान्तों के ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं यह जान सकता हूं कि क्या माननीय मन्त्री ने जो संख्या बतलाई है उस में वह साधु भी सम्मिलित है जो दस वर्ष के एक बालक को उठा ले गया था और जिसे एक वर्ष का कारावास का दण्ड मिला है ?

श्री दातार : मुझे पक्का पता नहीं है कि वह व्यक्ति इन में सम्मिलित है या नहीं ?

श्री के० जी० देशमुख : मैं यह जान सकता हूं कि क्या ये अपराध बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं ?

श्री दातार : वे लगभग उतने ही हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : इस बात को देखते हुए कि इस प्रकार के अपराधों में कोई विशेष कमी नहीं हुई है, मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने गश्त के सिवाय और कुछ करने का विचार किया है और क्या ऐसे विषयों में अन्तर्प्रान्तीय प्रबन्ध द्वारा नियन्त्रण का भी कोई प्रश्न है ?

श्री दातार : अन्तर्प्रान्तीय प्रबन्ध द्वारा नियन्त्रण का प्रश्न विचाराधीन है, किन्तु दूसरी बात नहीं मानी गई है ।

श्री एस० एस० गुरुपादस्वामी : मैं यह जान सकता हूं कि क्या इन अपहृत स्त्रियों को ढूंढने के लिये कोई विशेष कर्मचारी रखे हुए हैं ? यदि हां, तो अब तक इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

श्री दातार : कोई विशेष कर्मचारी नहीं रखे गये हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : जिन लोगों को पुनः उन के सम्बन्धियों के पास लौटा दिया गया, उन में से, मैं यह जान सकता हूं कि कितनों को बन्दी-मोचन धन दे कर लौटाया गया और कितनों को पुलिस की सहायता से लौटाया गया ?

श्री दातार : मझे पूर्व सूचना चाहिये ।

केन्द्रीय रक्षित पुलिस

*७८८. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या **राज्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय केन्द्रीय रक्षित पुलिस की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) इस पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है ?

(ग) इस संघटन के कृत्य क्या हैं और इन का साधारण पुलिस से क्या सम्बन्ध है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) इस समय केन्द्रीय रक्षित पुलिस की कुल संख्या इस प्रकार है :—

पदाधिकारी	१८
जवान	२०४१

(ख) ३४,६०,००० रुपये ।

(ग) केन्द्रीय रक्षित पुलिस (जो कि पहिले सम्राट् के प्रतिनिधि की पुलिस के नाम से विख्यात थी) पहिले-पहिल १९३९ में तत्कालीन भारतीय रियासतों की वहां आपात-काल में विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिये सहायता करने के उद्देश्य से बनाई गई थी । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इस बल को राजस्थान तथा कच्छ में भारत--पाक सीमा की रक्षा करने और नये बने हुए भाग ख तथा भाग ग राज्यों में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करने का दोहरा काम सौंपा गया है । इस बल का साधारण पुलिस से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : श्रीमान् मैं यह जान सकता हूं कि इस बल में से राज्य किस अनुपात से व्यय उठाते हैं और केन्द्रीय सरकार कितना व्यय करती है ?

डा० काटजू : प्रथम तो सारा व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा ही किया जाता है किन्तु जब कभी कोई राज्य इस रक्षित पुलिस की सहायता मांगता है तो जो सहायता दी जाती है उस का व्यय वह राज्य ही देता है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह पुलिस बल केन्द्र में रहता है और यहीं कुछ काम करता है ? परन्तु यदि उन्हें राज्यों को भेजा जाये और वे वहां काम करें, तो सारा व्यय अन्त में उस राज्य को ही देना चाहिये ?

डा० काटजू : ऐसा हुआ कि केवल दस दिन पूर्व जब मैं नीमच में था जहां कि यह रक्षित पुलिस रहती है, तो वहां मैंने देखा कि २००० जवानों में से केवल ४०० जवान पुलिस

लाइन में विद्यमान थे। १६०० जवान भारत के विभिन्न भागों में काम म लग हुए थे। अतः यह कोई बेकार पड़ी रहने वाली पुलिस नहीं है। ये लोग बड़े काम में जटे रहते हैं।

श्री पुन्नूस : यदि मैं माननीय मन्त्री को ठीक समझा हूं, तो क्या यह पुलिस भाग ख तथा ग राज्यों में व्यवस्था बनाये रखने के लिये रखी हुई है ?

डा० काटजू : इसका उत्तर तो दिया हुआ है।

श्री पुन्नूस : मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस का चुनाव करते समय भाग ख तथा ग के लोगों को कोई प्रधानता दी जाती है ?

श्री काटजू : मुझे पूर्व सूचना चाहिये। मैंने उस में भारत के सभी भागों के लोगों को देखा है। बड़े हृष्ट-पुष्ट लोगों को देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।

श्री पून्नूस : मैं यह जान सकता हूं कि क्या किसी शिक्षा सम्बन्धी योग्यता की भी आवश्यकता होती है ?

डा० काटजू : जहां तक मुझे ज्ञात है उनकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यता अन्य पुलिस वालों से कहीं अधिक होती है ?

श्री दामोदर मेनन : क्या मैं उन राज्यों के नाम जान सकता हूं जहां कि केन्द्रीय रक्षित पुलिस आज कल काम कर रही है ?

डा० काटजू : मैं ने बताया कि राजस्थान, कच्छ, केन्द्रीय हैदराबाद में कहीं, मध्य भारत तथा अन्य राज्यों में।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं यह जान सकता हूं कि इस बल का प्रशासन कैसे किया जाता है ?

डा० काटजू : एक सेनाध्यक्ष इस का प्रशासन करता है। यहां केन्द्रीय सरकार इस का प्रशासन करती है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : राज्यों में कार्य करते समय ?

श्री काटजू : इस के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

पंडित के० सी० शर्मा : यह पुलिस बल स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों के आदेशों के अधीन कार्य करता है या इस के अपने ही पदाधिकारी होते हैं ?

डा० काटजू : उन के अपने।

पंडित के० सी० शर्मा : जब वे किसी राज्य में नियुक्त किये जाते हैं तो वहां उन के अपने पदाधिकारी काम करते हैं ?

डा० काटजू : मैं आप को विस्तृत विवरण तो नहीं बतला सकता। यह एक सर्वथा स्वतन्त्र बल है। सम्भवतः ये जिस राज्य में जाते हैं उस के पदाधिकारियों से मिल-जुल कर काम करते हैं।

श्री अच्युतन : मैं यह जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार का इस बल की संख्या बढ़ाने का कोई विचार है और क्या इन का नियमित भर्ती से अलग कोई भिन्न मानदंड होता है ?

डा० काटजू : मैं समझता हूं कि इनमें बहुत अधिक कार्यकुशलता होती है। इनका मानदण्ड इस समय भी बहुत ऊंचा है।

श्री अच्युतन : क्या इन की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

डा० काटजू : मुझे बिल्कुल पक्का निश्चय नहीं है। परन्तु यदि आवश्यकता हुई, तो हम इस पर विचार करेंगे।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस बल का मूल काम अब समाप्त हो गया है, मैं यह जान सकता हूं कि क्या इसे समाप्त कर देने की सम्भावना है ?

डा० काटजू : नहीं, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो सदा रहने वाला बल है ।

श्री नम्बियार : मैं यह जान सकता हूं कि जब स्थानीय पुलिस विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये उपलब्ध है ही तो ये पुलिस अधिकारी कौनसा सक्रिय काम करते हैं ? क्या इस पुलिस का प्रयोग चनावों में किया जाता है ?

डा० काटजू : क्या यह कोई युक्ति है या प्रश्न है ? जब राज्य अधिकारी यह देखते हैं कि उन के अपने साधन अपर्याप्त हैं तो वे इस पुलिस बल की सहायता लेते हैं। मैं समझता हूं कि यह पुलिस कई प्रयोजनों के लिये वस्तुत: बहुत ही कार्यकुशल है जिसका कि मेरे माननीय मित्र को भली भांति ज्ञान है ।

श्री सारंगधर दास : मैं यह जान सकता हूं कि क्या हैदराबाद में उस समय यह पुलिस तैनात थी जब लायक अली भाग गया था ?

डा० काटजू : मुझे इस के बारे में पता नहीं है ।

श्री चिनारिया : मैं यह जान सकता हूं कि इस पुलिस को पेप्सू में अव्यवस्था को रोकने में कहां तक सफलता मिली है ?

डा० काटजू : इस में कई बातें मान ली गई हैं, अर्थात् पेप्सू में अव्यवस्था है, यह बड़ी व्यापक है और तीसरा यह कि वहां के राज्य अधिकारी इस का सामना करने में असमर्थ हैं। इन सब बातों के लिये तीन भिन्न भिन्न उत्तरों की आवश्यकता है ।

सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी अनुसन्धान

*७९० **श्री एस० एन० दास**: क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किसी वर्तमान भारतीय विश्व-विद्यालय या इंजीनियरिंग कालेज में सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने की सुविधायें उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां तो किस विश्वविद्यालय म इस प्रकार की व्यवस्था की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है जिस के द्वारा विश्व-विद्यालयों तथा इंजीनियरिंग कालेजों को इस प्रकार के अनुसन्धान की सुविधायें देने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार निम्न संस्थाओं में सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण में अनुसन्धान की सुविधायें उपलब्ध हैं :—

(१) बिरला इंजीनियरिंग कालेज, आनन्द (गुजरात विश्वविद्यालय) ।

(२) कालेज आफ इंजीनियरिंग, गिंडी (मद्रास विश्वविद्यालय) ।

(३) कालेज आफ इंजीनियरिंग, पूना (पूना विश्वविद्यालय) ।

(४) इंजीनियरिंग कालेज, सिंदरी (बिहार विश्वविद्यालय) ।

इस के अतिरिक्त, इंजीनियरिंग कालेज, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में सैद्धान्तिक अनुसन्धान की सुविधायें प्राप्त हैं और कालज का पंचवर्षीय विकास योजना में परीक्षण सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है । रुड़की विश्वविद्यालय तथा इंजीनियरिंग कालेज, जबलपुर में भी सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण में अनुसन्धान की सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने का विचार है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस० एन० दास : मैं यह जान सकता हूं कि क्या इन संस्थाओं को इस प्रयोजन के लिये कोई केन्द्रीय सहायता मिलती है

श्री के० डी० मालवीय : इन संस्थाओं को विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिये कोई सहायता नहीं मिलती ।

श्री एस० एन० दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यहां बहुत से विदेशी विशेषज्ञों को निमंत्रित किया जा रहा है और इस बात को भी देखते हुए कि यहां बहुत सी नदी घाटी परियोजनाएं आरम्भ की जाने वाली हैं, मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार का इस विभाग में अनुसन्धान करने, विशेष रूप से मूल अनुसन्धान करने के लिये इन विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : गवर्नमेंट गौर करेगी ।

श्री टी० एन० सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सिंचाई सम्बन्धी अनुसन्धान यहां तथा राज्यों में, पूना में और हरिद्वार के निकट तथा अन्य स्थानों में सिंचाई मंत्रालय के अधीन भी किये जा रहे हैं क्या इन दोनों अनुसन्धानों में समन्वय स्थापित करने का कोई प्रयत्न किया गया है जिस से कि दोहरापन न हो ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं ने तो यह कहा है कि विश्वविद्यालयों में थोड़ा बहुत प्रारम्भिक अनुसन्धान का कार्य किया जा रहा है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : इस बात को देखते हुए कि आसाम की अधिकांश नदियां भयंकर तथा वश में न की हुई हैं और बहुत अधिक हानि पहुंचाती हैं क्या सरकार ने इन नदियों में से किसी के सम्बन्ध में अनुसन्धान करवाने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

श्री के० डी० मालवीय : हम ने अभी इस पहलू पर विचार नहीं किया है, किन्तु यह समस्या हमारे ध्यान में है ।

सहकारी समितियां

*७९१. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३० जून, १९५२ तक विभिन्न राज्यों की कितनी सहकारी समितियों ने औद्योगिक वित्त निगम से ऋणों के लिये प्रार्थना की और उन में से कितनों को ऋण दे दिये गये और प्रत्येक को कितना ऋण दिया गया ?

(ख) किस प्रकार के व्यापार के लिये ऋण दिये गये थे ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) केवल एक राज्य को दो सहकारी समितियों ने औद्योगिक वित्त निगम से वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना की थी । उन में से एक ने बाद में अपना प्रार्थनापत्र वापिस ले लिया था और दूसरे को २० लाख रुपये का ऋण दे दिया गया था ।

(ख) जिस समिति को ऋण मिला है वह चीनी बनाती है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं उस राज्य का नाम जान सकता हूं जिस की सहकारी समिति ने ऋण के लिये प्रार्थना की थी ?

श्री एम० सी० शाह : बम्बई राज्य ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : समितियों के नाम क्या हैं ?

श्री एम० सी० शाह : श्रीमान्, मैं समितियों के नाम नहीं बतला सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह सहकारी समिति कोई निजी समवाय है ?

श्री एम० सी० शाह : यह एक लिमिटेड समवाय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छी बात है ; मैं इस विषय में आगे कुछ पूछना नहीं चाहता ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : कितनी राशि दी गई है ?

श्री एम० सी० शाह : बीस लाख रुपये। मैं यह पहिले ही अपने उत्तर में बतला चुका हूं।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं उन राज्यों के नाम जान सकता हूं जिन की सहकारी समितियों के औद्योगिक वित्त निगम में अंश हैं?

श्री एम० सी० शाह : इस समय मेरे पास यह सूचना नहीं है। सहकारी समितियों ने लगभग ९६४ या इस से कुछ अधिक अंश लिये हैं।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार राज्यों को बहुमुखी परियोजनाओं के लिये दीर्घकालीन आधार पर ऋण देगी और ब्याज को दर में संशोधन करेगी?

श्री एम० सी० शाह : औद्योगिक वित्त निगम राज्यों को ऋण नहीं देता। यह उन सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों (समवायों) को ऋण देता है जो वस्तुएं तैयार करती हैं और विद्युत शक्ति उत्पन्न करती हैं। हम इस के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने जा रहे हैं जैसा कि इस विधेयक से जिसे कि पहिले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है और जिस पर चर्चा हो रही है, स्पष्ट है।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह कार्पोरेशन (निगम) काटेज इंडस्ट्रीज़ (कुटीरोद्योगों) के वास्ते भी लोन (ऋण) देता है?

श्री एम० सी० शाह : औद्योगिक वित्त निगम कुटीरोद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये नहीं बनाया गया था, किन्तु राज्य वित्त निगम इस प्रयोजन के लिये बनाये गये हैं। एक अधिनियम पारित किया गया है। राज्य कुटीरोद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण देने के लिये राज्य वित्त निगम स्थापित करने वाले हैं।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : एक सहकारी समिति ने अपना प्रार्थनापत्र वापिस क्यों ले लिया था?

श्री एम० सी० शाह : उस समिति को राज्य सरकार से ऋण मिल गया। उस समिति के पास औद्योगिक वित्त निगम को देने के लिये कोई प्रतिभूति न थी। औद्योगिक वित्त निगम केवल कुछ प्रतिभूतियों पर ही ऋण देता है।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं यह जान सकता हूं कि क्या किसी सहकारी समिति को ऋण देते समय राज्य सरकार से भी मंत्रणा ली जाती है और मैं यह जान सकता हूं कि क्या उसी के फलस्वरूप एक प्रार्थनापत्र वापिस लिया गया था?

श्री एम० सी० शाह : औद्योगिक वित्त निगम इस सम्बन्ध में सभी सम्भव पूछ-ताछ करता है कि ऋण देने वाला ऋण देने के योग्य भी है।

हिन्दी शब्द-कोश

●*७९२. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हिन्दी के वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दों और प्रशासन तथा सामाजिक विज्ञानों के शब्द-कोषों को तैयार करने में कहां तक प्रगति हुई है?

(ख) यह कार्य अब सामान्यतया किस ढंग पर किया जा रहा है?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) विभिन्न विज्ञानों के सम्बन्ध में हिन्दी में वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दों का शब्द-कोष तैयार करना एक बड़ा काम है और इसे पूरा होने में कई वर्ष लगेंगे। हाई स्कूल के स्तर तक वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, समाज विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित

सम्बन्धी वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्द सम्बद्ध विशेषज्ञ समितियों के पथप्रदर्शन में लगभग समाप्त हो चुके हैं। अन्य विज्ञानों के सम्बन्ध में भी पारिभाषिक शब्दों को संकलित किया जा रहा है।

(ख) वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली बोर्ड द्वारा बनाये गये सिद्धान्त के अनुसार हाई स्कूल के स्तर तक पारिभाषिक शब्दों के अन्तिम रूप से तैयार हो जाने के पश्चात् उच्च स्तरीय शिक्षा के लिये शब्दों के संकलन का कार्य आरम्भ किया जायेगा।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या मैं उन व्यक्तियों के नाम जान सकता हूं, जिन का इस काम में हाथ रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : सन् १९५० के दिसम्बर मास में एक वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसके साथ दस उपसमितियां भी थीं। ये दस उपसमितियां इस समय शब्द-कोषों को तैयार करने में लगी हुई हैं।

श्री वी० जी० देशपांडे : क्या मैं भाग (ख) के सम्बन्ध में यह जान सकता हूं कि क्या यह कार्य अन्तर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों को मान कर किया जा रहा है अथवा क्या यह हिन्दी ऐसी हिन्दी होगी जिसे कि हम संस्कृत मिश्रित हिन्दी कहते हैं अथवा जैसा कि कहा जाता है देश की मिली-जुली संस्कृति की प्रतीक होगी ?

शिक्षा, प्राकृतिक ससाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : इस बारे में केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड ने जो सिफ़ारिशें की हैं उन्हीं सिफारिशों के मुताबिक यह बोर्ड काम कर रहा है।

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं जानना चाहता हूं कि वे सिफ़ारिशें क्या हैं ?

मौलाना आज़ाद : वे ये हैं कि जहां तक मुमकिन हो अन्तर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों को इख्तियार करना (अपनाना) चाहिये।

श्री वी० जी० देशपांडे : यानी अंग्रेज़ी टर्म्स (पारिभाषिक शब्दों) को।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार यह जानती है कि कई शिक्षा संस्थायें हैं जिन में वर्षों से हिन्दी में शिक्षा दी जा रही है? यदि हां, तो मैं यह जान सकता हूं कि इस संबंध में उन की सेवाओं से लाभ क्यों नहीं उठाया गया है ?

मौलाना आज़ाद : नहीं, बोर्ड इस तरह की तमाम सोसाइटियों (समाजों) और इंस्टीट्यूशन्स (संस्थाओं) से मशविरा कर रहा है और अगर ज़रूरत महसूस करे तो ऐसे आदमियों को को-ऑप्ट कर (चुन) सकता है।

सरदार ए० एस० सहगल उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अध्यक्ष द्वारा बिना बुलाये सदन का समय नहीं ले सकते।

श्रीमती ए० काले : मैं यह जान सकती हूं कि क्या इन में "रघुवीर" की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है अथवा अन्य किसी हिन्दी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक हमारा संबंध है "रघुवीर" की कोई पारिभाषिक शब्दावली नहीं है।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या सरकार राज्य सरकारों द्वारा वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दों के संबन्ध में अब तक बनाये गये शब्द-कोषों पर विचार करेगी और उन्हें भी इन में सम्मिलित करेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार ने इन सभी पहलुओं पर विचार किया है और

जो अबतक पूरे हो चुके हैं उन पर भी ध्यान दिया जायेगा ।

श्री मेघनाद साहा : ये जो वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दों का संकलन कर रहे हैं क्या ये निकाय स्थायी निकाय हैं अथवा क्या ये अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं ? यदि ये अस्थायी हैं, तो मैं यह जान सकता हूं कि क्या इन निकायों की सेवाओं से स्थायी रूप से लाभ उठाने के लिये कोई योजना तैयार की गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : ये उप-समितियां एक विशेष उद्देश्य से कार्य कर रही हैं । मैं यह नहीं कह सकता कि ये स्थायी निकाय हैं । संभवतः कार्य समाप्त होते ही इन्हें समाप्त कर दिया जायेगा ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री यह जानते हैं कि फ्रेंच एकेडमी फ्रेंच भाषा का शब्द-कोष तैयार करने के लिये स्थापित की गई थी और उसके पश्चात् यह १६३४ से आज तक स्थायी रूप से कार्य कर रही है? अतः फ्रेंच एकेडमी के ढंग पर हमारे यहां भी स्थायी रूपसे कार्य करने वाला एक निकाय होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यार्थ एक सुझाव है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : क्या सरकार ने इस संबंध में प्रांतीय सरकारों से परामर्श करने की वांछनीयता पर विचार किया है जिससे कि हिन्दी में प्रयोग की जाने वाली वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली का अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रयोग किया जा सके?

मौलाना आजाद : बोर्ड बनाते हुए इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि दूसरी हिन्दुस्तानी ज़बानों को भी फ़ायदा पहुंचे ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, में यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० साहा द्वारा तैयार की गई तथा प्रयोग में लाई गई पारिभाषिक शब्दावली को कम से कम वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दों के संबंध में प्रयोग करने के बारे में कभी विचार किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बोर्ड पर छोड़ दिया गया है ।

हिन्दी जानने वाले सरकारी कर्मचारी

*७९३. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार के कितने प्रति शत कर्मचारी पहिले ही हिन्दी जानते थे ;

(ख) उन में से कितनों या कितने प्रति शत ने हाल ही में काम चलाऊ हिन्दी सीख ली है ; और

(ग) कितने या कितने प्रति शत हिन्दी से सर्वदा अनभिज्ञ हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) (क) उनके अपने कथनानुसार ४६ प्रति शत से अधिक ।

(ख) ठीक ठीक आंकड़े बतलाना संभव नहीं है, किंतु नौकरी करने वाले कर्मचारियों में हिन्दी सीखने के लिये वस्तुतः प्रबल इच्छा दिखाई देती है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) उन के अपने कथनानुसार लगभग ३२ प्रति शत ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या सरकार ने ऐसी कोई अवधि नियत की है जिसके अन्दर कि सभी कर्मचारियों से

काम चलाऊ हिन्दी सीखने की आशा की गई है ?

श्री के० डी० मालवीय: नहीं, श्रीमान् । हमने कोई अवधि नियत नहीं की है ।

श्री एन० श्रीकांतन नायर : मैं यह जान सकता हूं कि कितने मंत्री, उपमंत्री और सभा-सचिव हिन्दी नहीं जानते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: हम ने यह विशेष पूछ-ताछ नहीं की है ।

श्री नम्बियार: मैं यह जान सकता हूं कि क्या मंत्री बनने के लिये यह शर्त भी है कि केवल वही व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो हिन्दी जानता हो ?

उपाध्यक्ष महोदय: हमें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहियें ।

श्री फ्रैंक एन्थनी: क्या सरकार को यह बात विदित है कि जो निकाय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की परीक्षा लेते हैं और विशेषतया सशस्त्र सेवाओं के सदस्य, वे उर्दू शब्दों का प्रयोग करने वाले उम्मीदवारों को फ़ेल कर देते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार को यह विदित नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या सरकार के पास कोई एसी योजना है जिससे कि उसके कर्मचारियों को हिन्दी सिखाई जा सके ? क्या कोई पाठ्य-क्रम, कोई सुविधायें और इसी प्रकार की चीज़ें हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: जी हां, सरकार ने हाल ही में पाठशालायें खोली हैं जहां बहुत से कर्मचारीप्र शिक्षण पा रहे हैं और यह इरादा है कि उन की समय समय पर परीक्षा ली जायेगी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या ये पाठशालायें निःशुल्क हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: जी हां ।

श्री बी० एस० मूर्ति: श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि कितनी राज्य सरकारों ने हिन्दी को द्वितीय भाषा के रूप में प्रचलित किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न इस प्रश्न से कैसे उठता है ?

पंडित के० सी० शर्मा: क्या सरकार ने कोई अन्तिम तिथि नियत कर दी है जब तक कि सभी सरकारी नौकरों को हिन्दी अवश्य सीख लेनी चाहिये ?

श्री के० डी० मालवीय: सरकार ने कोई अन्तिम तिथि नियत नहीं की है ।

पंडित के० सी० शर्मा: क्या सरकार का कोई अन्तिम तिथि नियत करने का विचार है ?

उपाध्यक्ष महोदय: मैं ने अगले प्रश्न को लेने के लिये कहा है ।

हिन्दी पुस्तकालय

*७९४. **श्री ए० एन० विद्यालंकार**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित चीज़ों के संबंध में अब तक कहां तक प्रगति हुई है :

(१) केन्द्र में एक आधुनिकतम हिन्दी पुस्तकालय की स्थापना ;

(२) ऐसे लोगों में जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है हिन्दी शिक्षा के प्रसार के लिये 'हिन्दी शिक्षा समिति' नामक एक संघटन की स्थापना; और

(३) अच्छे और उपयोगी हिन्दी साहित्य सृजन को प्रोत्साहित करने में ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (१) और (२) । पुस्तकालय तथा समिति जनवरी १९५२ से कार्य कर रही है ।

(३) हिन्दी में मौलिक रचनाओं तथा हिन्दी में अनुवाद की हुई पुस्तकों के लिये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है ।

श्री एस० एन० दास : क्या म उन पुरस्कारों की संख्या जान सकता हूं जोकि अच्छे हिन्दी साहित्य के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिये घोषित किये गये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : सब पुरस्कारों के लिये लगभग २९,००० रुपये अलग रख दिये गय हैं। इन में से तीन पुरस्कार जिनमें से प्रत्येक पुरस्कार ३,००० रुपये का है अन्य भाषाओं से हिन्दी में सबसे उत्तम अनुवाद के लिये हैं। चार पुरस्कार जिन में से प्रत्येक २,५०० रुपये का है, तीन पुरस्कार जिन में से प्रत्येक ३,००० रुपये का है हिन्दी में मौलिक रचनाओं के लिये हैं, एक पुरस्कार १,००० रुपये का तथा अन्य कई पुरस्कार हैं ।

अखिल भारतीय गोरखा भूतपूर्व-सैनिक कल्याण संघ

*७९५. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) अखिल भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ कब बनाया गया था ;

(ख) क्या यह एक पंजीबद्ध तथा मान्य संघ है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका संविधान, ध्यय और उद्देश्य क्या है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ग) तक । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । (**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४६**)

श्री एस० सी० सामन्त : कल्याण निधि में पूंजी कितनी है ? उस में से कितनी पूंजी विनियोजित की गई है और इस विनियोजित पूंजी से कितनी वार्षिक आय होती है ?

सरदार मजीठिया : जो सूत्र निश्चित किया गया था उस के अनुसार ५४ लाख रुपये नेपाल सरकार का अंश था । और उस में से विदेशी-कार्य मंत्रालय के हस्तक्षेप से १० लाख रुपये इस संघ को दे दिये गये थे ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस निधि में से कुछ राशि ऊनी वस्तुओं के निर्माण के लिये कुटीरोद्योग में विनियोजित की गई है ?

सरदार मजीठिया : श्रीमान्, यह सही है । दार्जिलिंग में एक ऊनी उद्योग आरम्भ किया गया है जिस में २०० भूतपूर्व गोरखा सैनिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं यह जान सकता हूं कि इस संघ के लिये नैपाल की युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि में से कितनी राशि मिली थी ?

सरदार मजीठिया : श्रीमान्, मैं पहिले ही बतला चुका हूं कि यह राशि १० लाख रुपये है ।

मौलिक अनुसन्धान कार्य

*७९८. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने को कृपा करेंगे कि मौलिक अनुसन्धान कार्य करने के लिये विश्वविद्यालयों को अनुदानों के रूप में देने के निमित्त १९५२-५३ के आयव्ययकों में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ?

(ख) यह राशि किस प्रकार बांटी गई है या बांटी जायगी ।

(ग) अनुदान पाने वालों के नाम क्या हैं?

(घ) अनुदान पाने वाले विश्वविद्यालयों में १९४७-४८ से १९५१-५२ तक प्रति वर्ष कौन-कौन से मौलिक अनुसन्धान कार्य किये गये ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) विश्वविद्यालयों को मौलिक अनुसन्धान के निमित्त अनुदान देने के लिये १९५२-५३ के आयव्ययक में २.७३ लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त इसी प्रयोजन के लिये अणु शक्ति आयोग और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक शिक्षा व अनुसन्धान के विकास के लिये अलग से दी गई राशि में से भी कुछ अनुदान दिये जाते हैं।

(ख) से (घ) तक। एक विवरण, जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। **(देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४७।)**

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि कितने स्कालर्स (छात्र) विभिन्न विश्वविद्यालयों में काम करते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास उन के नाम तो नहीं हैं, मगर कुछ सूचनायें जो माननीय सदस्य ने मांगी हैं, वह जवाब में दी गई हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि पटना और मद्रास विश्वविद्यालय ने इस मौलिक गवेषणा के लिये ग्रांट (अनुदान) की मंजूरी की कोई प्रार्थना की है ?

श्री के० डी० मालवीय : जिन युनिवर्सिटीज़ (विश्वविद्यालयों) से दरख्वास्त आई हैं उन सब की फेहरिस्त मेरे पास नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : स्टेटमेंट (विवरण) में देखा जाता है कि एक एक्सपर्ट कमेटी (विशेषज्ञ समिति) इंडीविजुअल स्टाइपैंड (वैयक्तिक छात्रवृत्तियों) के लिये बनाई जायेगी। क्या मैं जान सकता हूं कि वह कब तक बनेगी और वे स्कालर कब तक स्टाइपैंड (छात्रवृत्ति) पा सकेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास इस समय इस की सूचना नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि मौलिक गवेषणा के लिये एन० आर० और एस० आर० मिनिस्ट्री (प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय) ने कुछ रुपया विश्वविद्यालयों को दिया है या नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं, यह तो एजुकेशन मिनिस्ट्री (शिक्षा मंत्रालय) द्वारा युनिवर्सिटी को सहायता दी जाती है।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं यह जान सकती हूं कि क्या कोई राशि त्रावनकोर-विश्वविद्यालय को भी दी गई है और यदि हां, तो कितनी ?

श्री के० डी० मालवीय : इन अनुदानों में त्रावनकोर विश्वविद्यालय को सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री वी० पी० नायर : मैं यह जान सकता हूं कि क्या कोई विदेशी राष्ट्रीयता के वैज्ञानिक भारत में मौलिक अनुसन्धान का कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो इन विदेशी वैज्ञानिकों को कुल कितनी राशि दी जाती है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे खेद है कि यह प्रश्न इस प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न के रूप में नहीं पूछा जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : ये अनुदान मौलिक अनुसन्धान केन्द्रों को दिये जाते हैं और विदेशी छात्रों को नहीं।

श्री वी० पी० नायर : मैं यह जान सकता हूं कि क्या किसी विश्वविद्यालय में मौलिक अनुसन्धान कार्य में कोई विदेशी वैज्ञानिक भी लगा हुआ है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री पुन्नूस : क्या मैं उन विश्वविद्यालयों के नाम जान सकता हूं जिन्हें यह अनुदान

मिला था और प्रत्येक को कितनी राशि दी गई थी ?

श्री के० डी० मालवीय : २.७३ लाख रुपये की यह राशि विश्वविद्यालयों को इस प्रयोजन के लिये दी गई है । जिन विश्वविद्यालयों को अनुदान मिले हैं उनके नाम विवरण में दिये हुए हैं । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें पढ़ कर सुना देता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह एक लम्बी सूची है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह बहुत लम्बी नहीं है । मैं उन्हें पढ़ कर सुनाये देता हूं ।

दिल्ली विश्वविद्यालय	२८,५७२ रुपये
इलाहाबाद विश्वविद्यालय	६,३९० रुपये
लखनऊ विश्वविद्यालय	१०,९२० रुपये
कलकत्ता विश्वविद्यालय (न्यष्टि-भौतिक विज्ञान संस्था)	१,९८,२८४ रुपये

श्री पुन्नूस : मैं यह जान सकता हूं कि क्या किसी अन्य विश्वविद्यालय ने भी इस सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र दिया था और क्या ऐसा कोई प्रार्थनापत्र अस्वीकृत कर दिया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इस समय इसका पता नहीं है ।

श्री नम्बियार : मैं यह जान सकता हूं कि विशेष रूप से मद्रास तथा अन्नमलाई विश्वविद्यालय इस सूची में क्यों नहीं हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : सम्भवतः उन्होंने प्रार्थनापत्र नहीं दिया ।

डा० रामा राव : मैं यह जान सकता हूं कि आन्ध्र विश्वविद्यालय को कोई अनुदान क्यों नहीं दिया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्यों के पास इस सम्बन्ध में कोई तथ्य हैं कि इन विश्वविद्यालयों ने प्रार्थनापत्र भेजे हैं ?

डा० रामा राव : इस बात से इन्कार करना उनका काम है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नों में कुछ सार होना चाहिये । यदि किसी माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई सूचना हो कि आन्ध्र विश्वविद्यालय ने प्रार्थनापत्र भेजा था और अनुदान नहीं दिया गया तब तो सदन में अच्छी प्रकार इसका उत्तर पूछा जा सकता है । किसी के पास कोई सूचना तो है हीं नहीं और केवल अन्धाधुन्ध प्रश्न पूछे जा रहे हैं ।

श्री मेघनाद साहा : मैं यह जान सकता हूं कि क्या प्रस्तावित विश्वविद्यालय अनुदान समिति न केवल केन्द्रीय विश्व विद्यालयों के ही अपितु सभी विश्वविद्यालयों के अनुसन्धान के अनुदान के लिये प्रार्थनापत्रों पर विचार करने की सोच रही है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : हां, मगर यह तो इस पर मौकूफ (निर्भर) है कि उस वक्त गवर्नमेंट आफ इंडिया (भारत सरकार) की फाइनेन्शियल (वित्तीय) हालत क्या है और कहां तक वह मदद कर सकती है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : ये अनुदान किस आधार पर दिये जाते हैं ? क्या ये किसी विश्वविद्यालय में किये जा रहे मौलिक अनुसन्धान के आधार पर दिये जाते हैं अथवा विश्वविद्यालय के ही प्रार्थनापत्र के आधार पर दिये जाते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : ये अनुदान विश्वविद्यालयों द्वारा सुझाये गये विशेष कार्यों के आधार पर दिये जाते हैं और इन विशेष कार्यों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से यह सहायता दी जाती है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या यह सत्य नहीं है कि आन्ध्र विश्वविद्यालय ने प्रार्थनापत्र दिया था और उसे कोई अनुदान नहीं दिया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इस बात का पता नहीं है। मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय शिक्षा मंत्री को यह विदित है कि राधाकृष्णन् समिति ने यह सिफारिश की थी कि अनुसन्धान सम्बन्धी अनुदान न केवल केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों को, अपितु सभी विश्वविद्यालयों को एक स्वायत्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये जाने चाहियें ?

मौलाना आज़ाद : कमीशन (आयोग) की बहुत-सी सिफारिशें इस तरह की हैं, लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया (भारत सरकार) की जेब खाली है।

श्री एन० पी० दामोदरन : मैं यह जान सकता हूं कि क्या दक्षिण भारत के किसी विश्वविद्यालय ने अनुदान के लिये प्रार्थनापत्र दिया है ?

श्री गिडवानी : यह जेब खाली होते हुए कैसे मन्त्रियों की तादाद बढ़ाई जाती है ?

अपराधी आदिमजातियों के कल्याण की योजना

*७९९. **श्री तुषार चटर्जी** : (क) क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अपराधी आदिमजातियों के कल्याण बोर्ड ने अपराधी आदिमजातियों के कल्याण के लिये एक पंचवर्षीय योजना की सिफारिश की है ?

(ख) यदि हां, तो इस योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है और सरकार इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

(ग) इस योजना पर कितना धन व्यय होगा और उसे कैसे पूरा किया जाने का विचार है ?

(घ) क्या सरकार का अपराधी आदिमजाति विभाग को फिर से खोलने का विचार है ?

(ङ) यदि हां तो यह क्यों और कहां फिर से खोला जायेगा ?

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) जी हां।

(ख) तथा (ग)। मैं एक विवरण सदन-पटल पर रखता हूं जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है। [**देखिये परिशिष्ठ ४, अनबन्ध संख्या ४८,**]

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री तुषार चटर्जी : विवरणों में यह बताया गया है कि भूतपूर्व अपराधी आदिम-जातियों की स्थिति पर चर्चा करने के लिये,

> "तदनुसार संसद् के अगले सत्र के समय तक एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया गया था।"

मैं यह जान सकता हूं कि किन्हीं राजनीतिक संघटनों के प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन के लिये बुलाया जायगा ?

श्री दातार : उन्हें बुलाया जायेगा।

श्री वेलायुधन : मैं यह जान सकता हूं कि इस योजना की विशेषतायें क्या हैं और क्या किसी राज्य सरकार ने इस योजना को क्रियान्वित किया है ?

श्री दातार : सरकार के पास कोई योजना नहीं है। यह योजना लोक सेवक समाज के भूतपूर्व अपराधी आदिमजाति बोर्ड ने प्रस्तुत की है और सरकार यह जानना चाहती है कि क्या कोई और भी संघटन है जिनके पास इसी प्रकार की कोई योजना है। उन सभी योजनाओं पर विचार किया जायेगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो उचित अनुदान भी दिये जायेंगे।

श्री तुषार चटर्जी : मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास भूतपूर्व-अपराधी आदिमजातियों की श्रेणी में आने वाले लोगों की संख्या के बारे में आंकड़े हैं ?

श्री दातार : उन की संख्या लगभग ४० लाख है।

श्री टी० एस० मूर्ति : मैं यह जान सकता हूं कि क्या मद्रास सरकार ने राज्य में

अपराधी आदिमजातियों के काम को आगे बढ़ाने के लिये कोई योजना प्रस्तुत की थी ?

श्री दातार : जी नहीं ।

श्री वीरस्वामी : मैं यह जान सकता हूं कि क्या ये आदिमजातियां अब भी अपराधी हैं, जो यह घृणित शब्द इनके लिये प्रयोग किया जाता है ?

श्री दातार : वे भूतपूर्व-अपराधी आदिम-जातियां हैं, वर्तमान अपराधी आदिमजातियां नहीं ।

श्री दाभी : मैं यह जान सकता हूं कि क्या अपराधी आदिमजाति अधिनियम अब भी किसी राज्य में लागू है ?

श्री दातार : दुर्भाग्य से यह कुछ भाग ख राज्यों में अब भी लागू है ।

श्री के० जी० देशमुख : मैं यह जान सकता हूं कि क्या इन निकायों को अनुदान राज्य सरकारों की स्वीकृति से दिये जायेंगे अथवा उन्हें सीधे ही दिये जायेंगे ?

श्री दातार : इस प्रश्न पर तो सम्मेलन विचार करेगा । वे सीधे उन संघटनों को भी दिये जा सकते हैं अथवा उन राज्यों के विभिन्न संघटनों में वितरण के लिये वहां की राज्य सरकारों को भी दिये जा सकते हैं ।

श्री दाभी : यह अधिनियम किन राज्यों में लागू है ?

श्री दातार : मैं समझता हूं कि सम्भवत: राजस्थान भी इनमें से एक है ।

विस्थापित सरकारी नौकरों के वेतन आदि निश्चित करने सम्बन्धी दावे

*८००. **डा० रामा राव** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसे विस्थापित सरकारी नौकर हैं जिन्हें स्थानान्तरण विभाग द्वारा रक्षा मन्त्रालय के अधीनस्थ पदों पर नियुक्त किया गया था और जिनके न्याय्य वेतन तथा भत्तों के निश्चित करने सम्बन्धी दावे अब भी विचाराधीन हैं ?

(ख) यदि हां, तो कितने दावे इस प्रकार विचाराधीन पड़े हुए हैं और कितने समय से पड़े हैं ।

(ग) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त सरकारी नौकरों में से कुछेक को छटनी करके निकाल दिया गया है ?

(घ) यदि हां, तो क्या यह गृहकार्य मन्त्रालय के उन आदेशों का उल्लंघन करके किया गया था जिनमें प्रव्रजन करने वाले स्थायी सरकारी नौकरों की नौकरी की सुरक्षा का विश्वास दिलाया गया है ?

(ङ) इस प्रकार की भूल, यदि कोई हुई है तो, कैसे हुई और इसके लिये जो व्यक्ति उत्तरदायी हैं उन्हें दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : जहां तक रक्षा मन्त्रालय (मुख्य सचिवालय) और सशस्त्र बल प्रधान कार्यालय का सम्बन्ध है उनके सम्बन्ध में सूचना नीचे दी जाती है । निम्न कार्यालयों के सम्बन्ध में सूचना एक-त्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र पटल पर रख दी जायेगी ।

(क) जी हां ।

(ख) सात विस्थापित सरकारी नौकरों के वेतन निश्चित करने के सम्बन्ध में दावे विचाराधीन हैं--दो लगभग एक वर्ष से और पांच लगभग ३ से लेकर ४ वर्ष से ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) तथा (ङ)। प्रश्न नहीं उठते ।

समुद्री जैविक केन्द्र (अन्डेमान)

*८०१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **तिक संसाधन तथा वज्ञानिक अनुसन्धान** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अंडेमान में समुद्री जैविक केन्द्र स्थापित

करने के निमित्त योजना बनाने के लिये एक योजना पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो प्राकृतिक समुद्र चित्रेण के अध्ययन के सम्बन्ध में उसकी क्या उपपत्तियां हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय):

(क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

क्या मुझे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने की आज्ञा दी जा सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय: क्या यह लम्बा वक्तव्य है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह छोटा-सा है ।

वैज्ञानिक कार्यों में समायोजन स्थापित करने वाली परामर्शदातृ समिति ने ऐसी कुछ सिफारिशें १९५० में अवश्य की थीं जिन का कि माननीय सदस्य ने संकेत किया है । किन्तु बाद में भूभौतिकी के केन्द्रीय बोर्ड ने समुद्री जीव-विज्ञान तथा समुद्रचित्रण के सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की थी और वह समिति समुद्री जीवविज्ञान तथा समुद्र-चित्रण और मछली उद्योग के वैज्ञानिक विकास सम्बन्धी सभी प्रश्नों पर विचार कर रही है । इसने कुछ सिफारिशें की हैं जिनकी वित्त, रक्षा और प्राकृतिक संसाधन के मंत्रालयों द्वारा परीक्षा की जा रही है ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री के वक्तव्य से उठने वाले इस प्रश्न के सम्बन्ध म मैं यह जान सकता हूं कि क्या समुद्री जीव-विज्ञान तथा समुद्रचित्रण के विषय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन हैं ? यदि हां, तो मैं यह जान सकता हुं कि इन विषयों को प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय के अधीन विषयों में क्यों नहीं सम्मिलित किया गया ?

श्री के० डी० मालवीय: समुद्री जीव-विज्ञान तथा समुद्रचित्रण म अनुसंधान का कार्य प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनु-संधान मंत्रालय के अधीन नहीं है । जहां तक इन सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने का प्रश्न है, यह कृषि मंत्रालय या अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों द्वारा किया जाता है ।

श्री वी० पी० नायर: मेरा प्रश्न यह नहीं है । मैंने तो विषय के सम्बन्ध में पूछा था । मैंने अनुसन्धान की ओर निर्देश नहीं किया था । मेरा प्रश्न यह है कि इन विषयों को प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्रालय के अधीन क्यों नहीं किया गया ?

श्री के० डी० मालवीय : इन विषयों का अध्ययन हमारा भी एक काम है ।

श्री वी० पी० नायर : मेरा तात्पर्य विषयों के अध्ययन से नहीं था .....

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वज्ञानिक सअनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : जी हां ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान् माननीय मंत्री ने कहा था कि यह विषय भू-भौतिकी के क्षेत्र में आ गया है । मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार का एक केन्द्रीय समुद्र चित्रण संस्था खोलने का कोई इरादा है ? यदि है, तो यह कहां खोली जायेगी ?

श्री के० डी० मालवीय: जैसा कि मैंने बताया इस प्रश्न पर समुद्र चित्रण तथा समुद्री जीवविज्ञान सम्बन्धी उपसमिति विचार कर रही है । ज्यों ही सरकार इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करेगी हम उसे घोषित कर देंगे ।

संश्लिष्ट अभ्रक

***८०२. श्री एन० पी० सिन्हा :प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान**

मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में संश्लिष्ट अभ्रक के उत्पादन के लिए कोई अनुसन्धान कार्य आरम्भ किया गया है ?

(ख) क्या अभ्रक का आयात करने वाले देशों ने इस प्रकार का कोई अभ्रक तैयार किया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवी) : (क) जी नहीं।

(ख) "संश्लिष्ट अभ्रक" से अभिप्राय: उस अभ्रक का है जो इसके संघटकों या अन्य पदार्थों से तैयार किया जाता है। इस प्रकार का अभ्रक अभी तक तैयार नहीं हुआ है यद्यपि यह दावा किया जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कतिपय प्रयोगशालाओं ने अपेक्षतया छोटे आकार के अभ्रक के स्फटिक तैयार कर लिये हैं।

श्री टेकचन्द : क्या सरकार को यह विदित है कि अभ्रक हिमालय में कुल्लू की तरफ बड़ी सरलता से बड़े परिमाण में मिलता है ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान् अभ्रक हमारे देश में बहुतायत से मिलता है।

श्री एन० पी० सिन्हा : श्रीमान् मैं यह जान सकता हूं कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका वालों ने अभ्रक के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली कोई सर्वमान्य चीज निकाल ली है जिसका इस देश से अभ्रक के निर्यात पर काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

श्री के० डी० मालवीय : संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ अनुसन्धान किये जा रहे हैं और अभ्रक के टुकड़ों से 'सेमाइका' नामक एक चीज़ तैयार की गई है। परन्तु अभी तक निश्चय-पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता कि अभ्रक के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली कोई वास्तविक चीज़ निकाल ली गई है या नहीं।

श्री एन० पी० सिन्हा : क्या यह सत्य है कि अभ्रक के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली इस नई चीज़ के निकल आने के कारण हमारा निर्यात कम हो गया हैऔर इस उद्योग में बड़ी भारी मंदी भी आ गई।

श्री के० डी० मालवीय : हम अभ्रक के निर्यात में हुई हाल की कमी का कारण अमरीकनों की संश्लिष्ट अभ्रक की खोज को ही बिल्कुल नहीं कह सकते।

श्री टेकचन्द : हमारे देश के अभ्रक के घन का पूरा पूरा उपयोग उठाने के लिए यदि कोई प्रयत्न किये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान् एक अभ्रक समिति बना दी गई है और यह देश में मिलने वाले कच्चे पदार्थ का पूरा पूरा उपयोग उठाने के सम्बन्ध में सभी प्रश्नों पर विचार कर रही है।

केन्द्रीय अभ्रक मंत्रणादाता बोर्ड

***८०३. श्री एन० पी० सिन्हा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय अभ्रक मंत्रणादाता बोर्ड कब बनाया गया था ?

(ख) इस के सदस्य कौन कौन हैं ?

(ग) इसके कृत्य क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के०डी० मालवीय) : (क) केन्द्रीय अभ्रक मंत्राणादाता समिति ३१ अक्तूबर १९४६ को बनाई गई थी।

(ख) एक विवरण, जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४९**]

(ग) यह समिति सरकार को अभ्रक के व्यापार तथा उद्योग से सम्बन्धित सभी विषयों पर मंत्रणा देती है।

श्री एन० पी० सिन्हा : विवरण से मैं देखता हूं कि इस में विभिन्न संघों के काफी प्रतिनिधि हैं। श्रीमान् मैं यह जान सकता हूं कि क्या ये संघ पंजीबद्ध संघ हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, मैं विशेष रूप से इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता किन्तु मैं समझता हूं कि ये आवश्य ही पंजीबद्ध संघ होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री नानादास खड़े हुए --

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने अगला प्रश्न लेने के लिये कहा है ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंमालय क भूतपूर्व सचिव क विरुद्ध आरोप

* ८०४ **श्री के० सब्रह्मण्यम** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने कृपा करेंग :

(क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या उसे पूर्णतया निर्दोष ठहरा दिया गया है ;

(ग) क्या इस मंत्रालय का अन्य कोई व्यक्ति भी इस जांच में अन्तर्ग्रस्त था;

(घ) क्या यह सम्बद्ध पदाधिकारी अभी सरकारी सेवा में लगा हुआ है और यदि हां, तो कहां और किस पद पर;

(ङ) क्या उसे जांच समिति द्वारा निर्दोष ठहराये जाने से पहले उस पद पर नियुक्त किया गया था या बाद में ;

(च) क्या यह सत्य है कि उस के विरुद्ध एक आरोप यह था कि उसने लाखों रुपये का एक महल बना लिया था; और

(छ) क्या उस आरोप की भी जांच की गई है और उसे निराधार पाया गया है ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) से (छ) तक। जांच की जा रही है और इस अवस्था में अपेक्षित जानकारी बतलाना सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम: श्रीमान्, क्या यह सत्य है कि दक्षिण भारत के साइकिल वस्तुओं के एक व्यापारी ने अपन बही-खातों में इस बात का उल्लेख किया था कि एक लाख रुपये से अधिक की राशि सचिव को दी गई थी और उसी से जांच आरम्भ हुई थी ?

श्री दातार : मुझे विदित नहीं है ।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं उस भद्रपुरुष का नाम जान सकती हूं ?

श्री दातार : इस अवस्था में उसे बतलाया नहीं जा सकता ।

श्रीमती ए० काले: वह वाणिज्य विभाग का सचिव होना चाहिये था । तो उस का नाम क्यों नहीं बतला दिया जाता ?

श्री दातार: तब तो उस का नाम ज्ञात ही है ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : क्या यह सत्य है कि इस जांच को दबा लेने के लिये केन्द्रीय सरकार पर सभी प्रकार का प्रभाव डाला जा रहा है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : यह बिल्कुल झूट है ।

श्री एन० श्रीकांतन नायर : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या वह पदाधिकारी अब भी नौकरी में लगा हुआ है ?

श्री दातार : वह पदाधिकारी अब भी नौकरी में लगा हुआ है किन्तु यहां नहीं ।

श्री पुन्नूस : वह कहां है...

श्री दामोदर मैनन : इस समय वह कहीं नौकरी में लगा हुआ है और उस की वर्तमान नौकरी क्या है ?

श्री दातार : वह उसी राज्य को वापिस चला गया है जहां से कि वह आया था ।

श्री एस० एस० मोरे : जांच किस अवस्था तक पहुंच चुकी है ?

श्री दातार : जांच की अवस्था ? यह लाभ : अन्तिम अवस्था में है ।

श्री एस० एस० मोरे : यह कोई उत्तर नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि हम जांच की किस विशष अवस्था तक पहुंच चुके हैं ?

श्री दातार : इस की अभी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि यद्यपि सम्बद्ध पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप विचाराधीन हैं किन्तु उसे निलम्बित क्यों नहीं किया गया है ?

श्री दातार : यह आवश्यक नहीं समझा गया ।

श्री निम्बयार : इस बात को देखते हुए कि यह मामला अभी पूरा नहीं हुआ है और उस के विरुद्ध अपराध लगा हुआ है क्या मद्रास सरकार के लिये उसे नियुक्त करना ठीक है और यदि ऐसी बात है, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उस की नियुक्ति न होने देने के लिये कुछ किया है ?

श्री दातार : यह प्रश्न सर्वथा समय से पूर्व है । किसी मनुष्य के विरुद्ध केवल अपराध लगाने का यह अर्थ नहीं कि वह दोषी है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार इस पदाधिकारी को तुरन्त निलम्बित कर की वांछनीयता पर विचार करेगी ? (**अन्तर्बाधा**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब प्रश्न पूछिये । मैं भावावेश को कोई स्थान नहीं दे सकता ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम : क्या पुलिस की जांच के समय सम्बद्ध सचिव घर में नज़रबन्द था ? (**अन्तर्बाधायें**)

श्री नामधारी : श्रीमान्, सूचना के हेतु मैं पूछना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम : क्या पुलिस की जांच के समय सम्बद्ध सचिव कुछ समय के लिये अपने घर में नज़र बन्द था ? (**अन्तर्बाधायें**)

श्री दातार : श्रीमान, मैं प्रश्न समझ नहीं सका ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मुझे समझ में नहीं आता कि इतना भावावेश क्यों है । इस में सन्देह नहीं कि यह एक रुचिकर प्रश्न है । परन्तु प्रश्न नियमपूर्वक पूछे जाने चाहियें और उनके उत्तर प्राप्त किये जाने चाहिये । माननीय सदस्य का प्रश्न क्या है ?

श्री के० सुब्रह्मण्यम : श्रीमान्, क्या यह सत्य है कि पुलिस की जांच के समय सम्बद्ध सचिव अपने घर में नज़र बन्द था ?

श्री दातार : जहां तक मैं जानता हूं ऐसा नहीं हुआ ।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं यह जान सकती हूं कि इस भद्रपुरुष की अर्हतायें क्या हैं और यह कितने वर्ष से नौकरी कर रहा है ?

श्री दातार : यदि मैं गलती नहीं करता तो वह भारतीय असैनिक सेवा का सदस्य है। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि वह कितने वर्ष से नौकरी कर रहा है।

श्री बोगावत : इस भद्रपुरुष को निलम्बित न करने का क्या कारण है ?

श्री दातार: सरकार ने उसे निलम्बित करना आवश्यक नहीं समझा।

श्री वी० पी० नायर: श्रीमान् मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस पदाधिकारी को राज्य सेवा में लौटाते हुए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को यह लिख दिया था कि उसका आचरण बहुत ही निन्दनीय रहा है और उस की जांच की जानी है ?

डा० काटजू: वे यह पहिले ही जानते हैं।

श्री केलप्पन :क्या वह पदाधिकारी अब मद्रास राजस्व बोर्ड का प्रमुख सदस्य है ?

श्री दातार: मुझे पूर्वसूचना मिलनी चाहिये।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं यह जान सकता हूं कि इस में और कितने व्यक्ति सम्मिलित हैं ? (**अन्तर्बाधायें**)

श्री फ़ीरोज़ गांधी: क्या यह सत्य है कि जब जांच आरम्भ हुई थी तो उस समय यह पदाधिकारी निलम्बित था ?

डा० काटजू: साधारणतया यह प्रथा नहीं है। प्रत्येक मामले पर उसके गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है।

श्री फ़ीरोज़ गांधी : विशेष रूप से इस मामले म जब जांच आरम्भ हुई थी तो क्या उस समय वह पदाधिकारी निलम्बित था ?

श्री दातार : मुझे पक्का पता नहीं है कि वह निलम्बित था या नहीं।

श्री फ़ीरोज़ गांधी: माननीय मंत्री के इन शब्दों का क्या अभिप्राय है कि ' मुझे पक्का पता नहीं है ' ?

सरदार ए० एस० सहगल: क्या सरकार जांच करेगी ... (**अन्तर्बाधायं**)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त

प्रश्नों के लिखित उत्तर

त्रिपुरा में विकास योजनायें

*७८९. **श्री बीरेन दत्त**: (क) क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने त्रिपुरा में कोई विकास योजना आरम्भ की है ?

(ख) क्या इस में जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये त्रिपुरा में इस का प्रचार किया गया है ?

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित निदेशक सिद्धान्तों के अनुसार कार्यकर्त्ताओं का एक निकाय संगठित करने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख)। कृषि, सड़क निर्माण, शिक्षा, चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य और आदिमजाति क्षेत्रों के कल्याण सम्बन्धी विकास योजनायें आरम्भ की गई हैं। इन योजनाओं की मोटी मोटी बातों का राज्य में स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा काफ़ी प्रचार किया गया है।

(ग) त्रिपुरा के विकास बोर्ड में मुख्यायुक्त, विभागों के सचिव तथा दो गैर-सरकारी सदस्य हैं। एक विकास समिति भी बनाई गई है जिस में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी तथा कुछ एक गैर सरकारी सदस्य हैं। भारत सेवक समाज को भी संगठित किया जा रहा है।

भारतीय शस्त्र अधिनियम

*७९६. **श्री यू० सी० पटनायक** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय शस्त्र अधिनियम को अधिक उदार बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का वर्तमान अधिनियम में किस ढंग का संशोधन करने का विचार है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान

*७८७ **श्री यू० सी० पटनायक** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

(क) क्या संविधान के पारित होने के पश्चात् अनुच्छेद ५३(२) के अधीन राष्ट्रपति में निहित भारत के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान की शक्तियों को विनियमित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रपति ने किस अधिकार के अधीन जर्मनी और जापान के साथ भारत के महायुद्ध समाप्त कर देने की दो अधिसूचनायें जारी कीं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ख)। युद्ध और शान्ति घोषित करने की शक्तियां उस व्यक्ति में निहित नहीं होतीं जिस के पास सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमान होती है। ये तो सर्वोच्च कार्यपालिका के कृत्य हैं। ये सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि १५ के साथ पढ़ने पर अनुच्छेद ७३(१) के अधीन संघ कार्यपालिका के क्षेत्र में आ जाते हैं और तदनुसार संविधान के अनुच्छेद ५३(१) के अधीन कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति इस विषय में राज्य का प्रमुख होने के नाते कार्य करता है उसके पास सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमान होने के नाते नहीं।

विदेशी बैंकों में जमा की हुई सम्पत्ति

*८०५. **श्री एच० एन० मखर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय नागरिकों ने १५ अगस्त १९४७ से आज तक (जहां तक सम्भव हो सके) भारत से बाहर के बैंकों में कितनी सम्पत्ति जमा करवाई ?

वित्त उपमन्त्री (श्री एम० सी० शाह) : भारतीय नागरिकों को १५ अगस्त १९४७ से आज तक भारत से बाहर के बैंकों में कोई सम्पत्ति जमा करवाने की अनुमति नहीं दी गई।

दुर्भिक्ष सहायता तामिलनाड

*८०६. **श्री बालकृष्णन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तामिलनाड में दुर्भिक्ष पीड़ितों की सहायता के कार्य के लिये सैनिक कमचारी नियुक्त किये गये थे ;

(ख) क्या सैनिकों को सहायता कार्य के लिये पालनी ताल्लुका भेजा गया था; और

(ग) यदि हां, तो सैनिक कर्मचारियों ने पीड़ित क्षेत्रों में किस प्रकार का सहायता कार्य किया था ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) इंजीनियरों की तीन फ़ील्ड कम्पनियों को तामिलनाड में दुर्भिक्ष सहायता कार्य के लिये नियुक्त किया गया था।

(ख) एक फ़ील्ड कम्पनी की एक पलटन को पालनी में सहायता कार्य के लिये नियुक्त किया गया था।

(ग) ९६ कुएं गहरे किये गये थे और उन में से पर्याप्त पीने का पानी निकाला गया था ।

संश्लिष्ट चावल

८०७. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) संश्लिष्ट चावल के बड़े पैमाने पर उत्पादन की सम्भावनाओं की जांच करने तथा इसके निर्माण के बहुत थोड़े खर्च वाले तथा शीघ्रता पूर्ण विकास को प्राप्त करने की एक विस्तृत योजना बनाने के लिये जो समिति बनाई गई है उस के निर्देश्य पद क्या हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार का चावल किसी मात्रा में भारत में तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो किस अभिकरण द्वारा और यह साधारण चावल की तुलना में कैसा उतरता है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) यह समिति संश्लिष्ट चावल के बड़े पैमाने पर उत्पादन की सम्भावनाओं की जांच करने तथा संश्लिष्ट चावल के बड़े पैमाने पर औद्योगिक तथा व्यावसायिक पहलुओं पर भारत सरकार को प्रतिवेदन देने और इसे बेचने के लिये आवश्यक व्यवस्था को सुझाने के निमित्त नियुक्त की गई थी ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसन्धान संस्था, मैसूर में केवल थोड़ी मात्रा में प्रयोगात्मक रूप से इस का उत्पादन किया गया है । संश्लिष्ट चावल की रचना में इस प्रकार समन्वय स्थापित किया गया है जिस से कि यह प्राकृतिक चावल से थोड़ा सा अच्छा रहे । संश्लिष्ट चावल ८ से १० मिनट में पक जाता है जब कि इस तुलना में प्राकृतिक चावल को पकाने में लगभग २० मिनट लगते हैं । पके हुए संश्लिष्ट चावल को प्राकृतिक चावल के समान ही नाना प्रकार के पक्वान्न बनाने के काम में लाया जा सकता है ।

भारत में वैज्ञानिक कार्य

*८०८. **श्री राघवय्या :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के सचिव श्री भटनागर से उन की हाल की रूस यात्रा के अनुभवों के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो क्या उन के प्रतिवेदन अथवा उस के सारांश को सदन पटल पर रखा जायेगा ?

(ग) क्या सरकार ने उन के प्रतिवेदन के किसी पहलू पर भारत में वैज्ञानिक कार्य को सुधारने के लिये लागू करने की दृष्टि से विचार किया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रतिवेदन की बातों को बताना जनहित में उचित नहीं होगा ।

(ग) सरकार सभी ओर से इस प्रकार के सुझावों का सदा स्वागत करती है जिन से कि वैज्ञानिक कार्य में सुधार होने की सम्भावना हो ।

त्रिपुरा में पुलिस शिविर

*८०९. **श्री दशरथ देव :** (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सामान्य चुनावों के पश्चात् त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने नये पुलिस शिविर स्थापित किये गये हैं ?

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितने स्कूल के भवनों का अधिग्रहण किया गया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) दोनों का उत्तर 'कोई नहीं' है।

विकास तथा पुनर्निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय बक

* ८१० **श्री ए० सी० गुहा** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विकास तथा पुनर्निर्माण के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने अपने जन्मकाल से कोई लाभ कमाया है ;

(ख) यदि हां, तो इसे प्रतिवर्ष कितने प्रति शत लाभ होता है और इस लाभांश का कैसे प्रयोग किया जा रहा है ; और

(ग) क्या इस बैंक की कार्यपद्धति तथा किसी साधारण बैंक की कार्यपद्धति में कोई भेद है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) मैं एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। [**देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या ५०**]

(ग) किसी साधारण बैंक तथा पुनर्निर्माण व विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की कार्यपद्धति में मुख्य भेद उनकी ऋण देने की नीति तथा धन के साधन के सम्बन्ध में है। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक अपने हिस्सेदारों को आर्थिक विकास के लिये दीर्घकालीन ऋण देता है जब कि एक साधारण बैंक केवल अल्पकालीन ऋण ही दे सकता है। इसी कारण किसी साधारण बैंक का धन अधिकांशतया थोड़े समय के लिये जमा होने वाली पंजी से प्राप्त होता है। इस के विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय बैंक अपने साधन सदस्य देशों द्वारा इस की अंश पूंजी में दिये गये अंशदानों और बैंक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय धन के बाज़ारों में समय समय पर जारी की गई दीर्घकालीन हुंडियों से जुटाता है। एक और महत्वपूर्ण भेद यह है कि एक साधारण बैंक के प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ऋण देते समय लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा ऋण प्राप्त करने वाले देश की आर्थिक आवश्यकता को ध्यान में रख कर ऋण देता है।

तापीय संयन्त्र

* ८११ **श्री पुन्नूस** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी को ट्रोम्बे में एक तापीय (थर्मल) संयन्त्र स्थापित करने की अनुज्ञप्ति दी गई है;

(ख) यदि हां, क्या एक नई कम्पनी के बनने की सम्भावना है और इस की अधिकृत पूंजी क्या होगी ;

(ग) क्या सरकार का इस उपक्रम की पूंजी या प्रबन्ध में कोई भाग होगा; और

(घ) क्या इस संयन्त्र के लिये ऋण के निमित्त अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से बात चीत हो रही है और यदि हां, तो यह बात चीत किस आधार पर हो रही है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एस० पी० शाह) : (क) अभी तक कोई अनुज्ञप्ति नहीं दी गई है, किन्तु बात चीत चल रही है और टाटा वाले अनुज्ञप्ति के लिये प्रार्थनापत्र दे रहे हैं।

(ख) सम्भवतः एक नई कम्पनी बन रही है। राज्य सरकार को अनुज्ञप्ति के लिये प्रार्थना-पत्र मिलते ही स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

(घ) हां, श्रीमान्। किन्तु इस अवस्था में विस्तृत ब्यौरा तथा बात चीत का आधार

बतलाना उचित नहीं होगा क्योंकि यह गोपनीय है।

विदेशों में पढ़ने वाले विद्यार्थी

*८१२ **श्री एस० वी० रामास्वामी :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों में से इस समय प्रत्येक अन्य देश में पढ़ने वाले कितने विद्यार्थियों को केन्द्रीय सरकार की छात्रवृत्तियां मल रही हैं?

(ख) इस प्रकार की छात्रवृत्तियां की कुल राशि कितनी है।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क)–

(१) ब्रिटेन	३६
(२) संयुक्त राज्य अमेरिका	५०
(३) पश्चिमी जर्मनी	६८

(ख) इस प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिये १९५२-५३ के आय-व्ययक में कुल निम्नलिखित राशि स्वीकार की गई है :–

(१) ब्रिटेन	१,७३,०००
(२) संयुक्त राज्य अमेरीका	१,२१,०००
(३) पश्चिमी जर्मनी	१,९३,०००

अनुसूचित आदिमजातियों की शिक्षा

*८१३ **श्री रिशांग किशिंग** : (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने अनुसूचित आदिमजातियों के विद्यार्थियों के विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये अभी तक कोई भी छात्रवृत्ति अलग नहीं रखी है?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का अब ऐसा करने का विचार है?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां।

(ख) यह विषय विचाराधीन है।

विभाजन के कारण हुई रिक्तियां

*८१४ **श्री गिडवानी** : क्या **गृहकार्य** मंत्री विभाजन के कारण हुई रिक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में २८ सितम्बर, १९५१ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३३२ के उत्तर को निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस में जो जानकारी देने का वचन दिया गया था उस के कब तक सदन पटल पर रख जाने की सम्भावना है?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : वह जानकारी अभी भी एकत्रित की जा रही है और पूरी होते ही सदन पटल पर रख दी जायेगी।

पन्ना के हीरे के क्षेत्र

*८१५ **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार विन्ध्य प्रदेश में पन्ना के हीरे के क्षेत्रों को कितने प्रति शत स्वामिस्व पर पट्टेदारों को पट्टे पर देती है;

(ख) क्या निश्चित प्रतिशतक उस क्षेत्र की भूतपूर्व सरकारों द्वारा लिये जाने वाले प्रतिशतक से कम है या अधिक है;

(ग) क्या यह सत्य है कि पट्टेदार खानों को स्वयं यंत्रों से चलाने की अपेक्षा उन क्षेत्रों को बेचारे निर्धन सैनिकों को किराये पर दे देते हैं और उन से ५० प्रति शत से अधिक स्वामिस्व अपने लिये ले लेते हैं;

(घ) किराये पर क्षेत्रों को लेने वालों को जो हीरे मिलते हैं उन्हें सरकार के पास क्यों नहीं जमा कराया जाता, किन्तु मुख्य पट्टेदारों के पास क्यों जमा कराया जाता है; और

(ङ) पन्ना हीरा सिंडीकेट को अन्य पट्टेदारों की अपेक्षा रियायती दरें क्यों दी गई है।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (ग) से (ङ) तक। एक विवरण, जिस में विन्ध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी दी दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५१]

उच्च औद्योगिक शिक्षा

*८१६. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार का पश्चिमी महाखण्ड में कोई उच्च औद्योगिक शिक्षा की संस्था खोलने का विचार है ?

(ख) यदि हां, तो यह कहां और कब खोली जायेगी, इस के निर्माण पर कितना अनुमानित व्यय होगा और इस में किन किन विषयों की कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षा दी जायेगी ?

(ग) क्या इस प्रकार की संस्थायें अन्य महाखण्डों में भी खोली जायेंगी और यदि हां, तो कहां और कब ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ग) तक। यह विषय विचाराधीन है ।

आय-कर-दाता (उड़ीसा)

*८१७ **श्री संगण्णा** : क्या वित्त मंत्री उड़ीसा राज्य के आय-कर-दाताओं की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): उड़ीसा राज्य में १९५१-५२ के कर निर्धारण वर्ष में ३७०५ व्यक्तियों से आय-कर लिया गया ।

गारो पहाड़ियों में कोयला

*८१८. **श्री अमजद अली** : क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सर सीरिल फांक्स के अनुमान के अनुसार आसाम की गारो पहाड़ियों के निक्षेपों में लगभग कितना कोयला विद्यमान है; और

(ख) यह किन किन स्थानों पर उपलब्ध है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख) । डा० सीरिल एस० फांक्स ने अनुमान लगाया था कि तुरा श्रृंखला के दक्षिण में स्थित क्षेत्र में जो कि तुरा के सर्वोच्च शिखर से पूर्व की ओर सिजू सोंगसोंग तक और सिमसांग नदी के साथ साथ रेवक सोंगसोंग तक फैला हुआ है कोई ५० करोड़ टन कोयला विद्यमान है ।

मुस्लिम धर्मशास्त्र

*८१९ **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय में भारत के संविधान के उपबन्धों के प्रतिकूल सांस्कृतिक शिक्षा के कपटवेश में अब भी मुस्लिम धर्मशास्त्र को पढ़ाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की चीज़ को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी हैदराबाद सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेग ।

तुंगभद्रा परियोजना

*८२०. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित तुंगभद्रा परियोजना को पूरा करने

के लिये हैदराबाद सरकार ने कितना ऋण मांगा है; और

(ख) क्या केन्द्र उस ऋण को मंजूर कर रहा है और यदि हां, तो किस हद तक और यह कब दिया जायगा ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) हैदराबाद सरकार ने १९५१ से ५६ तक पांच वर्षों में तुंगभद्रा परियोजना के संपूर्ण अनुमानित व्यय को पूरा करने के लिये ऋण मांगा था।

(ख) भारत सरकार ने १९५१-५२ में इस परियोजना के लिये २ करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया था और चालू वित्तीय वर्ष में २.५ करोड़ रुपये के ऋण देने का विचार है।

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला

२९१. **डा० अमीन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूरा द्वारा गत संचालक की पदाविधि में कितना व्यय किया गया ;

(ख) इस अवधि में कौन कौन से अनुसन्धान किये गये; और

(ग) इस की स्थापना से अब तक भारत में कितने अनुसन्धान एकस्वकृत किये गये हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ग) तक। विवरण जिन में अपेक्षित जानकारी दी हुई है, सदन पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५२**]

पूंजी निर्गमन

२९२. **श्री नानादास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अगस्त, १९४७ के बाद से पूंजी निर्गमन नियंत्रक द्वारा स्वीकृत व्यापारिक विनियोगों में प्रति वर्ष वस्तुतः कितनी पूंजी विनियोजित की गई ;

(ख) इस प्रकार के पूंजी विनियोग किन किन उद्योगों में किये गये हैं और प्रत्येक उद्योग में कितनी राशि विनियोजित की गई है;

(ग) प्रत्येक उद्योग के कितने विदेशी साथों को मंजूरी दी गई है और उन की पूंजी;

(घ) प्रत्येक उद्योग में ऐसी कितनी मंजूरियां दी गई हैं जिन में भारतीय और विदेशी पूंजी दोनों ही संयुक्त रूप से भागीदार हैं और उन में तुलनात्मक दृष्टि से भारतीय और विदेशी पूंजी का कितना कितना अंश है; और

(ङ) प्रत्येक उद्योग में कितने वर्तमान साथों को विस्तार या अन्य प्रकार की कोई मंजूरी दी गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) तथा (ख)। पूंजी निर्गमन नियंत्रक द्वारा जारी की गई मंजूरी के बदले वस्तुतः कितनी पूंजी एकत्रित की गई इस विषय में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) तक। यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

स्वयं बताने का आन्दोलन

२९३. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि स्वयं बताने के आन्दोलन के फलस्वरूप

३१ अगस्त, १९५२ तक राज्यवार कुल कितनी छिपी हुई राशि बतलाई गई है ?

(ख) क्या इस प्रकार बतलाई हुई राशि सरकारी कोष में पहुंच गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) करदाताओं द्वारा राज्यवार ३१ अगस्त, १९५२ तक कुल निम्नलिखित छिपी हुई राशि बतलाई गई है :—

	बतलाई गई आय (हजारों रुपयों में)
आसाम	१,२८,१२
बिहार और उड़ीसा	१०,००,४४
बम्बई नगर	*८,०१,३५
बम्बई उत्तर	५,०२,५१
बम्बई दक्षिण	६२,४७
बम्बई मध्य	६६,९७
कलकत्ता मध्य	९७,०१
दिल्ली	२,२०,१०
मध्य प्रदेश और भोपाल	१,३२,७४
मद्रास	५,२०,९६
पंजाब	१,८७,७३
उत्तर प्र देश	१०,८१,५६
पश्चिमी बंगाल	२२,९७,६२
हैदराबाद	२५,१४
मैसूर त्रावनकोर-कोचीन	६८,२६
सम्पूर्ण भारत का कुल योग	७१,९२,९८

*बम्बई नगर में आन्दोलन से पहिले बताये हुए २ करोड़ और जोड़ लीजिये।

(ख) बताई हुई राशियां सरकारी कोष में नहीं जातीं। सरकार को इन बतलाई हुई राशियों पर केवल कर लेने का ही अधिकार है।

मनीपुर के किसान (कृषि)

२९४. **श्री एल० जे० सिंह :** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मनीपुर की सरकार ने मनीपुर के किसानों को नकदी के रूप में या अन्य किसी रूप में कोई कृषि सम्बन्धी ऋण दिया है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो ऐसे किसानों की संख्या कितनी है जिन्हें नकदी के रूप में ऋण दिया गया है और इसे चुकाने की विधि क्या है ; और

(ग) ऐसे किसानों की संख्या कितनी है जिन्हें बीज या अन्य किसी रूप में ऋण दिया गया है और इसे चुकाने की विधि क्या है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) (क) राज्य सरकार ने किसानों को नकदी के रूप में कोई ऋण नहीं दिया है। किन्तु उन्हें बीजों के रूप में ऋण दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चालू वर्ष में ५१४ किसानों को विभिन्न प्रकार के बीज दिये गये हैं और ऋण में दिये गये बीज का मूल्य नकदों में चुकाना होगा।

मनीपुर के अध्यापकों का वेतन

२९५. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि मनीपुर की पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन स्तर भारत में निम्नतम हैं; और

(ख) क्या मनीपुर की पाठशालाओं में आसाम के वेतन स्तरों को अपनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) जी हां, जहां तक निम्न प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों के वेतन स्तरों का सम्बन्ध है।

(ख) जी हां।

मनीपुर में पाठशालायें

२९६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) मनीपुर में निजी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा पूर्णतया सरकारी मिडिल इंग्लिश और हाई स्कूल कितने हैं; और

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार मनीपुर के मिडिल इंग्लिश और हाई स्कूलों को क्रमशः ५० रुपये और १०० रुपये के सहायतार्थ अनुदान देती हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) (क) मनीपुर में हाई तथा मिडिल इंग्लिश स्कूलों की संख्या निम्नलिखित है :

	निजी			
	सरकारी	सहायता प्राप्त	अस्वीकृत	कुल योग
हाई स्कूल	३	१३	९	२५
मिडिल इंग्लिश स्कूल	१८	२०	१९	५७

(ख) जी हां।

विस्थापित सरकारी कर्मचारियों का स्थायीकरण

२९७. **श्री गिडवानी** : क्या गृहकार्य मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या २३१५ के उत्तर में १९ मार्च, १९५१ को सदन पटल पर रखे गये विवरण की निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत सरकार के अधीन नौकरी में लगे हुए लगभग ५,००० विस्थापित सरकारी कर्मचारियों में से चार वर्षों में अब तक ५०० से भी कम को स्थायी किया गया है ?

(ख) इस हिसाब से सरकार को शेष विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को स्थायी करने में कितना समय लगेगा ?

(ग) क्या यह सत्य है कि उन में से अधिकांश स्थायी होने से पहिले ही वृद्धावकाश की अवस्था तक पहुंच जायेंगे ?

(घ) यदि हां, तो उनके स्थायीकरण के कार्य को शीघ्रता से करने के लिये और स्थायी होने तक उन की नौकरी की सुरक्षा बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) फ़रवरी १९५१ के अंत तक कुल ५०७ विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को स्थायी किया गया था। १ मार्च, १९५१ से आज तक स्थायी किये गये व्यक्तियों की संख्या अभी उपलब्ध नहीं है। इस विषय में ठीक ठीक स्थिति सेवा योजनाओं के जिन्हें कि क्रियान्वित किया जा रहा है या साकार रूप दिया जा रहा है, पूर्णतया प्रवर्तित होने पर ही पता लग सकेगी।

(ख) सरकार ने यह आश्वासन न दिया है और न ही सम्भवतः दे सकती है कि सभी विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को

स्थायी कर दिया जायेगा। उन्हें अन्य अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियों के साथ अपनी बारी से स्थायी किया जायेगा। इस सम्बन्ध में श्री राजगोपालाचार्य द्वारा श्री सिधवा के २५ सितम्बर, १९५१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२६८ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की ओर दिलाया जाता है।

(ग) कोई निश्चित जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(घ) स्थायी उन नियमों के अनुसार किया जाता है जिन के अंधीन कि अस्थायी सरकारी नौकरों की सभी श्रेणियों के हितों की रक्षा करनी पड़ती है। प्रख्यापित नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले अधिक से अधिक अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को (जिन में विस्थापित सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) जल्दी से जल्दी स्थायी करने का हरेक प्रयत्न किया जा रहा है। नौकरी को सुरक्षित करने के लिये विस्थापित सरकारी नौकरों को नौकरी में बहाल रखने के लिये उचित संरक्षण दे दिया गया है और उन्हें स्थायी करने के लिये अलग अभ्यंश की व्यवस्था कर दी गई है या की जा रही है। इस के अतिरिक्त, जो स्थायी विस्थापित सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ पदों पर स्थायी होने से पूर्व ही निकट भविष्य में निवृत्त हो रहे होंगे उन्हें अस्थायी निवृत्ति वेतन भुगतान योजना के अधीन प्राप्त निवृत्ति वेतन के ६० प्रति शत का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस योजना को मंत्रिमण्डल ने स्वीकार कर लिया है और इस के सम्बन्ध में शीघ्र ही आदेश दे दिये जायेंगे।

जलपानगृह

२९८. श्री एस्० एन० विद्यालंकार : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों के लिये कितने जलपान गृह चलाये जा रहे हैं ;

(ख) उन में से कितने सहकारी आधार पर चलाये जा रहे हैं;

(ग) उन में से कितने ठेकेदारों के द्वारा चलाये जा रहे हैं, और

(घ) सभी जलपानगृहों को पूर्णतया सहकारी ढंग से चलाने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) १७।

(ख) ४ सहकारी ढंग पर और ९ विभागीय जलपानगृहों के रूप में जिन में मुख्यतया सरकार का धन लगा हुआ है।

(ग) ४।

(घ) केन्द्रीय सचिवालय के सभी निजी ठेकेदारों के भोजनगृहों को धीरे धीरे या तो सहकारी ढंग पर चलने वाले जलपानगृहों के रूप में बदला जा रहा है या ऐसे विभागीय जलपानगृहों के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है जिन में आरम्भ में सरकार की सहायता दी जाती है।

शुक्रवार,
२८ नवंबर, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शुक्रवार, २८ नवम्बर, १९५२

(सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई)

[[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

११—४५ म० पू०

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहता हूं कि मुझे श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, संसद्-सदस्या एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ की साधारण सभा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की नेत्री तथा श्री बी० शिवा राव, संसद्-सदस्य एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य की ओर से पत्र मिले हैं जिनमें उन्होंने यह व्यक्त किया है कि अगली दिसम्बर के अंत तक न्यूयार्क में उनकी उपस्थिति आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप वे सदन में उपस्थित नहीं रह सकते, और यह भी प्रार्थना की है कि लोकसभा में प्रक्रिया नियम तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियम २२८ के उपनियम (१) के अनुसार उन्हें चालू सूत्र में अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाय। अतः सदन का प्रसाद है कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित तथा श्री बी० शिवा राव को इस सत्र के दौरान में सभी बैठकों में अनुपस्थिति की अनुमति दी जाय।

अनुमति स्वीकृत हुई।

श्री फीरोज़ गांधी (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम व ज़िला रायबरेली—पूर्व) : श्रीमान्, औचित्य-प्रश्न के हेतु पूछना चाहता हूं। अभी, एक प्रश्न के उत्तर में उपमंत्री ने बतलाया कि क्या पूछताछ के समय सम्बद्ध पदाधिकारी मुअत्तिल हुआ था। तो, मैं आप से यह प्रार्थना चाहता हूं कि क्या आप इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं। सभी बातें सविस्तार बताई जा चुकीं हैं, अतः मंत्री जी को इस बात का निश्चय होना चाहिए कि इस विशेष पदाधिकारी को क्या हुआ है।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : पुनः यही प्रश्न पूछा जाय और पूरी सूचना दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : औचित्य प्रश्न पूछे जाने के समय, किसी भी माननीय सदस्य को बिना अध्यक्ष की अनुमति के नहीं बोलना चाहिए। मुझे इस बात का खेद है कि औचित्य-प्रश्न पूछने के समय कोई भी माननीय सदस्य अध्यक्ष को ऐच्छिक परामर्श नहीं दे सकता।

[उपाध्यक्ष महोदय]

और जब भी इस प्रकार का औचित्य-प्रश्न पूछा जाय तो उत्तर दिये जाने के बिल्कुल बाद ही प्रश्न पूछा जाना चाहिये । और यदि माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि उन्हें इस बात का निश्चय नहीं तो इसका यह अभिप्राय है कि उनके पास कोई भी तत्काल और निश्चित सूचना नहीं है । इस बात की अवश्कता हो सकती है कि हर एक मंत्री को उस से पूछे जाने वाले प्रश्न के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी संगत सूचना होनी चाहिये । उसे बहुत से अनुपूरक प्रश्नों की आशा करनी चाहिये । इस बात से कोई भी लाभ नहीं कि मंत्री जी अनभिज्ञता प्रकट करें । यदि मंत्रियों को उनसे पूछे गये प्रश्नों से अधिक बातों का ज्ञान नहीं तो अनुपूरक प्रश्न पूछने की कोई भी आवश्यकता नहीं है । सदन तो प्रत्येक माननीय मंत्री से इस बात की आशा करता है कि यह हर प्रकार की सूचना दे सकें ।

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): श्रीमान्, अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले मैं आपकी आज्ञा से मंत्रियों के संबन्ध में कही बातों के विषय में थोड़े से शब्द कहना चाहता हूं ?

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री से सुझाव सुनने में कोई भी आपत्ति नहीं ।

डा० काटजू : श्रीमान् मैं यह निवेदन करना चाहता हुं कि मंत्रियों और उपमंत्रियों का यही प्रयत्न होता है कि वे प्रश्न संगत और प्रश्न से उत्पन्न होने वाली बातों के सम्बन्ध में सूचना तैयार रखें । किन्तु यदि, बार-बार, बेतुकी बातों के सम्बन्ध में सूचना मांगी जाती हो तो मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारे पास "मुझे इसके संबन्ध में कोई निश्चय नहीं; मैं नहीं जानता" शब्दों के सिवाय और कोई भी उत्तर नहीं है । ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक मंत्री के चित पर निर्भर करता है । अथवा, जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं यही बता दूंगा कि मैं नहीं जानता, और मामला समाप्त कर दूंगा । मैं इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता कि कौन से प्रश्न पूछे जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर कोई वाद-विवाद नहीं करना चाहता । मैं माननीय गृह मंत्री के समक्ष भी यही निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष सदा संगत प्रश्नों के ही पूछे जाने की आज्ञा देगा । यों तो माननीय मंत्री यह कह सकते हैं कि उनका इस प्रकार का अनुमान नहीं था, अथवा उन्हें प्रश्न का उत्तर देने में समय लगेगा । स्वभावतः सदन का यही प्रयत्न होगा कि प्रश्न से संगत सूचना मिले, और यदि किसी प्रश्न पूछने वाले ने कोई असंगत बात कह दी तो अध्यक्ष उसे चेतायेगा, और उसका प्रश्न रद्द करेगा यदि अध्यक्ष को कोई संदेह हो तो वह मंत्री से परामर्श ले सकता है ।

विशेषाधिकार समिति

रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के लिये कालवृद्धि

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

"That the time for the presentation of the Report of the Committee of Privileges on the following two questions of privilege be further extended up to Friday, the 12th December, 1952—

(i) Question of privilege regarding certain papers laid on the Table of the House by Dr. Satyanarain Sinha, M.P.

(ii) Question of privilege regarding a statement alleged to have been made by Shri P. Sundarayya, Member, Council of States."

"विशेषाधिकार" के निम्नलिखित दो प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट

के प्रस्तुत किये जाने के लिये उसके समय में शुक्रवार, १२ दिसम्बर, १९५२ तक के लिये वृद्धि की जाय—

(१) डा० सत्य नारायण सिन्हा संसद्-सदस्य द्वारा सदन पटल पर रखे गये कई एक पत्रों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार-प्रश्न ।

(२) श्री पी० सुन्दरैय्या, राज्य-परिषद्-सदस्य, द्वारा अभिकथित एक वक्तव्य के सम्बन्ध में विशेषाधिकार-प्रश्न । "

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

"That the time for the presentation of the Report of the Committee of Privileges on the following two questions of privilege be further extended up to Friday, the 12th December, 1952—

(i) Question of privilege regarding certain papers laid on the Table of the House by Dr. Satyanarain Sinha, M.P.

(ii) Question of privilege regarding a statement alleged to have been made by Shri P. Sundaraya, Member, Council of States."

"विशेषाधिकार के निम्नलिखित दो प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने के लिये उसके समय में शुक्रवार, १२ दिसम्बर, १९५२ तक के लिये वृद्धि की जाय—

(१) डा० सत्यनारायण सिन्हा, संसद्-सदस्य द्वारा सदन पटल पर रखे गये कई एक पत्रों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार प्रश्न ।

(२) श्री पी० सुन्दरैय्या राज्य-परिषद्-सदस्य, द्वारा अभिकथित एक वक्तव्य के सम्बन्ध में विशेषाधिकार प्रश्न ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

परिसीमन आयोग विधेयक

प्रवर समिति रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के लिये कालवृद्धि

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"That the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to provide for the readjustment of the representation of territorial constituencies in the House of the People and in the State Legislative Assemblies and for matters connected therewith be further extended up to Friday, the 5th December, 1952."

"लोकसभा तथा राज्य विधान-सभाओं में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधान की पुनर्व्यवस्था उपबन्धित करने एवं तत्सम्बन्धी मामलों के लिये इस विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के लिये नियुक्त समय में शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५२ तक अग्रेतर वृद्धि की जाय । "

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"That the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to provide for the readjustment of the representation of territorial constituencies in the House of the People and in the State Legislative Assemblies and for matters connected therewith be further extended up to Friday, the 5th December, 1952."

"लोक-सभा तथा राज्य विधान-सभाओं में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधान की पुनर्यवस्था उपबन्धित करने एवं तत्सम्बन्धी मामलों के लिये इस विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के लिये नियुक्त समय में शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५२ तक अग्रेतर वृद्धि की जाय । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सरकारी पदाधिकारियों की धनसम्पत्ति पर पूछताछ सम्बन्धी संकल्प

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : श्रीमान्, मैं बधाई का पात्र हूं कि मुझे ही इस संकल्प को प्रस्तुत करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है । मैं सुझाव करता हूं कि :—

"This House is of opinion that Government should take steps to

[सरदार हुक्म सिंह]

investigate into the wealth, fortune or property, whether held in his own name or of any member or members of his family, jointly or severally, of any person who—

(a) holds an office under the Constitution; or

(b) is a responsible officer of the Government of India or of any State in India; and in particular, is authorised to place contracts, issue licences, collect revenues or taxes or control the procurement, storage, distribution, movement or sale of any commodity;

and is about to relinquish his post or office or retire from Government service;

and for this purpose appoint a Commission which should be authorised to call for any witness or document and make a thorough investigation into all the possessions of such an officer.

This House is further of opinion that if as a result of such an investigation any officer is found to be owning, or holding, or to have accumulated any property, which in the opinion of the investigation Commission is substantially in excess of what could be accumulated by an honest and upright officer, the matter should be reported to this House which will after such further consideration take such action as it deems just and necessary in each case."

"इस सदन का यह मत है कि सरकार किसी भी ऐसे सदस्य की, उसके अपने नाम में या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम में, संयुक्त रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से उसके नाम पर बनाई गई धनसंपत्ति पर पूछताछ कराने के लिये कार्यवाही करे, जो सदस्य कि–

(क) संविधान के अन्तर्गत कोई पदाधिकारी हो ; अथवा

(ख) भारत सरकार अथवा किसी भारतीय राज्य सरकार का कोई उत्तरदायी पदाधिकारी हो, और विशेष रूप से संविदा प्रस्तुत करने, अनुज्ञप्ति जारी करने, आयकर या राजस्व इकट्ठा करने, अथवा किसी वस्तु का समाहार, राशिकरण, वितरण, विक्रय या लाने-लेजाने का नियन्त्रण करने का अधिकार रखता हो ;

और सरकारी नौकरी से निवृत होने अथवा अपना पदत्याग करने वाला हो ;

और इस उद्देश्य के लिये एक आयोग नियुक्त हो जिसे साक्ष्य बुलाने या दस्तावेज़ मंगाने तथा इस प्रकार के किसी भी पदाधिकारी की जायदाद पर पूछताछ कराने का पूरा पूरा अधिकार हो।

इस सदन का यह भी मत है कि यदि इस पूछताछ के परिणामस्वरूप किसी भी पदाधिकारी के पास इस प्रकार की किसी भी संपत्ति का संचयन या स्वामित्व पाया गया जो इस आयोग के मत में किसी भी ईमानदार और ऋजुपन्थी पदाधिकारी द्वारा संगृहित धन से अधिक हो, तो इस मामले की रिपोर्ट सदन को दी जानी चाहिये, जो इस प्रकार के अग्रेतर विचार के बाद न्याय और यथोचित आवश्यक कार्यवाही करे।"

श्री राने (भूसावल) : औचित्य-प्रश्न क सम्बन्ध में। मेरा यह निवेदन है कि यह संकल्प इस सदन के अधिकार से बाहर है, अतः इस पर विचार नहीं किया जा सकता। **(अट्टहास)**

उपाध्यक्ष महोदय : किस तरह, मुझे यह बताइये ? माननीय सदस्य अशांत क्यों हैं ? माननीय सदस्य यथासमय हंसा करें। मुझे औचित्य-प्रश्न सुना दीजिये।

श्री राने : उक्त संकल्प का विश्लेषण करने पर आप को यही पता चलेगा कि तीन वर्गों के व्यक्तियों की धनसंपत्ति की पूछताछ के लिये एक आयोग की नियुक्ति की मांग की जा रही है : वे तीन वर्ग इस प्रकार हैं : (१) राज्य सेवा में लगे व्यक्ति; (२) संघ से

में लगे व्यक्ति; और (३) भारतीय संविधान के अन्तर्गत सरकारी पदधारी। जहां तक इस पहले वर्ग का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद २४६ में यह बताया गया है कि राज्य विधान सभायें ही इस सम्बन्ध में कोई संकल्प प्रस्तुत कर सकती हैं। मैं अनुच्छेद २४६ पढ़ना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं। मैं यह प्रश्न स्वीकार करता हूं। हम यही मान लेंगे कि यह ठीक है।

श्री राने : जहा तक दूसरे वर्ग का प्रश्न है, ३०८ से ले कर ३१४ तक के अनुच्छेद में इस सम्बन्ध में भर्ती आदि का उल्लेख हो चुका है। अनुच्छेद ३१४ तो विशेष रूप से उन वर्गों की संरक्षा करता है जो पहले से ही काम में लगे थे। अत: मेरा यह निवेदन है कि सदन बिना किसी उद्देश्य के इस बात पर चर्चा नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु क्या इन उपबन्धों से भ्रष्टाचार से छुट्टी मिलती है ?

श्री राने : इस तीसरी श्रेणी में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष राज्य-परिषद् के उप-सभापति, भारत के प्रधान मंत्री एवं उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, आदि आते हैं। मेरा यह निवेदन है कि संविधान में भी उनका भी विशेष उल्लेख है, और उनकी व्यवस्था की जा चुकी है। हां, इस में सन्देह नहीं, कि अवैध बखशीश तो संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध है। यदि राष्ट्रपति भी संविधान को तोड़ दें तो अनुच्छेद ६१ के अन्तर्गत उन पर महाभियोग चल सकता है। इसी तरह, संविधान के संगत अनुच्छेदों के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि यह संकल्प अप्रत्य रूप में .....

(अन्तर्बाधा)

१२ मध्याह

उपाध्यक्ष महोदय : मैं औचित्य प्रश्न को बहुत देर तक सुन चुका हूं। मैं औचित्य-प्रश्न को स्वीकार करने में कोई तुक नहीं समझता पहले वर्ग या पहली श्रेणी के पदाधिकारियों की संपत्तियों के सम्बन्ध में हम बे रोक पूछताछ कर सकते हैं, किन्तु जहां तक प्रान्तीय सरकारों के पदाधिकारियों का प्रश्न है, मुझे इसमें कुछ सन्देह दिखाई देता है। कुछ भी हो, वह इस संकल्प का एक अंशमात्र है, और यदि वह विशेष पहलू सदन के क्षेत्राधिकार में नहीं तब तो प्रस्तावित आयोग को इस बात का अनुदेश दिया जाना चाहिये कि वह इस मामले पर गौर नहीं करे। संविधान के अन्तर्गत सेवा करने वाले भारतीय सरकार के पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में अनुच्छेद ३१४ हमें पूछताछ से नहीं रोक लेता है। उक्त अनुच्छेद में असैनिक कर्मचारियों के १९४७ से पहले के निश्चित वेतन, आदि के सम्बन्ध में दी गई प्रत्याभूतियों का उल्लेख तो है किन्तु ऐसी बात नहीं बतलाई गई है कि पदाधिकारियों द्वारा एकत्र की गई असाधारण धन सम्पत्ति पूछताछ करने के लिये आयोग की नियुक्ति नहीं होनी चाहिये। इस में किसी अनुशासनीय कार्यवाही का उल्लेख तो नहीं किन्तु ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि संसद् इन बातों से वंचित रहनी चाहिये। चुनाचे इस प्रकार की बातों पर आवरण रखने से समाज को खतरा पहुंच सकता है, और इस से संसद् की सत्ता पर आंच आ सकती है। अतएव मैं इस बात का नियमित प्रतिपादन करता हूं कि कोई भी औचित्य प्रश्न नहीं है।

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : **प्रान्तीय सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में आप का क्या विचार है ?**

उपाध्यक्ष महोदय । मैं इस बात पर विचार करूंगा कि क्या सरकरी कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है । उस प्रश्न पर मैं अपना मत अभी सुरक्षित रखूंगा, और यदि आवश्यकता पड़े तो मैं उचित संशोधन पर विचार करूंगा ।

सरदार हुक्म सिंह : मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कठिनाई आ रही है । मैं तो यह चाहता हूं कि सरकार कार्यवाही करे। मैं तो केवल एक सिफारिश कर रहा हूं । यह तो भिन्न बात है कि केन्द्रीय सरकार ही या राज्य सरकार इस प्रकार की कार्यवाही करेगी । मैंने कोई नई बात तो नहीं कही है । दिसम्बर, १९४८ में जब संविधान प्रारूप पर चर्चा हो रही थी तो प्रो० के० टी० शाह ने यह प्रस्ताव रखा था कि राज्य के पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण करने से पहले अपनी संपत्ति का विवरण देना चाहिये। चुनाचे उनका यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसे उचित नहीं माना गया । बाद में प्रो० के० टी० शाह ने इसे संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया था, लेकिन चूंकि वह निर्वाचित नहीं हुए अतः यह बात फिर उसी स्थिति में रही । मैं सभा के समक्ष इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि इस संकल्प के लिए प्रो० के० टी० शाह को ही श्रेय मिलना चाहिये ।

आज प्रातः मैं ने 'स्टेट्समैन' पत्र में देखा कि कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी ने इस संकल्प का विरोध करने की ठानी है और उन्हें इस संकल्प की शब्दावली भी पसन्द नहीं । मैं इस पर संशोधन लेने को तैयार हूं किन्तु यह चाहता हूं कि हमारी सेवाओं में सत्ता होनी चाहिये और पैसे के मोह को छोड़ कर ही काम होना चाहिये ।

कई पत्रों ने यह भी प्रकट किया था कि विरोध प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा, अतः मेरा संकल्प ठुकराया जायेगा । मुझे इस बात की चिन्ता नहीं कि मेरे द्वारा ही यह संकल्प प्रस्तुत हो । कोई भी इसे प्रस्तुत कर ले— ठीक है । यदि सरकार इसी पद्धति पर संकल्प प्रस्थापित करने को तैयार है तो मैं भी उसे सहायता देने को तैयार हूं । मुझे अपने संकल्प की शब्दावली से भी कोई मोह नहीं है । आप इसकी भाषा बदल सकते हैं । मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि संकल्प का भाव स्वीकृत किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों के अन्तर्गत लोक सेवकों का यह कर्तव्य नहीं है कि वे अपनी संपत्ति की घोषणा करें ?

सरदार हुक्म सिंह : पत्रों में यह भी बताया गया था कि नियमों में जो भी उपबन्ध रखे गये हैं, वे इस अभिप्राय के लिये पर्याप्त हैं, किन्तु मैं इस बात का भी स्पष्टीकरण करूंगा कि किस प्रकार वर्तमान उपबन्ध पर्याप्त नहीं हैं, और किस तरह इन नियमों को और भी कड़ा किया जाना चाहिये । भले ही सरकार यह कहे कि भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं है, किन्तु तथ्य यह है कि सदन से बाहर के लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है । आपने यह भी बताया है कि देश में शान्ति और व्यवस्था रही है, अतः कांग्रेस सरकार की यह एक बड़ी सफलता है । मैं इस बात का श्रेय सरकार को नहीं अपितु जनता को दे रहा हूं क्योंकि भारतीय स्वभाव से शान्तिप्रिय और कानूनपसन्द हैं । हां सरकार को इस बात का श्रेय जरूर है कि देश का एकीकरण हुआ है, और इस बात में भी कोई सन्देह नहीं कि हम ने अच्छी और बृहद् शब्दावली का संविधान भी बना लिया है । यों तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस में कई एक उपबन्धों को सन्तोषपूर्वक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया है ।

स्वतन्त्रता प्राप्त करने से पहले हम ने लोगों से बहुत सी प्रतिज्ञायें की थीं, और कई एक प्रलोभन दिये थे; लेकिन अब उन में से

एक भी पूरा नहीं हो पाया है, और लोग निराश हो रहे हैं। यदि आप देश की भलाई के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं और प्रशासन की मशीनरी को ठीक करना चाहते हैं तो आप को ईमानदारी और कुर्बानी से काम लेना पड़ेगा। हो सकता है कि हम ने कई चीजें प्राप्त की हों, किन्तु यह तो मानना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भारत के जनसाधारण ने अभी इस बात का अनुमान नहीं किया है कि भारत से विदेशी सत्ता उठ चुकी है और यहां अब संपूर्ण सत्ताधारी प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य की स्थापना हुई है। जनसाधारण के मुख पर इस स्वतन्त्रता की कोई भी दीप्ति नहीं दिखाई दे रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य के भाषण में अन्तर्बाधा डाल रहा हूं। माननीय प्रस्तावक को आधा घंटा मिलेगा और अन्य माननीय सदस्यों को १५-१५ मिनट मिलेंगे। माननीय सदस्य ने १२-४ पर भाषण शुरू किया है।

सरदार हुक्म सिंह : मुझे इस बात से साहस हुआ था कि मेरे भाषण के लिये काल-सीमा निश्चित नहीं की गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम १६५ में तो यह बात बताई जा चुकी है।

सरदार हुक्म सिंह : स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद भी उसका जीवन-यापन व्यय बढ़ता जा रहा है, बेकारी बढ़ी हुई है, और प्रारम्भिक आवश्यकतायें भी उसे उपलब्ध नहीं हैं। उसे इस बात का सन्देह हो रहा है कि स्वतन्त्रता किस बात की मिली। उसे कोई भी परिवर्तन मालूम नहीं देता, वह बल्कि यही देखता है कि परिस्थिति और भी बिगड़ चुकी है। शासक वर्ग आजकल भी जनता से उतनी ही दूरी पर है जितना वह स्वतन्त्रता से पहले था। वह आज भी यही देख रहा है कि शासक वर्ग में पहले जैसा भ्रष्टाचार है। ब्रिटिस राज्य में भी भ्रष्टाचार था लेकिन कई एक विभागों में यह इतनी मात्रा में नहीं था जितनी आजकल है। उन दिनों पुलिस और कार्यकारी शाखाओं को दमनचक्र और शोषण का गढ़ माना जाता था। उन से लोगों पर शासन होता था, लोगों की सेवा नहीं होती थी। किन्तु सचिवालयों में इतनी भ्रष्टता नहीं थी जितनी आजकल फैली हुई है। पूर्व युद्धकाल में इतना भ्रष्टाचार नहीं था। काम के लिये धन से प्रेरणा मिलती थी, देशभक्ति से नहीं। तो स्वतन्त्रता पाते ही लोगों का यह विचार था कि प्रशासन की मशीन में आत्म-समर्पण और सेवा की भावना भर जायेगी और वे लोगों की सेवा करेंगे। मुझे दुख है कि यहां की नौकरियां संभाल कर अब कुछ एक राजनीति नेता भी इन ही दोषों से भर गये हैं और लालच और शक्ति की पिपासा ने उन्हें भी रंग डाला है। यही कारण है कि जनसाधारण की अन्तिम आशा भी समाप्त हो चुकी है। हां, उन में से बहुत से ईमानदार भी हैं; लेकिन वास्तव में यह बात है कि भ्रष्टाचार ने सारे प्रशासन-यंत्र को इतना बर्बाद कर डाला है कि हम उद्देश्य से बहुत दूर चले जा रहे हैं।

श्रीमान्, यहां इस बात की ओर निर्देश हुआ है कि लोक सेवकों को अपनी सम्पत्ति की घोषणा करनी पड़ती है। दण्ड संहिता की धारा १६१ और १६५ में इस प्रकार का एक उपबन्ध तो है। चुनावे १९४७ के अधिनियम २ से उन उपबन्धों में संशोधन किया गया था ताकि घूसखोरी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिये उन्हें अधिक प्रभावोत्पादक बनाया जा सके। निश्चय ही उन्हें घोषित किया गया, और एक ऐसा भी उपबन्ध था कि सार्वजनिक दुराचार के लिये सात वर्षों तक कारावास में रखा जायेगा। इसी प्रकार का एक और उपबन्ध भी है कि यदि कोई लोक-सेवक किसी जांच-परीक्षा में अपनी संपत्ति का संतोष-जनक ब्यौरा न दे सके तो यह माना जायेगा

[सरदार हुक्म सिंह]

कि उसने भी गैर-ईमानदारी से पैसा कमा लिया है, किन्तु यह बात भी धारा १६१ या १६५ के अन्तर्गत आने वाले-मामलों तक ही सीमित है । इसके अतिरिक्त एक और भी उपबन्ध है कि सरकारी कर्मचारियों को हर बार यह बताना पड़ेगा कि उनके पास कितनी संपत्ति है, किन्तु यह भी स्थावर संपत्ति तक सीमित है और उन्हें उसकी घोषणा करनी पड़ती है अन्य संपत्ति गिनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे नियमों से हमारा कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता । हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी और दृढ़ होती हैं, और ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों का अधिक प्रभाव होता है । अतः हमें ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध पूरे जोर से दण्डात्मक आन्दोलन चलाना पड़ेगा । हमने आज तक जितने भी उपबन्ध बनाये हैं वे दण्डात्मक हैं । दण्ड से तो औपचारिक प्रभाव पड़ता ही है । किन्तु जहां तक मेरे संकल्प का प्रश्न है, इसमें किसी को दण्ड देने की बात नहीं, यह तो विशुद्ध रूप से औपचारिक है । हम कई बार कई अफवाहें सुनते हैं जिस से कई निरीह लोग मारे जाते हैं । यदि घोषणा की जाय तो उस से निरीह व्यक्ति बच भी सकेंगे । अतः इस में न केवल जनता, देश या संप्रदाय के भले की बात है अपितु उन लोक सेवकों के लिये लाभ और भलाई है कि वे अनुचित दोषों और अपकीर्ति से बचने के लिये पहले ही घोषणा-पत्र भर दें जिन में उनकी संपत्ति का ब्यौरा हो ।

हमारे सामने तो कितनी ही योजनायें पड़ी हुई हैं किन्तु जब तक जनता सहयोग नहीं देती तब तक वे योजनायें पूरी नहीं की जा सकतीं । सहयोग प्राप्त करने के लिये आपको एक ऐसा वातावरण पैदा करना पड़ेगा कि लोग आपकी ओर चले आयें और उन योजनाओं में हाथ बढ़ायें । इस में सन्देह नहीं कि आप के समक्ष बड़ी बड़ी योजनायें हैं लेकिन उन के साथ बहुत बड़े गुटाले भी हैं । अब देखिये कि आज तक जो कोई भी योजना या परियोजना चली, उसके पूरा होने से पहले ही एक पूछताछ समिति खड़ी करनी पड़ी । लगभग सरकार की हर बात से कोई न कोई गुटाला संलग्न है । जीप गुटाले को ही लीजिये । जब तक आप कड़े नियमों का सिद्धान्तों का पालन नहीं करेंगे तब तक आप समुदाय की कोई भी सेवा नहीं कर पायेंगे । अतः सब से अधिक आवश्यकता इस बात की है कि चारों ओर से भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ोरदार आन्दोलन चलाया जाय ।

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि किसी तरह भ्रष्टाचार से समाज को चूसा जा रहा है । अधिकार या शक्ति के उपयोग की कोई भी बात हो, जहां बखशीश दी गई, भले ही उस पदाधिकारी के बच्चे, उसकी बीवी या उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को दी गई हो, उसे भ्रष्टाचार कहा जायेगा । भले ही आप उस सेवा-नियोजित व्यक्ति पर अभियोग चलायें किन्तु उन लोगों के सम्बन्ध में आप क्या सोचेंगे जिन्हें बहुत धन मिलता है और जो रात में ही धनी बन जाते हैं । मैं उदाहरण के तौर पर ही बताना चाहता हूं, जिन्हें परमिट और अन्य लाभ प्राप्त होते हैं, उनके सम्बन्ध में आपका क्या विचार है । भले ही कानून को एक ही रीति से बनाया जाये, उसे कई तरीक़ों से तोड़ा जाता है । अतः यदि आप प्रशासन में सुधार करना चाहते हों तो आपको उस में बहुत सा सुधार करना पड़ेगा । इस संकल्प को प्रस्तुत करने में मेरा यह अभिप्राय है कि प्रारम्भ में ही लोकसेवा को बुरी बातों से रक्षित किया जाय । यदि एक लोकसेवक को इस बात का ज्ञान हो कि उसे प्रारम्भ में ही किसी बात की घोषणा करनी होगी या निवृत्त होने पर उसे अपनी संपत्ति की जांच-परीक्षा करानी होगी, तो वह शायद भ्रष्टाचार का भोगी नहीं बनेगा । इस से आप जनता को

संतोष प्रदान कर सकेंगे और, क्या लोक-सेवक क्या जनता, सभी पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा ।

मैं ने कई एक लोक-सेवकों के लिये ही इस संकल्प का प्रारूप तैयार किया, और केवल उन लोगों के नाम गिनाये हैं जिन्हें अधिक घूस मिलने की संभावना है । यदि इन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं रहा तो वह भ्रष्टाचार को बढ़ा देंगे । मैं यह भी बतला दूं कि जहां तक लोक-सेवक का प्रश्न है, उसे कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिये क्योंकि उसे उस की आवश्यकताओं के अनुसार वेतन मिलता है; समय-समय पर तरक्की मिलती है, भत्ते मिलते हैं; औषधि-चिकित्सा सहायता मिलती है और छुट्टी भी मिलती है । बुढ़ापे में उसे निवृत्ति वेतन आदि भी मिलता है और भविष्य निधि भी मिलती है । यों तो उसे इन अवैध साधनों से रुपया नहीं कमाना चाहिये लेकिन मुसीबत यह है कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है । मुझे एक चपरासी का क़िस्सा याद आ रहा है जिसे किसी दर्शक से बखशीश लेते पकड़ा गया । उस से पूछने पर यह उत्तर दिया : "साहब, वज़ीर तो इतनी इतनी रक़म लेते हैं, मुझ गरीब ने इतना लिया तो क्या हो गया ।" यह दूसरी बात है कि ऐसा ठीक हो सकता है या ग़लत किन्तु लोगों का यह अनुभव है कि जहां चपरासी ने ऐसी बात कह दी वहां ऊपर वालों का क्या हाल होगा । हमें इन बातों को रोक लेना होगा । इसी तरह, मैं ने एक बार एक पटवारी को घूस लेते पकड़ा । उस ने उत्तर में कहा कि मुझे दण्ड देने से पहले आप यह पता लगा लीजिये कि इस राज्य में काम करने वाले ३०० पटवारियों में से क्या कोई भी पटवारी ईमानदार है । उस ने मुझे यही उत्तर दिया और मैं चुप रहा । तो देश में इस प्रकार की परिस्थिति है । हमें पूरी तरह से चौकन्ना रहना चाहिये । श्रीमान्, मैं आप को यह भी सिद्ध कर सकना हूं कि इस प्रकार के कानून और ऐसी पूछताछ की पूर्ववादिता है । ऐसे उदाहरण अवश्य हैं । लोग कहते हैं कि इस प्रकार की संपत्ति-घोषणा लोक-सेवा पर एक धब्बा है । मैं तो यह समझता हूं कि वह लोक-सेवक बदनामियों से बच जायेगा । मैंने लोक सेवक सूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उपाध्यक्ष का नाम भी शामिल किया है । इसका यही सौन्दर्य है कि हम सारे विश्व के समक्ष यह सिद्ध कर सकते हैं कि किस तरह हम सभी नागरिकों से एक-सा व्यवहार कर सकते हैं ।

यों तो मैं कई एक उदाहरण गिना सकता हूं कि किस तरह सचिवालय के कई पदाधिकारियों ने मकान बनाये, लड़के पढ़ाये विलासिता भरा जीवन बिताया और क्या कुछ किया । भला बताइये कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिनके पास करोड़ों की संपत्ति हो, करोड़ों का व्यापार हो, करोड़ों के अंश हों, आप जनता को क्या बतलायेंगे । ऐसे भी मौके हैं जब लोग चिन्तित हो जाते हैं, और कई निष्कर्ष निकालते रहते हैं । लोग कहते हैं कि उनके ये साधन उचित नहीं, न तो ईमानदारी के हैं—तो ऐसे ही व्यक्तियों से हमें बच जाना है ।

अब जहां तक अन्य देशों का सम्बन्ध है, मुझे याद है कि श्री बाल्डविन के शासन में एक पदाधिकारी को केवल इस बात पर निकाल दिया गया क्योंकि वह इम्पीरियल एयरवेज़ के अध्यक्ष से अपने सम्बन्ध में यह पूछ रहा था कि निवृत्त होने पर उसे एयरवेज़ में लिया जायेगा या नहीं । मैं आपको कई एक ऐतिहासिक उदाहरण दे सकता हूं । हो सकता है कि इन में पूरी सत्यता न हो, किन्तु हम इनकी अवहेलना भी नहीं कर सकते । हमें इतना कह कर ही बस नहीं करना चाहिये कि सब ठीक है । हमें ज़रूर कुछ करना होगा । यदि किसी जाग्रत पदाधिकारी पर आरोप लगाया जा

[सरदार हुक्म सिंह]

तो वह स्वयं कहेगा कि यह मेरा लेखा रहा, आप आ कर देख लें। यदि वह निर्दोष सिद्ध हुआ तो उसे श्रेय प्राप्त होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हमारे नेता, और बड़े बड़े लोक सेवक इसी बात को पर्याप्त समझते हैं कि गबन या धन बटोरने की चालबाज़ियों पर बहुत से रोक लगाये गये हैं। श्रीमान्, मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि हम इस मामले में पर्याप्त नहीं हैं और अभी हमें बहुत सा काम करना शेष है। जब तक हम इस प्रकार का, जैसा कि मैं संकल्प में सुझा चुका हूं, कोई काम नहीं करते, तब तक हम अपने समाज से इन दोषों को हटा नहीं सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य इस आपत्ति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं कि इस संकल्प में राज्य को सम्मिलित किया गया ? " In a State"—"किसी राज्य में" शब्दों का लोप कीजिये।

सरदार हुक्म सिंह : मैं अपने संकल्प में बतला चुका हूं कि सरकार से इस बात की सिपारिश की जा रही है कि वह कार्यवाही करे। अत: सरकार, राज्य सरकारें भी कार्यवाही कर सकती हैं। उसमें कोई भी आपत्ति नहीं। केन्द्रीय सरकार का सर्वोपरि नियंत्रण होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उन से केन्द्रीय सेवाओं, राज्यों में काम करने वाले पदाधिकारियों का अभिप्राय हो। इसका क्या उद्देश्य है ? मैं इन शब्दों को समझ नहीं सका :— "and is about to relinquish his post or office or retire....." "और सरकारी नौकरी से निवृत्त होने अथवा अपना पद त्याग करने वाला हो।" — यह संकल्प तो निवृत्त होने वाले व्यक्तियों से ही सम्बद्ध है।

सरदार हुक्म सिंह : कई लोग नौकरी छोड़ कर भागना चाहते हैं। जब भी गुटाले के बादल मंडरा रहे हैं, उन्हें भागने नहीं देना चाहिये। जब भी इस बात का पता चले कि अमुक व्यक्ति जाने वाला है तो उसे पूछा जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह वर्तमान व्यक्तियों के सम्बन्ध में नहीं है। इस में कहा गया है : "कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पद को त्याग देने वाला हो या निवृत्त होने वाला हो....." यह तो संचायक है। यह उन ही व्यक्तियों पर लागू होता जो निवृत्त होने वाले हों।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : श्रीमान्, कई संशोधन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संकल्प की बात कर रहा हूं।

सरदार हुक्म सिंह : श्रीमान्, आप किन शब्दों की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प यह है कि :

"This House is of opinion that Government should take steps to investigate into the wealth, fortune or property, whether held in in his own name or of any member or members of his family....."

"इस सदन का यह मत है कि सरकार को किसी भी कर्मचारी की धन-संपत्ति पर वह चाहे उसके नाम में हो अथवा उस के परिवार के सदस्यों के नाम में हो, पूछताछ करने की कार्यवाही करनी चाहिये....."

सरदार हुक्म सिंह : श्रीमान्, मेरे संकल्प का पाठ इस प्रकार नहीं। यहां के कार्यालय ने इसे संशोधित किया है। मेरा संकल्प भिन्न है : इस कार्यालय ने सारे संकल्प का नया प्रारूप बना लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : तो, क्या माननीय सदस्य की यह इच्छा है कि यह सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया जाय।

सरदार हुक्म सिंह : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस पाठ पर ध्यान

दें। इस में बताया गया है कि "वे कर्मचारी जो पदत्याग करने वाले अथवा निवृत्त होने वाले हों।" इसका अभिप्राय है कि यह बूढ़े कर्मचारियों पर ही लागू होता है। खैर, मैं यह संकल्प सदन के समक्ष रखूंगा।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरु) : मेरे विचार में 'and' 'और' शब्द को हटा कर 'or' 'या' शब्द रखा जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे। आप जितने भी संशोधनों को प्रस्तुत करना चाहें प्रस्तुत कर लें। बहुत से संशोधन हैं, अतः मैं उन्हें बारी बारी से प्रस्तुत करूंगा। अब मैं संकल्प को औपचारिक रूप से सदन के समक्ष रखूंगा।

संकल्प प्रस्तुत हुआ कि :—

"This House is of opinion that Government should take steps to investigate into the wealth, fortune or property, whether held in his own name or of any member or members of his family, jointly, or severally, of any person who—

(a) holds an office under the Constitution; or

(b) is a responsible officer of the Government of India or of any State in India; and in particular, is authorised to place contracts, issue licences, collect revenues or taxes or control the procurement, storage, distribution, movement or sale of any commodity;

and is about to relinquish his post or office or retire from Government service;

and.....

"इस सदन का यह मत है कि सरकार किसी भी ऐसे सदस्य की, उसके अपने नाम में या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम में, संयुक्त रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से उस के नाम पर बनाई गई धन-राशि संपत्ति पर पूछताछ कराने के लिये कार्यवाही करे; जो सदस्य कि—

(क) संविधान के अन्तर्गत कोई पदाधिकारी हो; अथवा

(ख) भारत सरकार अथवा किसी भारतीय राज्य सरकार का कोई उत्तरदायी पदाधिकारी हो, और विशेष रूप से संविदा प्रस्तुत करने, अनुज्ञप्ति जारी करने, आयकर या राजस्व इकट्ठा करने, अथवा किसी वस्तु का समाहार, राशीकरण, वितरण, विक्रय या लाने-लेजाने का नियंत्रण करने का अधिकार रखता हो;

और सरकारी नौकरी से निवृत्त होने अथवा अपना पदत्याग करने वाला हो;

और.....

कई माननीय सदस्य : इसे कदाचित्.....

उपाध्यक्ष महोदय : इसे बाद में किसी भी माननीय सदस्य द्वारा संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

" and for this purpose appoint a Commission which should be authorised to call for any witness or document and make a thorough investigation into all the possessions of such an officer.

This House is further of opinion that if as a result of such an investigation any officer is found to be owning or holding, or to have accumulated any property, which in the opinion of the Investigation Commission is substantially in excess of what could be accumulated by an honest and upright officer, the matter should be reported to this House which will after such further consideration take such action as it deems just and necessary in each case."

"और इस उद्देश्य के लिये एक आयोग नियुक्त हो जिसे साक्ष्य बुलाने या दस्तावेज़ मंगाने तथा इस प्रकार के किसी भी पदाधिकारी की जाइदाद पर पूछताछ करने का पूरा पूरा अधिकार हो।

इस सदन का यह भी मत है कि यदि इस पूछताछ के परिणामस्वरूप किसी भी पदाधिकारी के पास इस प्रकार की किसी भी संपत्ति का संचयन या स्वामित्व पाया गया जो इस आयोग के मत में किसी भी ईमानदार और ऋजुपन्थी पदाधिकारी द्वारा संगृहीत धन से

उपाध्यक्ष महोदय

अधिक हो, तो उस मामले की रिपोर्ट सदन को की जानी चाहिये जो इस प्रकार के अग्रेतर विचार के बाद न्याय और यथोचित आवश्यक कार्यवाही करे ।"

कई एक संशोधन सदन-पटल पर रखे जा चुके हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : सदन की अनुमति से, मैं कुछ मौखिक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं । उस का पाठ इस प्रकार होगा :

"and in particular, any person who is about to relinquish his post or office or retire from Govt. service;"

"और विशेषत: कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपना पद या नौकरी त्यागने वाला हो अथवा सरकारी सेवा से निवृत्त होने वाला हो;"

अथवा इसी प्रकार कुछ और पाठ ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य संशोधन पर विचार करें और उसे प्रस्तुत करें । मैं समझता हूं कि इस में सभी बातें सम्मिलित हैं । वह इस पर विचार करें । इस संकल्प का क्षेत्र सीमित नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : श्रीमान्, मुझे यह परामर्श दिया जाता है कि मैं आप के तथा सदन के विचार के लिये इसे प्रस्तुत करूं, और इसे निम्न रूप से संशोधित किया जाय;

"and in particular, any person who is about to relinquish his post or office....."

"और विशेषत:, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपना पद अथवा नौकरी त्यागने वाला हो·····"

उपाध्यक्ष महोदय : उस अन्तिम पंक्ति का पाठ इस प्रकार होगा :

"and in particular, any person who is about to relinquish his post or office or retire from Govt. service;"

"और विशेषत:, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपना पद अथवा नौकरी त्यागने वाला हो, अथवा सरकारी नौकरी से निवृत्त होने वाला हो;"

फिलहाल यह इतना ही रहे ।

अब, माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करें । श्री एस० एन० दास ।

श्री एस० एन० दास : (दरभंगा मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

मूल संकल्प के स्थान पर निम्न में दिया गया संकल्प उपादिष्ट किया जाय :—

"This House is of opinion that a Committee consisting of twenty-one members of the House of the People to be nominated by the Speaker be constituted during this session of the House to consider the necessity, desirability and feasibility of appointing an Investigating Commission to investigate into the wealth, fortune or property whether held in his own name or of any member or members of his family, jointly or severally, of any person who,—

(a) holds an office under the Constitution; or

(b) is a responsible officer of the Government of India or of any State in India; and in particular is authorised to place contracts, issue licences, collect revenue or taxes or control the procurement, storage, distribution, movement or sale of any commodity;

and is about to relinquish his post or office or retire from Government service.

The Committee so appointed shall submit its report to the House of the People by the first week of the next session of the House of the People."

"इस सदन का यह मत है कि इस सदन के सत्र के दौरान में अध्यक्ष जी द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले लोक सभा के २१ सदस्यों की एक समिति नियुक्त कराई जाय जो किसी भी ऐसे सदस्य की, अपने नाम में, परिवार के अन्य सदस्यों के नाम में, संयुक्त रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से उसके नाम पर बनाई गई धन-संपत्ति पर पूछताछ कराने के लिये एक पूछताछ आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता

वांछनीयता तथा कार्यता पर विचार करे; और वह सदस्य--(क) संविधान के अन्तर्गत कोई पदाधिकारी हो; अथवा (ख) भारत सरकार अथवा किसी भारतीय राज्य सरकार का कोई उत्तरदायी पदाधिकारी हो, और विशेष रूप से संविदा प्रस्तुत करने, अनुज्ञप्ति जारी करने, आयकर या राजस्व इकट्ठा करने अथवा किसी वस्तु का समाहार, राशीकरण, वितरण, विक्रय या लाने-लेजाने का नियंत्रण करने का अधिकार रखता हो;

और सरकारी नौकरी से निवृत्त होने, अथवा अपना पदत्याग करने वाला हो।

इस प्रकार की नियुक्त समिति लोक सभा के आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में लोक सभा को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।"

श्री एन० सोमना (कुर्ग) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

मूल संकल्प के स्थान पर निम्न में दिया हुआ संकल्प आदिष्ट किया जाय :

"This House views with great concern at the allegations of corruption made in this House and outside against officers of the Government, and is of the opinion that Government should take immediate and strong measures to put down all kinds of corruption among all ranks of officials of the Government of India and the States as also all the legislators including Ministers of Government and with a view to achieving this object, either appoint a Commission with powers of inquiry and investigation or by the reorganization of the Central Intelligence Department with suitable powers of investigation, into the wealth, fortune or property of any individual."

"यह सदन यहां सदन में तथा इसके बाहर सरकारी पदाधिकारियों पर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों में दिलचस्पी लेता है, और इस का यह मत है कि भारत सरकार तथा राज्यों के सभी पदाधिकारियों की सभी श्रेणियों, एवं सरकार के मंत्रियों सहित सभी विधायकों से हर प्रकार का भ्रष्टाचार दूर करने के लिये सरकार को तत्काल एवं कड़े उपाय करने चाहियें, और इस उद्देश्य-पूर्ति के लिये उसे पूछताछ एवं जांच करने के अधिकारों वाला एक आयोग नियुक्त करना चाहिये, अथवा केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की किसी संस्था द्वारा, जिसे जांच करने के लिये उपयुक्त अधिकार प्राप्त हों, किसी भी व्यक्ति की धनसंपत्ति या जायदाद पर पूछताछ करानी चाहिये।"

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर--दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"Take steps to investigate" "जांच करने की कार्यवाही करें" शब्दों के स्थान पर "periodically" "किसी अवधिवाद" आविष्ट किया जाय।

श्री एच० जी० वैष्णव (अम्बड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) "steps to investigate" "जांच करने की कार्यवाही" शब्दों के बाद "if they deem fit" "यदि वे उचित समझें" शब्द आविष्ट किये जायें।

(२) "of any member or members of his family, jointly or severally" "किसी भी सदस्य या उसके परिवार के सदस्यों की, संयुक्त रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से" शब्दों के स्थान पर "in the name of any person as *Benamidar*" "'बेनामिदर' के रूप में किसी भी व्यक्ति के नाम में" शब्द आदिष्ट किये जायें।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

वर्तमान भाग (क) के सामने निम्नांकित नया भाग आदिष्ट किया जाय, और वर्तमान (क) और (ख) भाग को क्रमशः (ख) तथा (ग) भाग का पुनरक्षरीकरण (पुनसंख्यांकण) किया जाये :

"(a) was elected in or after the year 1945 to either House of Legislature of any State."

[श्री राघवाचारी]

"(क) वर्ष १९४५ में या उसके बाद किसी भी राज्य की ऊपर या नीचे की किसी भी विधान-सभा में निर्वाचित हुआ था।"

श्री के० सुब्रह्मण्यम् (विजियानगरम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

श्री राघवाचारी द्वारा प्रस्तुत संशोधन में, "and at the Centre" "और केन्द्र में" शब्द अन्त पर जोड़े जायें।

श्री गिडवानी (थाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

भाग (क) में "Constitution" "संविधान" शब्द के बाद निम्नांकित शब्द आदिष्ट किये जायें :

"or has held such office after the 15th of August, 1947."

"या १५ अगस्त, १९४७ के बाद इस प्रकार का कोई पद धारण किया है।"

श्री एन० पी० सिन्हा (हज़ारीबाग पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

भाग (क) में "Constitution" "संविधान" शब्द के बाद निम्नांकित शब्द आदिष्ट किये जायें :

"except those covered by chapter IV of Part V and chapter V of Part VI of the Constitution."

"उन को छोड़ कर जो संविधान के भाग ५ के अध्याय ४ और भाग ६ के अध्याय ५ में सम्मिलित हों।"

श्री भगवत झा (पूर्निया व सन्थाल परगना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

भाग (क) में "Constitution" "संविधान" शब्द के बाद निम्नांकित शब्द आदिष्ट किये जायें :

"or is a member of Parliament or of the State Legislature."

"या संसद्-सदस्य या राज्य विधान-मंडल का सदस्य है।"

डा० राम सुभग सिंह : (शाहाबाद दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

भाग (ख) में "a Responsible Officer" "एक उत्तरदायी **पदाधिकारी**" शब्दों के स्थान पर "an employee" "एक कर्मचारी" शब्द आविष्ट किये जायें।

श्री एच० जी० वैष्णव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

भाग (ख) में "a responsible officer" "एक उत्तरदायी पदाधिकारी" शब्दों के स्थान पर "an employee" "एक कर्मचारी" शब्द आविष्ट किये जायें।

श्री तेलकीकर (नान्देड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

जहां कहीं भी "Officer" "पदाधिकारी" शब्द आ जाय, वहां "employee" "कर्मचारी" शब्द आविष्ट किया जाय।

डा० राम सुभग सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

जहां कहीं भी "Officer" "पदाधिकारी" शब्द आ जाय वहां "employee" "कर्मचारी" शब्द आविष्ट किया जाय।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

भाग (ख) के बाद निम्नांकित नया भाग (ग) आदिष्ट किया जाय :

"(c) is a member of the police service and holds the office above the rank of a sub-inspector."

"(ग) पुलिस सेवा का सदस्य है तथा पद में सब-इन्सपेक्टर से ऊंचा है।"

श्री एन० एस० नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

भाग (ख) के बाद निम्नांकित नया भाग (ग) आदिष्ट किया जाय :

"(c) serves as a Minister in the union or in any of the States."

"(ग) संघ अथवा किसी भी राज्य में मंत्री के पद पर है ।"

डा० गंगाधर शिव (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित **जातियां**) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

से (ख) के बाद निम्नांकित नया भाग (ग) आदिष्ट किया जाय :

"(c) is a non-official holding Government post or is a legislator of a State or is a member of Parliament;

"(ग) सरकारी पद पर काम करन वाला कोई ग़ैर-सरकारी व्यक्ति है अथवा किसी राज्य का विधायक है, या संसद् का सदस्य है ।"

श्री तेलकीकर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"and is about to relinquish his post or office or retire from Government service"

"अपनी नौकरी या पद त्याग करन वाला है या सरकारी नौकरी से निवृत्त होने वाला है" शब्दों का लोप किया जाय ।

श्री सिंहासन सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" and is about to relinquish his post or office or retire from Government service'

"अपनी नौकरी या पद त्याग करने वाला है या सरकारी नौकरी से निवृत्त होने वाला है" शब्दों का लोप किया जाय ।

और श्री एच० जी० वैष्णव, श्री तेलकीकर श्री राघवाचारी, श्री के० सुब्रहमण्यम्, श्री सिंहासन सिंह, श्री भगवत झा तथा **श्री पुन्नूस** ने भी संशोधन प्रस्तुत किये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मूल संकल्प और सभी संशोधन सदन के समक्ष हैं । अब, उन सभी पर एक साथ चर्चा की जायेगी । चूंकि श्री तेलकीकर का कहना है कि उन्हें न तो इस सत्र में और न पिछले सत्र में बोलने का अवसर मिला है, अत: मैं उन्हें बोलने का बलावा देता हूं ।

श्री तेलकीकर : श्रीमान्, यह संकल्प इस संपूर्ण सत्ताधारी भारतीय गणतंत्र में रहने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है । इतना ही नहीं, यह तो संविधान के सिद्धान्तों पर एक कलंक बना रहेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुल १५ मिनट तक आप बोल सकते हैं ।

श्री तेलकीकर : बिल्कुल प्रारम्भ में ही इस संकल्प से वह सब आश्वासन रद्द हो जाता है जो संविधान की प्रस्तावना में दिया जा चुका है ।

आप संविधान के अनुच्छेद १४ को पढ़ लीजिये :

"भारत राज्य-क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायेगा ।"

और प्रस्तुत संकल्प के अनुसार हम एक भेद-नीति चलाते हैं, यानी एक सरकारी कर्मचारी की पूछताछ हो जाती है और एक ग़ैर-सरकारी व्यापारी ऐसी पूछताछ से साफ़ छट जाता है । तो इस से यही समझा जायेगा कि सरकारी कर्मचारी बनना पाप है ।

इसी तरह अनुच्छेद १९ और २१ के अनुसार कोई भी व्यक्ति संपत्ति बना सकता है, और किसी भी ढंग से धन का व्यय कर सकता है : और उस से कभी भी कोई पूछताछ नहीं हो सकती, किन्तु इस संकल्प से यह सारी स्वतंत्रता छिन जाती है । चुनाचि इस संकल्प में दण्ड-संहिता के प्रथम और सब से महत्वपूर्ण सिद्धान्त की प्रतिकूलता पाई जाती है । वहां यह बताया गया है कि जब तक आप अन्यथा सिद्ध नहीं कर लेते तब तक एक कानून की नज़रों में कोई भी व्यक्ति निर्दोष है किन्तु इस संकल्प से यही धारणा बनती है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी दोषपूर्ण और बेईमान है । निरीहत

[श्री तेलकीकर]

एक साधारण चीज़ है और अपराध एक अपवाद है किन्तु इस संकल्प ने स्थिति बदल डाली है। मेरी राय में तो इस धारणा से व्यक्ति की प्रतिष्ठा कम हो जाती है--हां, न केवल व्यक्ति की अपितु सारे राष्ट्र की। मुझे इस बात का विश्वास है कि यह गौरवान्वित सदन इस विचार को स्वीकार नहीं करेगा कि भारत सरकार के सभी कर्मचारी, निरपवाद रुप से, भ्रष्ट और बेईमान हैं।

पंडित अलगू राय शास्त्री (ज़िला आजमगढ़–पूर्व व ज़िला बलिया–पश्चिम) : इस प्रकार की कोई भी बात नहीं।

श्री तेलकीकर : भूतकाल में भारत अपने ऊंचे नैतिक स्तर के लिये प्रसिद्ध था; चुनाचि सदन को ज्ञात होगा कि चीनी यात्री ह्यून-त्सांग ने अपनी पुस्तक में भारत के सम्बन्ध में वर्णन देते हुए लिखा है कि पाटलिपुत्र नगर में लोगों को यह भी पता नहीं था कि चोरी क्या चीज़ होती है, और यह स्पष्ट है कि हमें उन ही प्रथाओं का अनुसरण करना होगा। (**एक माननीय सदस्य** : आज क्या स्थिति है ?) मैं प्रस्तुत संकल्प के प्रस्तावक सरदार हुक्म सिंह से यह पूछना चाहता हूं कि क्या हम इस हद तक नीचे उतर आये हैं।

डा० राम सुभग सिंह : आप सचाई नहीं जानते।

श्री तेलकीकर : मैं यह कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार अवश्य है, लेकिन उस को हटाने का यह कोई उपाय नहीं।

पंडित अलगू राय शास्त्री : यही एकमात्र उपाय है।

श्री तेलकीकर : निश्चय ही हमें इस अभिशाप को देश से हटा देना चाहिये। मैं ने तो इस संकल्प पर कई संशोधन भी सुझाये हैं। जब भी संशोधनों पर चर्चा होगी, मैं इन के सम्बन्ध में बोलूंगा--यों तो इस समय उन का उल्लेख करना असंगत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य संकल्प तथा संशोधनों पर एक ही बार बोलें। वह अपने संशोधन के पक्ष में, अन्य संशोधनों तथा संकल्प के विपक्ष में बोल सकते हैं।

श्री तेलकीकर : इस समय इस बात का उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इस समय अपने संशोधनों पर नहीं बोलते, तो उन्हें पुन: बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।

श्री **तेलकीकर** : मैं अपने संशोधनों में कुछ परिवर्तन करना चाहता हूं। मैंने यह प्रस्ताव किया है कि :

"make a thorough investigation into all the possessions of such an officer"

[इस प्रकार के पदाधिकारी की सभी अधिकृत सम्पत्ति में पूरी पूरी जांच की जाय]

शब्दों के बाद निम्नांकित शब्द जोड़े जायें :--

"as and when the Commission has sufficient reason to believe or a complaint being lodged or an information being received from either the Government or the public. that such an employee is owning or holding or to have accumulated wealth or property in excess of what could be accumulated by an honest and miserly employee."

[जभी और जिस समय आयोग को यह मानने के पर्याप्त कारण हों अथवा कोई शिकायत भेजी जा रही हो अथवा सरकार या जनता से यह सूचना मिल रही हो कि अमुक कर्मचारी के पास इतनी सम्पत्ति है या उस ने इतनी सम्पत्ति इकट्ठी की है जो किसी भी ईमानदार और कंजूस कर्मचारी द्वारा इकट्ठी की जाने वाली सम्पत्ति से अधिक है]

मेरा सुझाव तो इस प्रकार का है कि बिना किसी शिकायत के किसी भी सरकारी कर्मचारी का पोल नहीं खुल सकता, नहीं तो सभी कर्मचारियों की सम्पत्ति का हिसाब लगाना बहुत ही कठिन है। मेरे सुझाव में कार्यता है। हो रहा है कि वर्तमान स्थिति में यह संकल्प सभी दोषी या निरीह कर्मचारियों को परेशान करेगा।

मैं ने अपने एक संशोधन में यह भी सुझाया है कि—

" and is about to relinquish his post of office or retire from Government service."

[और नौकरी या पद त्याग करने वाला या सरकारी नौकरी से निवृत्त होने वाला है]

शब्दों का लोप किया जाय। मुझे इस सम्बन्ध में जेल का एक किस्सा याद आजाता है कि किस तरह प्रवेश या प्रस्थान करने से पहले तलाशी ली जाती थी। अब तलाशी करने की बात से ही घृणा हो जाती है। मान लीजिये कि आप किसी पुस्तक-संग्राहालय में हों, वहां आप की तलाशी ली जाय तो कितना बुरा होगा। यह ठीक है कि किताबों के चुर जाने से बचने का यही एकमात्र उपाय है, लेकिन ज़रा सोचिये कि तलाशी की बात कितनी भद्दी है।

श्री एस० एस० मोरे : उस में पुस्तक-संग्रहालय का तो लाभ है।

श्री तेलकीकर : ठीक है, यह बात जेल या पुस्तक-संग्रहालय के प्रसंग में भले ही ठीक हो, लेकिन यहां ऐसी कोई भी बात नहीं है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या जेल जाते समय हमारी तलाशी नहीं ली गई ?

श्री तेलकीकर : हमारी तो ली गई, लेकिन हमें उस से घृणा गई।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना है कि जेल कार्यालय नहीं होता, और कार्यालय जेल नहीं होता।

पंडित अलगूराम शास्त्री : किन्तु कार्यालय एक बड़ा जेल है, और यहां अधिक उत्तरदायित्व हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : जेल जाना भी कार्यालय में जाने के समान है ?

श्री तेलकीकर : मैं तो यही समझता हूं कि सरकारी कर्मचारियों की गतिविधियों और कार्यों पर कड़ी निगरानी रखने से हम भ्रष्टाचार और घूसखोरी को शनैः शनैः बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। मेरा विचार है कि ईमानदारी स्वस्थ मस्तिष्क का काम है और ग़ैर-ईमानदारी एक प्रकार का रोग है। सरकार को डाक्टर बन कर जनता का इलाज करना होगा, और जनता का मनोविज्ञान बदल देना होगा। जब तक जनता का नैतिक स्तर ऊंचा नहीं होता, तब तक कानून कुछ भी नहीं कर सकता। सरकार को चाहिये कि केवल अपराधियों को दण्ड दिया करे। दोनों सरकार और जनता की ओर से सद्भावना होनी चाहिये, नहीं तो कानून की पकड़ में भी सरकारी कर्मचारी भागने के रास्ते ढूंढ निकालेंगे। दोनों पक्षों को राष्ट्रकल्याण का उपाय सोचना होगा।

१ म० प०

एक माननीय सदस्य : अब एक बजा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सदन और तीन मिनट तक बैठा रहे तो माननीय सदस्य भाषण समाप्त करेंगे।

श्री तेलकीकर : इन ही बातों के उपाधार पर मैं इस संकल्प का ज़ोरदार विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के लिये २-३० म० प० तक स्थगित हो जायेगी।

इस के पश्चात् सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के लिये ढाई बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात सदन की बैठक ढाई बजे पुनः समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

श्री लोकनाथ मिश्र (पुरी) : श्रीमान्, सूचना के हेतु आप से पूछना चाहता हूं कि क्या आप के पास कोई सूची है जिस से आप बोलने वाले सदस्यों के नाम पढ़ लेते हैं, और क्या आप उस में कुछ और नाम जोड़ लेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास एक सूची है । जिस किसी ने भी चिट भेजी है, उसका नाम लिखा गया है । अब मैं उन के नाम भी लिखूंगा जो खड़े होंगे ।

श्री **लोकनाथ मिश्र** : क्या आप मेरा नाम भी लिखेंगे ? (**अन्तर्धान**) ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । किसी भी अन्य व्यक्ति या दल ने नाम नहीं भेजे हैं । मैं अपनी सुविधा के अनुसार यदि यह देखूं कि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहता है तो मैं उस का नाम लिखूंगा । जिन्होंने चिट भेजे हैं उन के नाम भी मैं ने लिख डाले हैं । अब मैं संख्या के अनुसार समय बांट रहा हूं । अतः यदि एक पक्ष का कोई बोलने वाला सदस्य बोले तो उस के बाद दूसरे पक्ष के बोलने वाले को पुकारा जायेगा ।

डा० लंकासुन्दरम् (विशाखापटनम्) क्या आप इस बात पर अनुरोध नहीं करेंगे कि चिट भेजी जाय ?

उपाध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं ।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : श्रीमान्, दस मिनट की अवधि का हिसाब रखिय ताकि अधिक सदस्य बोल सकें ।

श्री राघवाचारी : श्रीमान् मैं एक संशोधन रखना चाहता हूं । मुझे बोलने की आज्ञा दी जाय ।

श्री **गिडवानी** : दस मिनट की अवधि होनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम यह है कि जिस सदस्य के नाम में कोई संशोधन हो, उसे बुलाये जाने की आशा नहीं करनी चाहिये । किन्तु मैं हर एक को समय देने का प्रयत्न करूंगा । तो अब, क्या आप यह चाहते हैं कि केवल दस मिनट की अवधि दी जाय ?

कई माननीय सदस्य : हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम यह है कि पन्द्रह मिनट का समय दिया जाय लेकिन यदि सदन की इच्छा इस प्रकार की है तो मैं दस मिनिट की अवधि निश्चित करूंगा । चूंकि बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं. अतः मैं दस मिनट की अवधि रखूंगा, किन्तु एक-दो सदस्यों को पन्द्रह मिनट दिये जायेंगे ।

श्री **सारंगधर दास** (ढेनकनाल - पश्चिम कटक) : श्रीमान्, मैं सरदार हुक्म सिंह द्वारा प्रस्तावित संकल्प का सहर्ष समर्थन करता हूं । इस प्रकार का संकल्प इस लिये आवश्यक है क्योंकि देश में चारों ओर भ्रष्टाचार भरा हुआ है । हम जो अन्न खा रहे हैं उस में मिलावट है, उस से इस बात का पता चलता है कि देश का नैतिक स्तर कितना गिर चुका है । अज्ञान, निरक्षरता और हिन्दू समाज की हज़ारों वर्ष की परम्पराओं के कारण साधारण जनता यही कहा करती है :–

राजाना हेंता धर्में––राजा जैसा भी करे, उसे धर्म माना जाना चाहिये और प्रजा को उस पर चलना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : यथा राजा तथा प्रजा ।

श्री सारंगधर दास : यही कारण है कि सारा देश भ्रष्टाचार में डूब चुका है । इस में सन्देह नहीं कि युद्ध के बाद ऊंचे ऊंचे मंडलों और बड़े बड़े पदाधिकारियों में भी भ्रष्टाचार फैलता गया । एक समय था जब आई० सी० एस० (भारतीय असैनिक सेवा के) पदाधिकारियों में भ्रष्टाचार नहीं था; उन्हें इसी लिये बड़े वेतन मिलते थे, लेकिन अब उन में भी भ्रष्टाचार बढ़ चुका है । जब तक आप इस संकल्प पर कार्य नहीं करते और समय समय पर सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति की जांच नहीं करते, और उन की संपत्ति का लेखा-जोखा नहीं बनाते तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा । मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि हमारे मन्त्री पदाधिकारियों को इस प्रकार की पूछताछ से बचाना चाहते हैं । आज प्रातः तारांकित प्रश्न संख्या ८०४ का जो उत्तर मिला था, उस से यही स्पष्ट होता है । ऊपरि सदन (राज्य-परिषद्) में भी उन्हें इस पूछताछ से बचाये जाने का उपचार किया जा रहा है । आश्चर्य से कहना पड़ रहा है कि अमुक व्यक्ति मन्त्री बन कर आता है और आने के तीन-चार दिन बाद ही अपने अपने सम्बन्धियों को सचिव बनाता है । उस के बाद कोई व्यापार निगम संस्थापित कर लेता है और आज्ञा-पत्र और अनुज्ञप्तियां जारी कर लेता है – बाहर से माल मंगाया जाता है और मद्रास या कलकत्ता के किसी सार्थ को बेचा जाता है और वे उसे काले बाज़ार में बेचते हैं तो इस तरह घर बैठे ही उसे लाख-डेढ़ लाख का लाभ हो जाता है । आप उदाहरण के लिये साइकलों को ही लीजिये ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर): साइकिलें काली होती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : किन्तु यदि उसे उड़ीसा में वितरित किया जाय तो उस में कोई आपत्ति नहीं ।

श्री सारंगधर दास: नहीं, नहीं । मैं और कोई चीज़ बता रहा हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि उड़ीसा के किसी सार्थ को कोई अनुज्ञप्ति दी जाय, तो यह ज़रूरी है कि उस माल को उड़ीसा में बेचा जायेगा । और ऐसा होते हुए भी हमारी सरकार यही कहती है कि उस के पास यह लिखा नहीं रहता कि यह उड़ीसा के लिये था अथवा किसी अन्य स्थान के लिये । मैं जानता हूं कि आयात-पूंजी से यह सब सूचना मिल जाती किन्तु फिर भी मन्त्री जी ने बतलाया कि उन के पास कोई सूचना नहीं । समाज में ऊंचे स्तर के व्यक्ति ही यदि इस प्रकार करने लगें तो औरों की क्या बात होगी । अब आप बताइये कि बिहार के गुड़-गुटाले का क्या हुआ । चुनाचि वहां के प्रधान मन्त्री को उस के सम्बन्ध में पूछताछ के लिये कहा गया था लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला । इसी तरह मद्रास के सम्बन्ध में श्री प्रकाशम् ने जो पूछताछ की थी, उस में एक ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था जो महात्मा गांधी का एक बड़ा भारी भक्त समझा जाता था । चुनाचि उस ने मद्रास की विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को मोटर खरीदने की लाइसेन्स दी थी, और बाद में बंगाल और बिहार में इन बातों का पता चला । मेरे पास अधिक समय नहीं अन्यथा मैं आप के सामने और भी कई एक उदाहरण रख लेता । अतः मैं पूरे ज़ोर से इस संकल्प का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यदि मद्रास या केन्द्रीय सरकार में किसी भी पदाधिकारी को भ्रष्टाचार में पकड़ा जाय तो उसकी पूरी पूछताछ होनी चाहिये और यथा आवश्यकता पूछताछ पूरी हो जाने तक उसे मुअत्तिल किया जाना चाहिये ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : क्या मैं अपने मान्य

मित्र से यह प्रश्न पूछ सकता हूं कि क्या वह पूछताछ के दौरान में किसी पदाधिकारी को मुअत्तिल कर सकते हैं ? इस का यह उत्तर दिया गया था कि पूछताछ की गई और यदि पूछताछ से यह पता चला कि उस पर आरोप लगाने की कोई स्थिति थी, तब उस का परिणाम निकलता । आज प्रातः यही उत्तर दिया गया था । माननीय सदस्य को प्रश्न के समय से पहले ही उसे जांचने का क्या लाभ है ?

श्री सारंगधर दास : मैं यह कहता हूं कि सरकार इस बात से भी इन्कार करे कि मुअत्तिल होने का आदेश जारी किया गया था । वह पदाधिकारी इस के सम्बन्ध में जान ही गया क्योंकि सरकार की सभी गुप्त बातें जगह-जगह पहुंच ही जाती हैं । तो मैं जिस का उल्लेख कर रहा था वह पदाधिकारी मद्रास चला गया । मैं इस बात के लिये सरकार पर दोष मढ़ रहा हूं भले ही सरकार इस बात से इन्कार करे कि मुअत्तिल होने का आदेश कभी भी जारी नहीं हुआ । (**माननीय सदस्य** : वे जारी नहीं कर सकते) यदि हमारी यही गति रही तो भ्रष्टाचार हमारे समाज के निम्न स्तर तक पहुंच जायेगे जिस से सारा देश बर्बाद हो जायेगा । इस बात के लिये कि हमारा नैतिक स्तर गिर चुका है, और हमारी पैतृक परम्परा भी समाप्त हो चुकी है, मैं अपनी सरकार को ठहराता हूं । सरकार को चाहिये कि वह प्रस्तुत संकल्प स्वीकार करे, और एक आयोग की नियुक्ति करे, नहीं तो भ्रष्टाचार इतना बढ़ जायेगा कि बाद म उसे पछताना पड़ेगा ।

श्री भगवत झा (पूर्निया व सन्थाल परगना) : मैं सदन से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं : "क्या सदन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिस के मत में यह देश भ्रष्टाचार से मुक्त है, और जो कहता है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये उपायों की कोई भी आवश्यकता नहीं ?" हो सकता है कि हमारा भिन्न भिन्न मत हो, लेकिन इस पक्ष की बात हो या उस पक्ष की बात, वास्तविकता यह है कि अवैध बख़शीश या और किसी तरीके की घूसखोरी के रूप में भ्रष्टाचार जारी तो है, मैं ने सदन पटल पर रखे गये सभी संशोधनों को देखा है, और मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि एक सदस्य ने हमें यह सुझाया है कि २१ सदस्यों का एक ऐसा आयोग नियुक्त किया जाय जो इस बात की पूछताछ करे कि भ्रष्टाचार चल रहा है या नहीं । यह तो मानी हुई बात है कि देश भर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है । मैं तो यहां तक समझता हूं कि इस सदन के प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का विश्वास होना चाहिये कि प्रत्येक सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है । हां, मैं यह तो नहीं कह रहा कि सभी एक से हैं । ईमानदार पदाधिकारी भी तो हैं । कुछ भी हो, यह सही है कि इन भ्रष्ट कर्मचारियों और पदाधिकारियों के कारण हमारे देश का नैतिक स्तर गिरता जा रहा है । न केवल सरकारी पदाधिकारी अपितु सार्वजनिक कार्यों में लगे हुये गैर सरकारी कर्मचारी और यहां का जनसाधारण—सभी भ्रष्ट हैं—लोगों का इस प्रकार कहना है । यदि इस बात को माना जाय तो मैं सदन से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं : यदि हम चन्द एक पदाधिकारियों पर नियन्त्रण नहीं कर पाते तो हम करोड़ों जनता पर कैसे नियन्त्रण कर पायेंगे । आप भले ही भाषण झाड़ते रहें, किन्तु यदि आप स्वयं चोरबाज़ारी करते या करवाते हों तो उस से क्या लाभ । आप मुझ से इस बात के उदाहरण और साक्ष्य मांगते हैं कि भ्रष्टाचार कहां है । भला बताइये कि १५०) रु० मासिक वेतन पाने वाला व्यक्ति किस तरह

रोज़ रोज़ बहुत ही अच्छे कपड़े पहन सकता है और मोटरों में ही घूम सकता है । क्या इस से बढ़ कर और कोई प्रमाण दिया जा सकता है ? हम सभी इन बातों को भली भांति जानते हैं, और मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि इस प्रकार की बातें हो रही हैं ।

अब देखिये कि च्यांग-काई-शेक के दिनों म चीन में चोरबाज़ारी होती थी, और माऊ-त्से-तुंग के जमाने में उन जैसे बहादुर लड़ाके और राष्ट्रवादी लोग नहीं मिलेंगे । महात्मा गांधी ने ब्रिटिशों के हाथ से स्वाधीनता छीन कर हमें दिला तो दी, और अब जवाहर लाल नेहरू सरीखे हमारे प्रधान मन्त्री की लोक प्रियता में यदि ऐसे काम हों तो कितनी बुरी और अनैतिक बात है । यदि वह चाहें तो इन सभी बुराइयों का उन्मूलन कर सकते हैं । मैं यह नहीं चाहता कि लोगों को गोली से उड़ा दिया जाय—ठीक है कि कई जगहों में ऐसे अपराधियों को गोली से उड़ाया भी गया; लेकिन उस का बहुत बुरा प्रभाव होगा । मैं यह नहीं चाहता कि यहां भी उस प्रगतिवादी देश की तरह ऐसे लोगों को भूना जाय—हां यह हो सकता है कि ऐसे दो तीन अभियुक्तों को दण्ड दिया जाय ताकि औरों को सुधरने का मौका मिले । मारने या जेल भेजने से कोई भी लाभ नहीं । मनोवैज्ञानिक परिवर्तन से ही यह सब ठीक हो सकेगी । यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो संसद् में बैठ कर यह संकल्प पारित करने का कोई भी लाभ नहीं ।

मेरा यह निष्कर्ष है कि यहां सदन में इस बात के सम्बन्ध में कोई भी मतवैभिन्य नहीं कि सभी इस बात में सहमत हैं कि देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और प्रस्तुत संकल्प से माननीय सदस्य सरकार तथा देश को इस सम्बन्ध में चेताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मौजूद है और अब इसे हटाया जाना चाहिये । मुझे इस बात में विश्वास है कि निश्चयपूर्वक ऐसी नीति का अनुसरण करने से हम इन सभी बुराइयों को दूर कर सकते हैं ।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : हां, इस बात में सभी सहमत हैं कि इस बुराई का उन्मूलन होना चाहिये, क्योंकि भ्रष्टाचार ने हमारे सामाजिक जीवन को बर्बाद कर डाला है, किन्तु मैं आप को इस बात का स्मरण कराना चाहता हूं कि इस प्रकार की समस्या को केवल एक राष्ट्रीय स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है; हां इस का राजनैतिक शोषण नहीं होने देना चाहिये । मैं समझता हूं कि विरोधी दल के सदस्य इस को दूर करने में हमारी सहायता कर सकेंगे ।

श्री सारंगधर दास : यही कारण है कि विरोधी दल के एक सदस्य ने इसे प्रस्तुत किया है ।

३ म० प०

श्री रघुरमय्या : मैं ने इसीलिये राष्ट्रीय स्तर पर इस का उन्मूलन करने को कहा, क्योंकि अभी पिछले दिनों जब मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र का दौरा कर रहा था, तो वहां के लोग मेरे पास आये और कहने लगे कि यहां उचित दामों की दुकानें खोली जायें । मैं ने उन से पूछताछ की और उन्होंने मुझ से जो कुछ बताया वह यह था :"डिपुटी कलैक्टर ने ऐसी दुकानें खोले जाने की आज्ञा दी थी, किन्तु जब उन के दफ़्तर से यह आदेश चलने वाला था तो वहां के एक लिपिक ने, जिस का आध्यात्मिक सम्बन्ध किसी अन्य देश से है, २० रुपये की घूस मांग ली ।" इसी तरह वहां के एक और व्यक्ति, जो चुनाव आंदोलन के दिनों में कांग्रेसियों पर चोर बाज़ारी का आरोप लगा रहे थे, ने ज़िला बोर्ड का अध्यक्ष बनने पर घसखोरी शुरू की और बेचारे स्कूल के अध्यापकों से पानी की तरह पैसा लेना शुरू किया ।

श्री एस० एस० मोरे : उसे फांसी पर लटका दो ।

श्री रघुरामय्य : अतः शासक वर्ग पर इस बात का दोष मढ़ना—बहुत ही भद्दी अपकीर्ति फैलाना है । इस प्रकार का मामला तो उच्च देशभक्ति और राष्ट्रीयता के स्तर पर—जिस में किसी पार्टी का भेदभाव न हो, उठाया जाना चाहिये । इस पर कोई भी मतवैभिन्य नहीं हो सकता ।

मैं तो यह समझता हूं कि कोई भी सदस्य, भले ही वह कितना भी बड़ा आदमी हो, यदि भ्रष्टाचार में पकड़ा गया तो उसकी पूरी खबर ली जानी चाहिये । लेकिन, किस प्रकार ? राजनैतिक प्रश्न के रूप में नहीं जैसा कि श्री सारंगधर दास ने मद्रास मन्त्रि-मंडल के सदस्य के विरुद्ध श्री प्रकाशम् के आरोपों के सम्बन्ध में बतलाया । मुझे याद है कि मद्रास मंडल के सम्बन्ध में पूर्णता और पवित्रता के प्रतीक श्री नेहरू ने पूछताछ की थी और उन्हें सम्मानसहित मुक्त किया था ।

डा० एन० बी० खरे : अब स्तुति शुरू हो गई ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अन्तर्बाधारहित बोलने दिया जाय । जब इस (बायें) पक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे तो किसी भी सदस्य ने अन्तर्बाधा नहीं डाली थी । भला, इतनी अशान्ति क्यों दिखाई जा रही है ?

श्री रघुरामय्या : विरोधी दल के माननीय सदस्य कृपया शान्ति से सुन लें और समा-लोचना पर गौर करें, क्योंकि वे भी देश उस राष्ट्रीय जीवन के अंग हैं जिस को भ्रष्टा-चार ने बर्बाद कर डाला है ।

मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि इस बात का उपचार होना चाहिये, लेकिन जैसा मैं आप से बतला चुका हूं, कि हमारे सामने यह प्रश्न है कि क्या किया जाना चाहिये । संकल्प में यह दिया गया है कि नौकरी में लगे हुए सदस्यों के परिवार के किसी भी सदस्य की या सम्बन्धी की संपत्ति पर पूछताछ तथा जांच होनी चाहिये । मैं तो समझता हूं कि हिन्दू परिवारों में तो कभी कभी दो सौ सदस्य होते हैं तो क्या आप उन सभी की पूछताछ करा लेंगे । ऐसी स्थिति में कोई भी सम्मानित व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं करना चाहेगा । आप हर एक व्यक्ति को दोषी नहीं समझिये । जब कभी भी किसी पदा-धिकारी पर कोई आरोप लगाया जाय तो उसी की पूछताछ कीजिये, और यदि उसका दोष सिद्ध हुआ तो उसे कड़े से कड़ा दण्ड दे दीजिये । हमें इस दिशा में अवश्य कोई कार्यवाही करनी चाहिये, और इस के लिये मैं सुझाव प्रस्तुत करूंगा ।

मैं सर्वप्रथम यह कहना चाहूंगा कि सरकार के मन्त्रिमंडल के सदस्यों को इस प्रकार के अभियोगों से मुक्त नहीं समझना चाहिये, और यदि कोई सदस्य उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, तो उनकी पूछताछ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ही होनी चाहिये । ऐसा भी देखने में आया है कि जब घूस खाने वाले पदाधिकारियों का पेट भर जाता है तो वह पद त्याग कर देते हैं या अनिवार्य निवृत्ति ले लेते हैं । कई ऐसे भी पदाधिकारी हैं जो, इसलिये वेतनवृद्धि या स्थानान्तरण नहीं चाहते क्योंकि जिन पदों पर वे तत्काल काम करते होते हैं, वहां उन्हें बहुत पैसा कमाने की सुविधायें होती हैं । अतः विभागीय कार्यवाही के अतिरिक्त उन्हें और भी दण्ड मिलना चाहिये । यदि अभियुक्त का दोष सिद्ध हो जाय तो अवैध रूप से कमाई हुई उसकी सारी सम्पदा को छीन लिया जाना चाहिये । इस प्रकार की कार्यवाही से कुछ न्याय हो सकेगा ।

सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ कराने के लिये न्यायालय के समक्ष

स्पष्ट और कड़े साक्ष्य चाहियें, और ऐसे मामलों में प्रायः उस प्रकार के साक्ष्य नहीं मिलते, क्योंकि न्यायालय की तसल्ली के लिये पूरा और सन्तोषजनक प्रमाण होना चाहिये । अतः मैं यह सुझाव दूंगा कि ऐसे मामलों की पूछताछ के लिये न्यायिक या भूतपूर्व न्यायिक पदाधिकारियों का एक विशेष न्यायाधिकरण होना चाहिये ।

एक और यह सुझाव देना चाहता हूं कि हर वर्ष स्थावर संपत्ति की सूची देने के अतिरिक्त वे प्रति वर्ष जंगम सम्पत्ति की भी पूरी सूची दिया करें । मैं समझता हूं कि इस प्रकार के उपाय से हम भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं ।

एक और सुझाव यह है कि चूंकि आरोप लगाने में कोई कठिनाई नहीं होती, और राजनीतिक आरोप तो और भी सुगमता से लगाये जाते हैं, अतः इस में ऐसी कोई प्रत्याभूति होनी चाहिये जिस से कि मिथ्या आरोप नहीं लगाया जाय । श्रीमान्, इस सम्बन्ध में मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जो लोग बुरे विचार से, आधाररहित और अपमानजनक आरोप लगायें, उन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा २११ लागू की जाय क्योंकि प्रायः ऐसा देखने में आया है कि जब भी किसी की वेतन वृद्धि होने वाली हो, या उसे अच्छा पद मिलने वाला हो, तो उसे गिराने के लिये उसके बड़े पदाधिकारी के नाम गुमनाम चिट्ठियां भेजी जाती हैं । अतः वैसी गुमनाम चिट्ठियों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये । मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे देश में सामान्य नागरिक—पुरुष तथा स्त्रियां—अच्छे अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि उन पर निराधार लांच्छन लगाये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने तो बिना चातुर्य के स्त्रियों के साथ भी यह विशेषण लगाया ।

श्री रघुरामय्या : मैं उन्हें भी प्रतिष्ठा प्रदान करना चाहता था ।

श्रीमान्, मैं विरोधी दल के सदस्यों से पुनः यह अपील करूंगा कि वे इस मामले को राजनीतिक प्रश्न नहीं बनायें और इसे राष्ट्रीय स्तर का मामला समझ कर निपटा लें, और भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने में पूरा सहयोग दें, ताकि यह सामाजिक बुराई न केवल नगरों से अपितु देहातों से भी पूरी तरह हट जाये ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, मैं ने तो इतना ही कहा था कि श्री प्रकाशम् ने आरोप लगाये थे, और एक बड़े विख्यात कांग्रेसी ने कहा था कि बंगाल और बिहार में ये बातें हुईं । मैं ने मद्रास के मन्त्रालय के सम्बन्ध में तो कुछ भी नहीं कहा । मैं बतला रहा था कि यह एक गलत बात थी । मैं मद्रास-मन्त्रालय के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की अच्छाइयों के विस्तार में तो नहीं गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आनन्दन नंबियार ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को इस विवाद का स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना चाहिये । बहुत सी बातें कही जा सकती हैं । हमें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये जो उचित न हो । इस विषय पर तो बहुत ही पर्याप्त सामग्री है । अतः मैं सभी माननीय सदस्यों से एक यह प्रार्थना करूंगा कि वे सावधानी और अनुशासन से काम ले कर वे ही बातें कहें जिन से प्रत्येक विचारधारा के सदस्य पर प्रभाव पड़े ।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : श्रीमान्, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया है । यह तो भाग्य की विडम्बना है कि आज हमारे समक्ष दो प्रश्न प्रस्तुत हुए हैं । प्रश्न काल में एक वरेण्य पदाधिकारी के सम्बन्ध म प्रश्न किया गया था और उस के तुरन्त बाद ही—

केवल पन्द्रह मिनट में, यह बात हमारे सम्मुख आई कि सार्वजनिक जीवन को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाय । हम ने कई भूतपूर्व पदाधिकारियों की भी बातें सुनीं । यह तो भाग्य की विडम्बना है कि आज ही ये सभी बातें प्रस्तुत हुईं । श्रीमान्, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य भी किसी समय एक लिपिक थे ।

श्री नम्बियार : हां, श्रीमान्, लिपिक तो था, लेकिन कोई गज़टेड पदाधिकारी नहीं था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वे संसद्-सदस्यों की ओर क़तई निर्देश न करें, क्योंकि इस से गड़बड़ हो जाती है । माननीय सदस्य—श्री रघुरामय्या एक बड़े पद पर थे, वहां से पद त्याग कर के वे सदस्य की हैसियत से इधर आये हैं । इस पक्ष के माननीय सदस्य भी रेल सेवाओं में थे । वह भी वहां का उच्च पद छोड़ कर आये हैं । आज वह भी संसद् सदस्य हैं, अतः ऐसी बातों के कहने का कोई भी लाभ नहीं । यदि माननीय सदस्य रघुरामय्या को निजी व्याख्या प्रस्तुत करने का कोई मौका मिला तो वह अवश्य ऐसा कहेंगे । मैंने संयुक्त सचिव के नाते पद त्याग किया, ज़रा इस व्यक्ति को देखो, यह तो एक लिपिक था । अतःएव जब सदन से बाहर की बहुत सी अन्य बातों को विचार में लाया जा सकता है तो ऐसी बातों को दोहराने का कोई भी लाभ नहीं ।

श्री नम्बियार : मैं तो बतला रहा था कि भाग्य की विडम्बना है कि.....

उपाध्यक्ष महोदय: इस में भाग्य की कोई भी विडम्बना नहीं । इस में सदन का कल्याण है कि माननीय सदस्य यहां बैठे हैं ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी पदाधिकारियों को बेकार में दोषी नहीं बनाया जा सकता । किन्तु मैं कई संगत तथ्य आप को बता दूंगा ताकि मेरे मान्य सहयोगी द्वारा प्रस्तुत संकल्प को समर्थित किया जा सके । मैं सरकारी लेख्यों की सहायता से यह बात सिद्ध भी कर सकता हूं । अभी श्री ए० के० गोपालन के उस प्रश्न के उत्तर में, जिस में उन्होंने कृषिहार गुटाले की बात पूछी थी, यह बतलाया गया था कि एक पदाधिकारी को तो पदच्युत किया जा चुका है । उस के बाद कुछ भी नहीं हुआ । इसी तरह ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में २ जून को जो उत्तर मिला, उस से भी ऐसी ही बात व्यक्त होती थी क्योंकि वह मामला पाशाभाई पटेल ऐंड कम्पनी से सम्बद्ध था। चुनाचि वह अभियुक्त केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के एक मान्य सदस्य का परिचित था, अतः वह मामला भी वहीं पर ठंडा हो गया । इसी प्रकार ३ जून को टैंक मार हथगोलों से सम्बद्ध प्रश्न संख्या ४११ का जो उत्तर मिला, उस से भी यही बात व्यक्त होती थी कि सरकार इन बातों के सम्बन्ध में कोई भी पूछताछ नहीं करना चाहती । गुटाला चलता है, लाखों रुपये का ग़बन होता है और फिर भी कुछ नहीं होता । तो सदन में ये तीन मामले चर्चा में आये और उन के ये ही उत्तर जो मैं बतला चुका हूं, दिये गये ।

इसी प्रकार दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की यह रिपोर्ट मिली कि विस्थापित व्यक्तियों के लिये बनाये गये मकान उनके प्रवेश या अधिकार से पहले ही गिर गये । इन बातों से आप को पता चला होगा कि ठेकेदारों ने कितना पैसा ग़बन किया । भला ऐसा किस

प्रकार हो सकता था ? ये ही वे तथ्य हैं जो प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्ट हो चुके हैं ।

दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में एक रिपोर्ट छपी थी कि उक्त निगम ने १७ करोड़ रुपयों का एक आदेश भेज रखा है, जिस में से पावर हाऊस सामग्री की खरीद के लिए ही अमरीका की इंटरनैशनल जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी को ८ करोड़ रुपये का आदेश भेजा जा चुका है। १७ करोड़ रुपयों में ८ करोड़ उधर चले ! अब बताइये कि किस ने ये करार किये । ये सभी बातें पत्रों में छपीं लेकिन आज तक भी इन पर पूछताछ नहीं की गई ।

अब देखिये कि पत्रों में एक और समाचार इस तरह छपा था : "महताब ने किस तरह लाखों रुपये कमाये : बड़े भारी षड्यन्त्र का अनावरण हुआ : कलकत्ता के व्यापारी पकड़े गय : भारत सरकार ने बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज़ पकड़ लिये ।"

इस विषय पर भी प्रश्न पूछा गया, और उस का यह उत्तर मिला कि समाचार पत्रों की खबरें प्रस्तुत की जायें । चुनाचि उनमें से कतरनें दी गई ।

तो इस प्रकार के मामले हुए हैं । अत: यह कितनी ही निराधार बात है जो हम से कहा जाय कि हम ने एक राजनैतिक बात खड़ी की । हम इस सामाजिक बुराई को हटाना चाहते हैं । हम ५०० सदस्य ही नहीं बल्कि सारा राष्ट्र भ्रष्टाचार के विरुद्ध आन्दोलन करे । हम यह कहते हैं कि आप सरकारी पदाधिकारियों को भी इस पूछताछ में ले आयें । यही हमारा निवेदन है ।

मेरे पास रेल सेवाओं से सम्बन्धित समाचार-पत्र की एक कतरन भी है । चुनाचि यह पेराम्बुर वर्कशाप से सम्बद्ध एक पद के बारे में है, और इस में बताया गया है कि कोई व्यक्ति चपरासी की जगह के लिये आवेदन-पत्र भेजना चाहता था, लेकिन वह भेज नहीं सका । पूछने पर उस ने बताया "मेरे पास तो ६० रुपये हैं, उस खलासी की जगह के लिये मुझे १०० या १५० रुपये देने पड़ेंगे; अब मैं किस तरह प्रार्थना-पत्र भेज सकता हूं ?" यह खबर एक समाचार पत्र में आई थी । यदि आप चाहें तो मैं इसे सदन पटल पर रख दूंगा । मेरे पास उस चिट्ठी की भी एक प्रति है जो श्री कल्याण सुन्दरम्—मद्रास विधान-सभा-सदस्य ने दक्षिण रेल के जनरल मैनेजर के पास भेजी थी । इस में लिखा है "भर्त्ती के लिये इतना भ्रष्टाचार चल रहा है । आप ईश्वर के लिये इस को रोक लीजिये । जो कुछ भी आप से हो सके, आप कर लीजिये ।" आप सभी समाचारपत्रों में पढ़ते होंगे कि अमुक चपरासी या अमुक लिपिक को घूसखोरी के लिये दण्डित किया गया । क्यों ? होता यह है कि बड़े बड़े पदाधिकारी घूस खाते हैं और छोटे-छोटे पदाधिकारियों को इस के लिये दण्डित किया जाता है । श्रीमान्, मैं आप को कई एक उदाहरण दे सकता हूं और यह सिद्ध कर सकता हूं कि इस प्रकार की दलगत प्रतिशोध की बातें हर किसी प्रान्त और हर किसी विभाग में हो रही हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य को यह स्मरणें होना चाहिये कि यहां जितने भी व्यक्ति बैठे हैं; वे सभी संसद् के सदस्य हैं । राज्य विधान-सभाओं के जिन प्रतिनिधियों का उल्लेख हुआ है, वे भी जनता के प्रतिनिधि हैं । हमें उन की आलोचना करने का कोई भी अधिकार नहीं । वे स्वयं अपने आप को सम्हाल सकते हैं । भारत में २२ राज्यों में विधान-मण्डल हैं । और यदि माननीय सदस्य के समान अन्य सदस्य भी उन सभी का विरोध करने लगें, तो इन बातों का कभी भी कोई अन्त नहीं होगा । यहां के नियमों में यह

बताया गया है कि राज्य विधान-मण्डल के किसी सदस्य या किसी संसद्-सदस्य के आचरण की ओर यहां निर्देश नहीं दिया जायेगा ।

श्री नम्बियार : एक और मामला भी प्रस्तुत करना चाहता हूं । मैं मन्त्रियों की ओर निर्देश नहीं कर रहा हूं । रीवा के एक सार्थ के महाप्रबन्धक श्री गणेश प्रसाद अग्रवाल के हस्ताक्षर से एक पत्र विन्ध्य प्रदेश के लेफ्टीनेंट गवर्नर श्री सन्थानम् के नाम भेजा गया है जिस की एक प्रति मेरे पास है । यह पत्र साइक्लोस्टाईल हुआ है और इस पर ५ जून, १९५२ दिनांक भी है । दुर्भाग्यवश, इस में एक मन्त्री का नाम भी आया है । इस में सारी बातें दी गई हैं । मैं इसे सदन के समक्ष रखूंगा । यह तो एक प्रकाशित चीज़ है, और मैं इस के तथ्यों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं हूं कि यह तथ्य है, क्योंकि यह प्रकाशित किया जा चुका है । हो सकता है कि आप आज इस संकल्प को ठुकरा दें, लेकिन आख़िर आप ने इसका क्या उपचार सोच रखा है । सरकारी बेंचों पर बैठने वाले सदस्य तो कानों में तेल डाल कर बैठे हैं । यदि इस समय आप ने इस का कोई उपचार नहीं किया तो समाज का क्या हाल होगा । इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि जब भी ऐसे मामलों पर पूछताछ होगी, सदन के पास तत्काल ही उनकी रिपोर्ट पहुंचनी चाहिये ।

यदि श्री हुक्म सिंह मुझे इस बात की आज्ञा दें तो मैं यह भी सुझाव दूंगा और एक संशोधन भी प्रस्तुत करूंगा कि प्रत्येक राज्य में और केन्द्र में इन बातों की पूछताछ के लिये एक स्थाई न्यायाधिकरण होना चाहिये । और अच्छी परम्परा, अच्छे राजनीतिक जीवन तथा चिरकाल की प्राविधिक शिक्षा वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि ही उस न्यायाधिकरण के सदस्य होने चाहियें । उन्हें समय समय पर बैठक आयोजित कर के ऐसे मामलों पर विचार करना चाहिये । अभी मुझ से पहले बोलने वाले सदस्य ने न्यायालय सूचना-केन्द्र बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन उस के लिये बहुत सी बातों की आवश्यकता पड़ेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा यह विचार था कि माननीय सदस्य की पार्टी इस प्रकार के न्यायाधिकरण के विरुद्ध थी और एक न्यायालय की नियुक्ति चाहती थी ।

श्री नम्बियार : नहीं, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय: विशेषतया निवारक निरोध अधिनियम के विषय में.....

श्री नम्बियार : श्रीमान्, वह तो एक भिन्न चीज़ है और यह अधिनियम कोई और चीज़ है । निवारक निरोध अधिनियम काम-करों तथा किसानों और उन के संगठनों के विरुद्ध काम में लाया जाता है । और प्रस्तुत संकल्प के विषय में जो न्यायाधिकरण होगा, उस में सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि होंगे । यदि इस प्रकार का संशोधन स्वीकार किया गया और तदनुसार एक ऐसा न्यायाधिकरण बनाया गया तो सारा भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा । भले ही वे इस समय कहें कि यह कौन चिल्ला रहा है, लेकिन एक समय आयेगा जब उन्हें यह बात माननी पड़ेगी ।

श्री गाडगिल : (पूना मध्य) : श्रीमान्, मेरा यह विचार था कि इस विवाद का कोई विशेष क्रम होगा । और अब इस का अपना क्रम चला है । मुझ से पहले बोलने वाले सदस्य ने कहा कि छोटे छोटे पदाधिकारियों पर ही अभियोग चलाया गया, और सरकार ने उस के बाद कोई गंभीर कार्यवाही नहीं की । मैं माननीय सदस्य को यह सूचना दूं कि १९४७ और जून १९५२ के बीच ११८ गज़टेड पदाधिकारियों पर अभियोग चलाये गये , और २१ मामले लम्बित हैं तथा ३७ मामले सिद्ध दोष हुए हैं ।

डा० एन० बी० खरे : अति प्रशंसनीय ।

श्री गाडगिल : मेरे मान्य मित्र ने सरकार पर जो यह अभियोग लगाया है कि छोटे छोटे पदाधिकारियों को अभियुक्त किया गया, यह उसी के उत्तर में है । यों तो सारी स्थिति के सम्बन्ध में मैं सदन को यह बतला देना चाहता हूं कि १९४९ में विशेष पुलिस विभाग ने ५७६ मामलों की जांच की. ३९६ अभियोग चलाये और १५५ दोषयुक्त सिद्ध किये । १९५० में ये ही आंकड़े क्रमशः ३६२, १६९ और ४० तक, तथा १९५१ में २१९, १०२ और १७ तक पहुंचे ।

पंडित ठाकुर दासर भार्गव (गुड़गांव) : राज्यों के सम्बन्ध में आपका क्या विचार है ? वहां भी बहुत से मामले सिद्धदोष हो चुके हैं ।

श्री गाडगिल: यह तो केन्द्र की बात थी । भिन्न भिन्न राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में अलग अलग कार्यवाही की है । मेरे मान्य मित्र नम्बियार ने, जिन कृषिसार, आदि गुटालों की ओर निर्देश किया है, उन के सम्बन्ध में भी सरकार विचार कर रही है । मेरे मान्य मित्र श्री रघुरामय्या ने भी बतलाया कि ऐसे मामलों में हम सभी की रुचि है । ठीक भी है । मुझे इस बात से बहुत ही प्रसन्नता हुई कि संकल्प के प्रस्तावक ने बहुत ही अच्छे ढंग से दलीलें पेश कीं । जिस भाव से उन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया, मैं उस से पूरी तरह सहमत हूं ।

डा० एन० बी० खरे: सूक्ष्म शरीर (आत्मा) में भ्रष्टाचार हटाने की तड़प तो है लेकिन स्थूल शरीर में नहीं ।

श्री गाडगिल : मैं आशा करता हूं कि मेरे मान्य मित्र बार बार इस तरह नहीं उछलेंगे ।

कई ऐसे दोष हैं जो समाज की जड़ों में घुसे हुए हैं और जब तक समाज में आमूल परिवर्तन नहीं होता, तब तक हमारा समाज उन दोनों से मुक्त नहीं हो सकता । भ्रष्टाचार और व्याभिचार उतने ही पुराने हैं जितने हमारे देवी-देवता और ये दूर की पहाड़ियां । इस में कोई सन्देह नहीं कि संविधान में परिवर्तन होना चाहिये । जहां एक ओर सरकार को उत्पादन, वितरण, व्यापार तथा अन्य मामलों में हाथ डाल कर इन बुराइयों को दूर करना चाहिये, वहां प्रत्येक नागरिक और विधायक का भी यही कर्त्तव्य होना चाहिये कि हमारा राज्य पुलिस राज्य न बन कर जनकल्याण का राज्य बनें और इस के सारे दोष समाप्त हो जायें ।

हमारे देश में ही यह समस्या नहीं । प्रत्येक प्रजातन्त्रात्मक राज्यतन्त्र में ऐसी बात पाई जाती है । सत्य तो यह है कि लोक-प्रिय सरकार और अच्छी सरकार कभी-कभी विपरीतात्मक शब्द होते हैं । हर एक संसदीय गणराज्य में, आवश्यक रूप से दो दल होने चाहियें । पिछले दिनों जब हम एक ही पार्टी थे, तो चारों ओर से यह विरोध किया जा रहा था कि इस गणराज्य में केवल एक पार्टी है, आलोचना के लिये और कोई भी पार्टी नहीं । और अब बहुत सी पार्टियों के होते हुए भी आप को कोई आश्वासन नहीं मिल रहा । संसदीय गणराज्य का काम जब ही कार्यकुशलता से चल सकता है जब कम से कम दो पार्टियां हों । और अभी तो हमारा भारत संघ नवोदित गणराज्य है । और यदि इन दो में से किसी पार्टी को आश्रय नहीं मिले तो प्रशासन पर किसी भी राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव पड़ेगा । लोकतन्त्र स्वतन्त्रता की विलासिता की देन है, जिस के लिये अकिंचन प्रशासनीय परिणामों वाले उच्च प्रशासनीय मूल्यों का बलिदान करना पड़ता है ।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारी बाग पश्चिम) : लोकतन्त्र को हटा दो ।

श्री गाडगिल : प्रशासनीय पक्षपात तो राजनीतिक पक्षपात का फ़ल है । किसी भी देश में जहां निर्वाचन के आधार पर पदाधिकारियों का परिवर्तन होता रहता है, भ्रष्टाचार और परिवार-पोषण को बढ़ावा मिल सकता है । यह हमारे देश का सौभाग्य है कि प्रशासकों को योग्यता के आधार पर भर्त्ती किया जाता है । अतः हमें लोकतन्त्र के साथ साथ अच्छा राज चलाना चाहिये । भले ही यह बात कठिन हो, किन्तु यह असंभव नहीं है । अतएव, वेतनवृद्धि या पदाली की बात हो, खुली प्रतिद्वन्दिता और योग्यता को ही मापदण्ड बनाना चाहिये । राजनीतिक, प्रांतीय अथवा सांप्रदायिक प्रभावों से काम नहीं लिया जाना चाहिये । छोटे से छोटा लिपिक हो अथवा बड़े से बड़ा सचिव, सभी को समुचित रूप से संगठित असैनिक सेवा द्वारा भर्त्ती किया जाना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : और मन्त्रियों को ?

श्री गाडगिल : इस सम्बन्ध में अभी देश में और भी बहुत से सुधार किये जा सकते हैं ।

एक अच्छे असैनिक सेवक का आदर्श क्या है ? कार्य प्रकृत्ति, स्थिरता तथा अज्ञातावस्था । उसे आत्मप्रकाशन के चाव से बाहर रहना चाहिये और अपने काम में तत्पर रहना चाहिये । इस के साथ-साथ उसका सारा जीवन इस प्रकार का होना चाहिये कि वह निरन्तर उत्साहपूर्वक काम करता रहे और औरों को काम करने की प्रेरणा दे । उसका वेतन अच्छा होना चाहिये ताकि उसे मांगने पर मजबूर नहीं होना पड़े यदि इन सब बातों के होते हुए वे भली भांति काम नहीं कर सकें तो उन्हें दण्डित किया जाना चाहिये । अतः मैं प्रस्तुत संकल्प के इस भाग से सहमत हूं कि प्रत्येक असैनिक सेवक, चाहे वह मन्त्री हो, नौकरी में आते तथा नौकरी से निवृत्त होते समय अपनी स्थावर तथा जंगम संपत्ति का पूरा पूरा लेखा दे दे । जहां यह बात हो, वहां यह भी देखा जाना चाहिये कि कहीं इस तरह का वातावरण तो नहीं बनता कि लोगों को सन्देह में पकड़ा जाता हो । किसी भी सेवक के बारे में पहले से ही यह धारण नहीं होनी चाहिये कि वह अच्छा है या बुरा है । वातावरण भी इस तरह का होना चाहिये कि वह सेवक अपने आप को एक कारावासी-सा नहीं समझे, क्योंकि इससे प्रशासन की कार्यक्षमता में अन्तर पड़ जायेगा ।

हां, इस के साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों की निवृत्ति तथा उन के किसी अन्य वाणिज्यिक सार्थ में प्रवेश करने पर भी कुछ एक प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहियें । इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि कोई व्यक्ति अपने पद से अनुचित लाभ तो नहीं उठाता और बाहर पैसा तो नहीं कमाता । यह भी देख लेना चाहिये कि निजी सार्थों में अधिक वेतन तो नहीं मिल रहा, क्योंकि समान वेतन मिलने की स्थिति में इस प्रकार की बातों के होने की गुंजायश नहीं रहेगी ।

इसी प्रकार परमिट देने या ठेके देने की प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिये । किसी विशेष राशि से अधिक के ठेके मंत्रालय के पास आने चाहियें और वहां एक विशेष समिति द्वारा, जिस में एक वित्तीय परामर्शदाता, एक निष्पक्ष इंजीनियर तथा एक सचिव हों, उन की जांच की जानी चाहिये । यदि इस प्रकार का परिवर्तन किया जाय तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है । हां, हमें इस बात के लिये भी आवश्यक रूप से एक ऊंचे ढर्रे का प्रशासन चाहिये क्योंकि हम राम भरोसे आर्थिक नीति से सुयोजित उत्पादन तथा वितरण नीति की ओर जा रहे हैं; और जब योजना आयोग की रिपोर्ट

प्रस्तुत होगी तो सदन को यह देखने का अवसर मिलेगा कि कुछ प्रमाप बनाये जायेंगे और उन ही के अनुसार नये प्रशासकों को चलना पड़ेगा ।

जहां तक दण्ड पाने वालों मामलों का प्रश्न है, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि उन की संख्या उत्साह वर्धक नहीं । अतः मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस का क्या कारण है ।

श्री एस० एस० मोरे : भ्रष्टाचार ।

श्री **गाडगिल** : हो सकता है, किन्तु यदि हम सचमुच इस समस्या को हल करना चाहते हैं तो हमें सरकार से इस बात की मांग करनी चाहिये कि इस पक्ष की पूछताछ के लिये एक अलग न्यायालय या न्यायाधिकरण नियुक्त हो जिसका साधारण प्रक्रिया के और किसी न्यायालय से सम्बन्ध नहीं हो; और जांच के इन आयोगों को भी सुथरे ढंग से चलाया जाय । इस न्यायालय या न्यायाधिकरण की विशेष प्रक्रिया हो, विशेष साक्ष्य-नियम हों--जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सिद्धान्तों से संगत हों तथा जल्दी में मामला निपटा सकते हों । चुनाचि उन में से कई एक अनुमानों को रखा जाना चाहिये और कई एक को रद्द कर देना चाहिये । तो मेरा यही सुझाव है कि यह कार्य होना चाहिये । जहां दण्ड देना हो, वहां मात्र अर्थदण्ड देने से कोई लाभ नहीं होगा, उस सम्बद्ध व्यक्ति की सारी सम्पत्ति को छीना जाना चाहिये, तथा उस व्यक्ति के अपराध की गंभीरता तथा समाज विरोधी प्रवृत्ति देख कर यदि आवश्यकता पड़े तो उसे नागरिकता-अधिकारों से भी वंचित किया जाना चाहिये ।

डा० लंका सुन्दरम् : उन से कहिये, इस पक्ष को नहीं कहिये ।

श्री गाडगिल : हम सुन चुके हैं कि चोर-बाज़ारियों और समाजविरोधी गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्तियों पर चाबुक पड़ने चाहियें और उन्हें फ़ांसी पर लटका दिया जाना चाहिये । सौभाग्यवश, प्रकृति ने चांदीनी चौक का घंटाघर ढहा दिया है । हमें अब उसी जगह को इस काम में लाना चाहिये ।

यह तो तर्क का एक अंग रहा । लोगों से इस बात की मनाही करना कि वे कोई ऐसा काम न करें क्योंकि उस का बुरा परिणाम होगा, पर्याप्त नहीं है । लोगों को भय देने से ही काम नहीं चलेगा । लोगों को नीति और कानून का वास्ता दे कर यह समझाना चाहियें कि इस प्रकार का आचरण ठीक नहीं है । यदि आप लोगों की मनोवृत्ति में इस प्रकार का परिवर्तन पैदा करें तो शीघ्र ही यह सब बातें ठीक हो जायेंगी ।

जैसा मैं बतला भी चुका हूं.....

श्री एस० एस० मोरे : क्या हमें इस पर भी चर्चा के लिये एक और दिन भी दिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो सदन के अधिकार की बात है कि किसी भी समय किसी भी विषय पर चर्चा चलाये ।

श्री गाडगिल : क्या मेरा समय समाप्त हो चुका है ? श्रीमान्, यदि आवश्यक हो तो मैं बैठ जाऊंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय वह तो कोई प्रश्न नहीं । माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या और भी कोई दिन बाक़ी है । चर्चा चल सकती है । यह तो एक सरकारी चर्चा है । और सदन यदि चाहे तो इसे किसी भी समय तक चला सकता है । नहीं तो यदि माननीय सदस्य इसको बन्द करना चाहें तो बन्द कर सकते हैं । मैं तो बिल्कुल सदन के अधिकार में हूं । यदि माननीय सदस्य चर्चा समाप्त कर लेना चाहते हों तो मैं मंत्री जी को बुला लूंगा । कई एक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं । मेरे पास उनके नाम मौजूद हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : क्या हम इस अभिप्राय के लिये अलग से कोई दिन निश्चित कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगला ग़ैर सरकारी दिन।

श्री गाडगिल : मैंने निश्चित सुझाव दिए हैं। जहां तक इस संकल्प का प्रश्न है इसमें चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं। किसी भी संकल्प का यह उद्देश्य या इस प्रकार की भाषा होना उचित नहीं। मैं इस बात पर जोर देता हूं, जैसा कि मैं अनुभव भी करता हूं, प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिये चिन्तित है कि प्रशासन में सुधार होना चाहिये। और कार्यक्षमता आनी चाहिये। मैं यह समझता हूं कि विशिष्ट मामलों में एक प्रकार की प्रथा बनानी चाहिये कि जब भी संसद् सदस्य जैसा व्यक्ति माननीय गृह मन्त्री अथवा किसी संगत मन्त्रालय को सूचना दे और एक निश्चित बयान दे तो किसी विशेष अभिकरण द्वारा ही उसका निर्देश होना चाहिये। हां, गुमनाम चिट्ठियों के सम्बन्ध में श्री रघुरामय्या से सहमत नहीं हूं। क्योंकि मेरे पास भी ऐसी सकंड़ों चिट्ठियां आती थी और मैं यही देखा करता था कि लोगों में इतनी नैतिक साहस नहीं। हां यदि ऐसे किसी पत्र में कुछ निश्चित आरोप लगाये गये हों तो उन पर विचार किया जाना चाहिये और उन की जांच होनी चाहिये। कभी कभी निराधार बातें भी बताई जाती हैं जैसे कि एक बार दिल्ली के एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की शिकायत की गई थी कि उसने दिल्ली में छः मकान बनाये हैं। पता लगाने पर मैंने देखा कि दिल्ली म उस इंजीनियर का एक भी मकान नहीं था।

एक माननीय सदस्य : हो सकता है कि उसके किसी सम्बन्धी के नाम में हों।

श्री गाडगिल : हो सकता है कि ऐसी बातें हों। यह तो दोनों पक्षों में हुआ करती हैं। तो हमें चाहिये कि न तो दोषों को बढ़ा-चढ़ा के कहें और न उनकी अवहेलना करें। यदि हम इन सभी बातों पर चर्चा करें और यदि कोई विदेशी यहां की इस कार्यवाही को ध्यानपूर्वक देखे तो यह हमारे बारे में यही धारणा बनायेगा कि भारत में भ्रष्ट और अनैतिक राजनीतिज्ञ हैं। हो सकता है कि दोष हों--इसमें सन्देह भी नहीं कि दोष मौजूद हैं--लेकिन वह इतने नहीं हैं, और मैं यह समझता हूं कि थोड़ी सी निगरानी से वे सभी दूर हो जायेंगे। सदन को चाहिये कि अच्छे, ईमानदार पदाधिकारी की प्रशंसा करे और उसकी रक्षा करे, और बुरे पदाधिकारी को कानून की ज़द में लाये। इसके साथ साथ प्रशासन और प्रशासक की सत्ता और पूर्णता बनाई रखनी चाहिये और दोष या त्रुटि का उन्मूलन किया जाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिये गये इन सुझावों पर सरकार ध्यान देगी।

कई माननीय सदस्य उठे—

उपायक्ष महोदय : लगभग २५ माननीय सदस्य उठ खड़े हुए हैं। मेरे पास लगभग ४० माननीय सदस्यों के नाम हैं जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

मुझे पता चला है कि माननीय मन्त्री महोदय कम से कम ४५ मिनट तक बोलना चाहते हैं, और यदि हम ४--४५ म० प० पर इन भाषणों को समाप्त नहीं करते तो वह बोल नहीं सकेंगे। अत मैं सदन का मत जानना चाहता हूं।

डा० लंका सुन्दरम् : इस सत्र में और कोई भी ग़ैर सरकारी दिन नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी स्थिति में यह मामला अगले सत्र पर जा पड़ेगा। अब तो

यह माननीय सदस्यों के अधिकार में है कि वे ४--१५ म० प० पर इन भाषणों को समाप्त करायें; और उसके बाद अध्यक्ष जी माननीय मन्त्री से उत्तर दिलाने के लिये प्रार्थना करेंगे और यदि सभी सदस्य भाषण दें तो यह मामला बढ़ता जायेगा।

श्री वलायुधन : हम और एक घंटा ले सकते हैं।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैंजान कर सकता हूं कि क्या अध्यक्ष जी इस सत्र में और एक गैर सरकारी दिवस देने की कृपा करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात का कोई भी अधिकार नहीं। इस बात का अधिकार तो सरकार को है।

सांसद् कार्य मंत्री (श्री **सत्य नारायण सिन्हा**) : सरकार के लिये इस बात का सम्भव नहीं हो सकता कि इस सूत्र में एक और गैर-सरकारी दिन में। दें।

उपाध्यक्ष महोदय : और भी बहुत सा काम है; किन्तु यह इतना महत्वपूर्ण मामला है कि हर कोई सदस्य बोलना चाहता है। हमारे पास इतना कम समय है कि.....

एक माननीय सदस्य : हम और पांच मिनट ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पांच मिनट से क्या होगा ?

श्री **वी० जी० देशपाण्डे** (पुना) : आज हम एक घंटा अधिक ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः एव, मैं यह अनुभव करता हूं कि माननीय सदस्य यह चर्चा चलाना चाहते हैं।

कई माननीय सदस्य : हां, श्रीमान्।

उपाध्यक्ष महोदय : इस स्थिति में यह चर्चा चलती रहेगी।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव**: अध्यक्ष-पद पर आसीन हुये]

श्री राघवाचारी : मुझे हर्ष हो रहा है कि प्रस्तुत संकल्प तथा मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर मुझे बोलने का अवसर मिला है।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। सदन में इतना शोर हो रहा है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे श्री राघवाचारी का भाषण ध्यान से सुनें।

श्री राघवाचारी : अपने संशोधन द्वारा मैं यह एक खंड जोड़ना चाहता हूं कि जांच या पूछताछ इस प्रकार की हो कि सभी राज्यों के विधान-मण्डल सम्मिलित किये जायें। अन्य शब्दों में, मैं यह कहना चाहता हूं कि उन लोगों को भी इस में सम्मिलित किया जाना चाहिये जिन्होंने उस सम्बद्ध पदाधिकारी को प्रलोभन दिया था। माननीय मन्त्री ने भारतीय दण्ड विधान पर एक संशोधन प्रस्तुत करते समय कहा था कि प्रलोभन में फंसे हुए व्यक्ति की अपेक्षा प्रलोभन देने वाला व्यक्ति ही अधिक दोषी है। मेरा यह दृष्टिकोण है कि सभी राज्यों के प्रायः सभी विधायक इन पदाधिकारियों को इस दिशा में घुमा लेते हैं।

श्री **नन्द लाल शर्मा** (सीकर) : प्रश्न।

श्री **राघवचारी** : आप तो, निस्सन्देह, सदा ही प्रश्न पूछ सकते हैं, और मैं उसका उत्तर दूंगा। लोकतन्त्र, वयस्क मताधिकार तथा चुनावों के बाद इस सदन के प्रतिनिधियों का यह मत है कि संकल्प प्रस्तुत करने के बिना भ्रष्टाचार को हटाया नहीं जा सकता। श्री हुक्मसिंह और देश का सौभाग्य है कि सदन के समक्ष लोगों की प्रतिक्रिया प्रस्तुत हो रही है। यदि हर कोई सदस्य जागृति से काम ले तो यही पता चलेगा कि चारों ओर से भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दीख रहा है।

[श्री राघवचारी]

आपको यह भी पता चलेगा कि जिन सदस्यों ने आत्म बलिदान के लिये कई राजनीतिक संस्थाओं में भाग लिया था, वे भी आजकल बड़ी बड़ी सम्पत्तियों के स्वामी बन बैठे हैं। चुनाव के दिनों में हमने 'भ्रष्टाचार' की ही रट सुनी, और कई ऐसे व्यक्तियों को देखा जिनके पल्ले एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, किन्तु अब उनके पास असंख्य सम्पत्ति इकट्ठी हो चुकी है। सदन के सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि छोटे छोटे पदाधिकारियों को इस बात का अवसर मिला है और उन्होंने असंख्य सम्पत्ति कमाई है--यही कारण है कि लोग इस प्रशासन से निराश हो चुके हैं। क्या अब इस समस्या को सुलझाने का कोई उपाय है? सरकार को इसका कोई सुलझाव मालूम करना चाहिये क्योंकि ईमानदारी, सेवा, सच्चाई, आदि के साथ ही वर्त्तमान प्रशासन का लगाव माना गया है। किन्तु इस प्रशासन की छत्रछाया में चारों ओर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दीख रहा है। लोगों ने कई जगहों पर वर्तमान प्रशासन का विरोध भी किया है--मैं अपने प्रान्त की ही बात बता दूं। वहां जब लोग पिछली सरकार से तंग हो चुके तो उन्होंने उसे हटाने का प्रयत्न किया।

और उन्होंने उन्हें हटा दिया। तो इसका क्या अभिप्राय है? निश्चय ही इसका यह अभिप्राय है कि हर किसी जगह बीमारी फैली हुई है, और वर्तमान प्रशासन इस बीमारी को दूर नहीं कर सकता।

और श्रीमान्, आप ही इस बात पर ध्यान दीजिये कि क्यों हमारी यह कांग्रेस लोगों की नज़रों में गिर चुकी है। कारण यह है कि जो कोई भी व्यक्ति देश के प्रशासन का हितषी था, और इसे चलाना चाहता था, प्रशासन में से निकाल दिया गया; और ऐसे लोगों को उत्तरदायित्वपूर्ण पद मिले, जिन्होंने पैसे इकट्ठे किये। मैं इसीलिये विधायकों की पूछताछ किये जाने पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि उन्होंने हर बार मन्त्रिपदों के लिये होड़ लगाई और उनके कारण प्रशासन को अधिक हानि पहुंची। उन्होंने ही छोटे छोटे पदाधिकारियों को घूसखोरी के लिये मजबूर किया। और जिन जिन की पूछताछ होने वाली थी, उन्होंने पदत्याग किया। और जिन बेचारों ने इन बातों का विरोध किया था उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। भला बताइये कि ऐसी स्थिति में क्या होगा यदि कोई व्यक्ति किसी कलैक्टर से टेलीफोन पर कहे कि आप यह काम कीजिये। यदि उस बेचारे ने वैसा नहीं किया तो अगले दिन उसे स्थानान्तरित किया जाता है। सच्ची बात यह है कि कई ईमानदार पदाधिकारीयों ने ऐसे मामलों में पूछताछ कराई थी, लेकिन उन्हें बाद में मजबूर किया गया और वे कुछ भी नहीं कर सके। परिणाम यह हुआ कि उन्हें वे मामले छोड़ देने पड़े। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दक्षिण में लोगों को प्रशासन से इतना असन्तोष हुआ जब उन्होंने ईमानदार कर्मचारियों को नौकरियों से निकलते हुये देखा। पांच वर्ष तक आप कुछ भी नहीं कह सकते और अब बताइये कि तब तक के लिये इन बुराइयों का क्या होगा।

बाबू रामनारायण सिंह: नहीं, नहीं।

श्री राघवचारी: अतः जनता के समक्ष उत्तरदायी सरकार को इस प्रकार के अवसर का स्वागत करना चाहिये। श्री हुक्म सिंह का अहोभाग्य है कि उन्होंने सारे देश का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है। लेकिन दुःख है कि सरकार अनिच्छा प्रगट कर रही है। वह तो यही कहती रहती है:

"सहयोग दो; तुम सहयोग नहीं देते।" तथ्य यह है कि सारा सदन इस प्रकार की बात में सहयोग देना चाहता है। आवश्यकता इसी बात की है कि सरकार को इस भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहिये। यदि सरकार इस प्रकार का क़दम नहीं उठाती तो अगली बार देश के प्रशासन में उनका कोई भी अधिकार नहीं होगा।

श्री एस० एन० दास : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव सरदार हुक्म सिंह जी ने इस सभा में पेश किया है, मैं समझता हूं कि उस की तह में जो ख्याल है उस का कोई शायद ही विरोध करता हो। हमारा प्रजातन्त्र एक नया प्रजातन्त्र है और जैसा कि वातावरण से मालूम होता है इस प्रजातन्त्र पर बाहर और भीतर से आघात करने वाले भी बहुत हैं। प्रजातन्त्र के सम्बन्ध में ऐसा ख्याल बताया जाता है उसकी बुराई यही है कि धीरे धीरे शासन उन लोगों के हाथ में चला जाता है जो करप्शन (भ्रष्टाचार) से बरी नहीं होते हैं। इसलिये हमारे जैसे प्रजातन्त्र के लिये ज़रूरी है कि हम अपने शासन को, अपने शासन के यंत्र को, अच्छा बनावें। उस में जो व्यवस्थापक हैं, चाहे वे प्रान्तीय व्यवस्थापक हों, चाहे केन्द्रीय व्यवस्थापक हों, चाहे मन्त्रीगण हों, चाहे इस शासन के चलाने वाले कर्मचारी हों, सभी को ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि जिस से जनता, जिस के ऊपर शासन करने का अधिकार हमें मिलता है, वह इस बात को समझे कि हमारा शासन यन्त्र सभी दोषों से दूर है। यह भी कहा गया है कि सिर्फ न्याय करना ही ज़रूरी नहीं है, न्याय करने के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि देश के लोग समझें कि न्याय किया जा रहा है।

मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे शासन के चलाने वाले, चाहे केन्द्र में, चाहे राज्य के अन्दर, ऐसे नहीं हैं कि जिनके लिये साफ तौर से, बड़े व्यापक तौर से, यह कहा जाय कि सब के सब बेईमान हैं। अगर ऐसा होता तो मैं तो यह दावे के साथ कहता हूं कि आज जो पार्टी इस समय पावर में (सत्तारूढ़) है, चाहे यहां या प्रान्त में, वह इसलिये है कि जनता समझती है कि देश की वर्तमान अवस्था में इससे बढ़िया पार्टी, इससे अधिक अच्छी व्यवस्था करने वाली पार्टी दूसरी नहीं है। मैं यह भी समझता हूं कि इस कांग्रेस पार्टी के जितने सदस्य हैं, या कांग्रेस पार्टी की तरफ से शासन करने वाले जितने मन्त्रीगण हैं, अगर वे आज जनता के विश्वास के भाजन हैं तो इसलिये विश्वास के भाजन हैं कि उनका कार्य, पिछला और अभी तक का यह बताता है कि वे सचाई के रास्ते पर चलने के लिये तैयार हैं। इसका मतलब मैं यह नहीं मानता कि सारा शासन यन्त्र, या सारे शासक पार्टी के लोग, दूध के धोये हैं। मैं मानता हूं और मैंने अपने चुनाव के सिलसिले में गांवों में घूमते हुये भी पाया कि जनता में यह आम धारणा है कि जब से देश में स्वराज्य हुआ तब से घूसखोरी, चोर बाज़ारी और दूसरे प्रकार के जो दोष हैं वे बढ़ गये हैं। मुझे उन्हें समझाने के लिये कुछ परिश्रम की आवश्यकता हुई। उन्हें मैंने समझाने को कोशिश की कि दरअसल घूसखोरी पहले भी थी और आज भी है। लेकिन चूंकि सरकार का काम इतना बढ़ गया है, इतने बड़े बड़े महकमे खुल गये हैं कि जिस से जनता के साथ उनका बराबर सम्पर्क होता है। साथ ही अब जनता की आंखें भी खुल गई हैं। इसलिये जनता अब अपनी आंखें खोल कर देखती है और देखती है कि उन के साथ संस्पर्श में आने वाले जो सरकारी कर्मचारी ह या जो और दूसरे लोग हैं, उनसे वह आशा करती थी कि वह हमारे शासन को जल्द से जल्द ऐसा बना देंगे कि जिसके बारे में किसी

[श्री एस० एन० दास]

प्रकार की शिकायत नहीं की जा सकेगी, तो उस को निराशा होती है।

मैं अपने थोड़े से विचार इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं। आज हमारी सरकार इस शिकायत से भाग नहीं सकती है, हमारी सरकार इस बात से इंकार नहीं कर सकती है कि उनका शासन यन्त्र हर तरह से शुद्ध और पवित्र है। हमारी सरकार यह भी इंकार नहीं कर सकती है कि हमारे जितने व्यवस्थापक हैं, या जितने मंत्रीगण हैं, वे सब के सब सभी दोषों से बरी हैं। इस से वह इंकार नहीं कर सकती। इसलिये यदि हमारे देश में प्रजातन्त्र को सफल करना है, तो जो हमारा शासन यन्त्र है, उसको इस योग्य बनाना है कि वह उन बड़े से बड़े कामों को चलाने के योग्य हो जो हमारे देश में हमें चलाने हैं। इसके लिये ज़रूरी है कि हमारा जो शासन यन्त्र है उसको शुद्ध होना चाहिये, पवित्र होना चाहिये। यह बात मैं मानता हूं कि अभी वह यन्त्र पूर्ण शुद्ध नहीं है। जो ढांचा हमने बनाया है उस ढांचे में बहुत सी बुराइयां हैं इसलिये जो प्रस्ताव सरदार हुकुम सिंह ने रखा है मैं उसके सिद्धान्त को बहुत अच्छी तरह से कबूल करता हूं लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि यह इतना आसान काम नहीं है जितना कि हम समझते हैं। किसी शासन यन्त्र को बुराई से निकालने के लिये सिर्फ़ क़ानून बनाना पर्याप्त नहीं है। क़ानून बनाने के साथ साथ समाज के स्तर को भी ऊंचा करने का काम जारी होना चाहिये। इसलिये सरदार हुक्म सिंह के प्रस्ताव में जो बात है उसके सिद्धान्त को मानते हुये मैंने एक संशोधन इस बात के लिये रखा है कि उस संशोधन के साथ इस प्रस्ताव को सरकार को मानना चाहिये।

यह बात सही है कि चाहे प्रान्तीय सरकारों में देखें अथवा केन्द्रीय सरकार में देखें, करप्शन और घूसखोरी की शिकायत चारों तरफ व्याप्त है। जहां जाइये, ट्रेन में और हवाई जहाज़ पर हर जगह यही शिकायत है कि देश में घूसखोरी और चोर बाज़ारी बढ़ी हुई है और सरकार उसको रोकने के लिये पूरी कोशिश नहीं करती है। मैं इस बात को मानता हूं कि आज हमारे देश में जो साधारण क़ानून है, उसके अतिरिक्त सरकार ने प्रीवेंशन आफ़ करप्शन ऐक्ट (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) सन् १९४७ में बनाया और उसको अपने अनुभव के आधार पर संशोधित करती आई है। यह सही है कि करप्शन को रोकने के लिये क़ानून तो बहुत से हैं, लेकिन यह वाक़या है कि उन क़ानूनों के रहते हुए भी आज हमारे राज्य तन्त्र और समाज में घूसखोरी और चोर बाज़ारी इत्यादि मौजूद हैं। एक व्यवस्थापक के नाते हमें यह सोचना है कि इन बुराइयों को दूर करने के क्या उपाय हैं। सरदार हुक्म सिंह जी ने सुझाव रखा है कि उसके लिये एक इनवेस्टिगेटिंग कमीशन (पूछताछ आयोग) बैठाना चाहिये लेकिन मैं समझता हूं कि खाली ऐसा कमीशन बिठा देना काफ़ी नहीं होगा। वह कमीशन किस तरह से काम करेगा और किस तरह से वह इस काम को सफलतापूर्वक कर सकता है, इसके ऊपर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है। इसलिये, मने एक संशोधन सदन के सामने रखा है और सभापति जी, आपकी आज्ञा से मैं उस संशोधन में कुछ थोड़ा सा और संशोधन करके सदन के सामने मंजूरी के लिये रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस संसद् के २१ सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाय जो इस बात पर विचार करे कि आज जो शासन यंत्र में देश के अन्दर बुराइयां फैली हुई हैं और जिनके कारण जनता में इतना घोर असन्तोष है, उनको दूर करने का अच्छा से अच्छा उपाय

कौन सा हो सकता है; वे कौन से उपाय हो सकते हैं जिनसे हम इस असन्तोष को आसानी से और सफलतापूर्वक खत्म कर सकते हैं। इसलिये मैंने संशोधन रखा है कि इसके पहले कि हम इनवेस्टिगेटिंग कमीशन बिठायें, हम समाज और देश के अन्दर जो यह बुराइयां फैली हुई हैं, उनको दूर करने के लिये क्या उपाय हो सकते हैं, उनके ऊपर गम्भीरतापूर्वक आपस में विचार करें और किसी निश्चय पर पहुंच सकें।

मैं आप के सामने अपना संशोधन पढ़ कर सुना देना चाहता हूं और साथ ही उसमें जो थोड़ा सा और संशोधन करना चाहता हूं वह भी आप के सामने रख देना चाहता हूं। आशा है कि आप उसको स्वीकार करेंगे।

मेरा संशोधन इस प्रकार है:

कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्न में दिया हुआ संकल्प आदिष्ट किया जाय:

"This House is of opinion that a Committee consisting of twenty-one members of the House of the People. to be nominated by the Speaker be constituted during this session of the House to consider the necessity, desirability and feasibility of appointing an Investigating Commission to investigate into the wealth, fortune or property whether held in his own name or of any member or members of his family, jointly or severally, of any person who,—

(a) holds an office under the Constitution; or

(b) is a responsible officer of the Government of India or of any State in India; and in particular is authorised to place contracts, issue licences, collect revenue or taxes or control the procurement, storage, distribution, movement or sale of any commodity;"

["इस सदन का यह मत है कि इस सदन के सत्र के दौरान में अध्यक्ष जी द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले लोकसभा के २१ सदस्यों की एक समिति नियुक्त कराई जाये जो किसी भी ऐसे सदस्य की, अपने नाम में, परिवार के अन्य सदस्यों के नाम में, संयुक्त रूप से अथवा व्यक्तिगत रूप से उसके नाम पर बनाई गई धन-सम्पत्ति पर पूछताछ कराने के लिये एक पूछताछ आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता, वांछनीयता तथा कार्यता पर विचार करे; और वह सदस्य,—

(क) संविधान के अन्तर्गत कोई पदाधिकारी हो; अथवा

(ख) भारत सरकार अथवा किसी भारतीय राज्य सरकार का कोई उत्तरदायी पदाधिकारी हो, और विशेष रूप से संविदा प्रस्तुत करने, अनुज्ञप्ति जारी करने, आयकर पर राजस्व इकट्ठा करने अथवा किसी वस्तु का समाहार, राशीकरण, वितरण, विक्रय या लाने ले जाने का नियन्त्रण करने का अधिकार रखता हो;"]

और इसके बाद इसके स्थान पर—

"and is about to relinquish his post or office or retire from Government service."

["और सरकारी नौकरी से निवृत्त होने अथवा अपना पद त्याग करने वाला हो"] मैं यह आदिष्ट करना चाहता हूं—

"With a view to finding whether the person concerned is owning or holding or getting any property which, in the opinion of the Commission, is substantially in excess of what could be accumulated by an honest and upright officer."

["यह देखने के विचार से कि क्या सम्बद्ध व्यक्ति के पास इस प्रकार की कोई सम्पत्ति है जो, आयोग की राय में ईमानदारी और आर्जवयुक्त तरीक़े से कमाये गये धन से अधिक है।"]

और अन्तिम पैरा है—

"The Committee so appointed shall submit its report to the House of the People by the first week of the next session of the House of the People."

["इस प्रकार की नियुक्त समिति लोक सभा के आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में लोक सभा को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।"]

[श्री एस० एन० दास]

मैं समझता हूं कि इस बात से सब सहमत हैं कि हमारे शासन यन्त्र के अन्दर बुराई है और उनको दूर करने के लिये हमको कोशिश करनी चाहिये। इसलिये मैं सभा के सामने अपना यह संशोधित संशोधन पेश करता हूं और आशा करता हूं कि जो प्रस्ताव करने वाले हमारे माननीय सदस्य हुकुम-सिंह जी हैं वह भी मेरे इस संशोधन को मंजूर करें और मैं समझता हूं कि सरकार को भी इस संशोधन को मानने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री गिडवानी : श्रीमान्, मुझे इस बात के सम्बन्ध में सूचना चाहिये कि क्या सरकार को कांग्रेस दल के सदस्य का यह सुझाव स्वीकार है ?

सभापति महोदय : प्रश्न पूछने का यह उचित ढंग नहीं है। माननीय मन्त्री इसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह सकते। यह सदन के अधिकार की बात है वह चाहे तो इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

श्री देवगम (चैबस्सा–रक्षित–अनुसूचित जनजातियां) : श्रीमान्, मैं आज यहां इस सभा भवन में पहली बार बोल रहा हूं। मैं शेडयूल्ड ट्राइब्स की तरफ़ से चुना जा कर यहां आया हूं और मैं जिस ज़िले से आया हूं वह शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिये मेरे यहां तो करप्शन (भ्रष्टाचार) और भ्रष्टाचार की भरमार है और उसका बाज़ार गर्म है। दूसरी जगह तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिये चेष्टा की जाती है, लेकिन हमारे वहां जहां लोग कम पढ़े हुये हैं, और शिक्षा का प्रचार बहुत ही कम है, ऐसे पिछड़े प्रान्त में तो इन भ्रष्टाचारों के विरुद्ध कोई आवाज़ भी उठाने वाला नहीं है। इसलिये आज जब मैं यहां पर बोलने का मौक़ा पाता हूं तो सभापति जी को इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे अपने विचार रखने का मौक़ा दिया। शहरों में तो जहां शिक्षा का प्रचार होता है वहां भ्रष्टाचार को रोकने के लिये एक ऐन्टी करप्शन ड्राइव कमेटी (भ्रष्टाचार निवारण समिति) भी हुआ करती है, जो लोगों को ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों का विरोध करने के लिये कहती है, लेकिन देहातों में तो ऐसा अन्धेर है कि लोग यह भी नहीं जानते कि भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों का विरोध किया जाये। अन्त में मैं और कुछ न कह कर इस रेज़ोलूशन का बहुत जोर-शोर से समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि सभी लोग मिल कर के इस प्रस्ताव को पास करें। बस, मैं इतना कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० जयसूर्य (मेदक) : श्रीमान् हमें इस समस्या को और किसी दृष्टिकोण से देखना है, क्योंकि भ्रष्टाचार चाहे कितना ही अल्प हो, यह बहुत सी खराबियां पैदा करता है और वह भ्रष्टाचारी पदाधिकारी कोई भी क्यों न हो, वह मशीन का एक अंग है, और यदि मशीन के एक पुर्ज़े में खराबी आई तो सारी मशीन खराब हो जायेगी। व्यापारियों से हम ईमानदारी की आशा नहीं कर सकते लेकिन यदि कोई पदाधिकारी ईमानदार नहीं हो तो हमें दुख होता है क्योंकि वह पदाधिकारी चाहे कितना भी छोटा हो सरकार का एक अंग है, और सर्वोच्च अधिकार का प्रतिनिधि है, इसलिये हम उससे ईमानदारी की आशा करते हैं। मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि जनता आपसे भलाई की आशा करती है––भले ही आप मेधावी हों, उसे इस बात से कोई भी अभिप्राय नहीं। जनसाधारण, यों तो बड़े मन्त्रियों के सम्पर्क में नहीं आते, उन्हें जिससे वास्ता हो, उसी के सम्बन्ध में कोई विचार बना

कर वह सारी सरकार के सम्बन्ध में वैसी धारणा बना लेते हैं और अब मान लीजिये कि कोई पदाधिकारी ईमानदार न हो तो उससे सम्पर्क में आने वाली जनता यही समझेगी कि सरकार ईमानदार नहीं है, इस में कानून की व्यवहार-प्रक्रिया संहिता या प्रक्रिया संहिता की कोई भी बात नहीं है--इसमें साधारण मनोविज्ञान की बात है।

अब यह प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी पदाधिकारी को इस बात का अनुभव होने दिया गया कि वह प्रारम्भ से ही अपराधी रहा है, तो उसकी प्रसिद्ध और सम्वेदनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अमरीका में स्टीवन्सन और आइजनहावर को अपनी सम्पदा और आय की घोषणा करनी पड़ी थी। पदाधिकारियों या व्यापारियों का कोई भी प्रश्न नहीं (**एक माननीय सदस्य :** नाजी शासनकाल में?) नहीं, उससे पहले। अधिक अच्छा यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सम्पदा की घोषणा करे, क्योंकि आय के अदृश्य साधनों के बिना इस प्रकार के पदाधिकारी अपना जीवन स्तर ऊंचा नहीं रख सकते। क्षमा कीजिये, यह कोई सरल काम नहीं। आप भले ही अपनी जंगम सम्पत्ति, अंश एवं स्कन्ध, आदि की घोषणा करें, लेकिन हम इस बात का पता नहीं चला सकते कि आपके पास कितना सोना है। आजकल पैसों का जो भुगतान है वह पत्र मुद्रा में नहीं बल्कि सोने के वजन में की जाती है, और ऐसी मदों को कहीं पंजियों पर लिखा नहीं जाता। सोने से जवाहरात बनते हैं और उससे फिर और चीज। मुझे हैदराबाद की एक घटना याद आ जाती है लेकिन मैं उसे बताना नहीं चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि कानूनी कार्यवाही में बहुत सी पेचीदगियां हैं। कल ही यहां एक ऐसे पदाधिकारी के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया था जिसकी पूछताछ १९४३ में शुरू हुई, और बिना किसी परिणाम के १९४९ तक जारी रही। इन सब बातों के बावजूद वह व्यक्ति आज डिपुटी डायरेक्टर है। (**डा० राम सुभग सिंह :** नहीं, स्थानापन्न डायरेक्टर) अभी आज प्रातः उसके मामले में यह बात आई है, और उसे कहा गया है कि मद्रास में उसे पुनः नौकरी दिलाई जाय। हैदराबाद में ही पुराने जमाने में ऐसा होता था कि यदि कोई व्यक्ति रुपया ग़बन कर लेता तो उसे अधिक पैसा दिया जाता और अन्य विभाग में भेजा जाता; और मामला यहीं पर समाप्त हो जाता। मुझे ऐसे कई एक व्यक्तियों का ज्ञान है जो सेवा में जाते समय बहुत ही निर्धन थे, और अब थोड़े ही समय की नौकरी के बाद बहुत धनी बन गये हैं। उनमें से कई व्यक्तियों ने बहुत अधिकाधिक कमा कर नौकरी छोड़ दी है, और अपने अपने प्रान्तों को चले गये हैं, हमें उनके विरुद्ध कार्यवाही कर लेनी चाहिये। यदि सरकार किसी पदाधिकारी पर सन्देह करे तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिये, और निवृत्ति-वेतन भी छीन लेना चाहिये ताकि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाये और सरकार का पैसा बचे। आपको अपनी नीति को कड़ा बनाना चाहिये, और किसी भी पदाधिकारी में भ्रष्टाचार देखते ही उसे निकाल दिया जाना चाहिये।

श्री वैलायुधन : मैं इसी सोच में था कि उन पदाधिकारियों या सरकारी अधिकारियों के साथ क्या बीतेगी यदि सदन इस संकल्प को पारित करे। मैं स्वयं भारत सरकार में एक पदाधिकारी रह चुका हूं और यहां दिये गये भाषणों को यदि सच माना जाय तो यही पता चलता है कि हमारे शासन में एक भी

[श्री वैलायुधन]

पदाधिकारी निरीह, ईमानदार या न्याय्य नहीं है और प्रत्येक पदाधिकारी भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन, ऐसी बात नहीं। भारत सरकार में ईमानदार कार्यकारी पदाधिकारियों की कमी नहीं है। निचली श्रेणियों में भी ईमानदार कर्मचारी हैं। ऐसे आरोप लगाते समय हमें अपने पास पड़ोस को भी देखना चाहिये। मैं अपने मित्र से जिसने यह संकल्प प्रस्तुत किया है, यह कहना चाहता हूं कि क्या हमारे समाज की दुर्व्यवस्था के कारण भारत में इतना भ्रष्टाचार नहीं फैला है? आप किसी भी कार्मिक संघ, ज़िला बोर्ड या पाठ्यक्रम समिति को लीजिये। जो हो पहुंच जाता है, वही परिवार पोषण करना प्रारम्भ कर देता है और अपने परिचितों को ले आता है। चुनाचि ऐसी संस्थाओं के सभी पद उसी के दल के व्यक्तियों, सम्प्रदाय के व्यक्तियों या जाति के लोगों को दिये जाते हैं। यह पक्षपात, परिवार पोषण और जाति-पक्षपात आदि क्यों? यदि कोई सवर्ण हिन्दू मन्त्री या उपमन्त्री बन जाता है तो वह तत्काल अपने किसी सम्बन्धी को निजी सचिव बना देता है—क्यों?

मैं अपने त्रावनकोर-कोचीन की ही बात बता दूंगा। इस राज्य में अब कोई साधारण जनता नहीं रहती, सम्प्रदाय ही सम्प्रदाय रहते हैं। यहां केवल नायर, मेनन, अनुसूचित जातियों के व्यक्ति आदि ही रहते हैं। यदि कोई ईसाई मन्त्री बन जाता है तो यह किसी ईसाई को ही अपना निजी सचिव बना लेता है। इसी तरह जब भी किसी जाति का कोई व्यक्ति बड़े पद पर पहुंच जाता है तो वह अपने अपने सम्बन्धियों पर सजातीयों को ही खींच लाता है। अतः इस बीमारी का यही एकमात्र उपाय है कि प्रत्येक भारतीय का राष्ट्रीय चरित्र संगठन हो। मैं किसी भी व्यक्ति को इस बात का दोषी नहीं ठहरना चाहता कि उसमें राष्ट्रीय चरित्र का संगठन नहीं हुआ है, अपितु इस त्रुटि को अपने देश के भूतकाल की देन समझता हूं, क्योंकि हम विदेशी राजाओं द्वारा शासित थे। लोग प्रायः यह कहते हैं कि ब्रिटिश राज्य में इतना भ्रष्टाचार नहीं था, किन्तु ऐसी बात नहीं है। उन दिनों तो बहुत अधिक भ्रष्टाचार था। (**अन्तर्बाधा**) मेरे मित्र श्री राजभोज इस बात को भली भांति जानते हैं। भ्रष्टाचार था किन्तु लोग उसके विरुद्ध बोलते नहीं थे। अब चूंकि हमारी अपनी सरकार है, अतः हम में इस प्रकार की जागृति आई है। हमें अब राष्ट्र की राय को जगाना है, और अपने समाज का पुनः संगठन और एकीकरण करना है।

मैं एक सीधा सा प्रश्न पूछूंगा। इन चुनावों में कितने सारे राजनीतिक नेताओं ने उम्मीदवारों से घूस नहीं खाया? मैं किसी पार्टी विशेष की ओर निर्देश नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा हुआ है। क्या कभी किसी ने इस पर सोचा है?

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ—दक्षिण): पंडित अलगू राय शास्त्री ने घूस नहीं खाया है।

श्री वैलायुधन: वह किसी दल का नेता नहीं है। एक दूसरे को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से दोषी बनाने का कोई लाभ नहीं, देखना यह है कि किस तरह एक दृढ़ राष्ट्रीय चरित्र बन सकेगा। मुझे मालूम है कि किस तरह एक दल का एक नेता एक ओर से कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस मन्त्रियों को दोषी बना रहा था और दूसरी ओर अपने एक आई० सी० एस० बहनोई या साले की वेतन वृद्धि के लिये सिफ़ारिश कर रहा था।

तो इस स्थिति में, यह संकल्प सभी सरकारी पदाधिकारियों पर एक लांछन लगा

रहा है। हजारों ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्र का निर्माण करने के लिये ज़ोरदार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनके काम की कोई भी प्रशंसा नहीं करते। मुझे इन बातों का ज्ञान है क्योंकि मैं स्वयं एक सरकारी पदाधिकारी था। हां, मैं यह भी नहीं कहता कि प्रत्येक लोक-सेवक निरीह अथवा ईमानदार है। प्रत्येक समाज में ग़द्दार हुआ करते हैं, खैर यह तो हर किसी समाज में होते हैं और एक कलंक होते हैं। इस संकल्प को प्रस्तुत करने वाले मेरे माननीय मित्र सरदार हुक्म सिंह ने इसके पारित होने के बाद के परिणामों को कभी भी नहीं सोचा है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या आप सरकार के प्रतिनिधि हैं ?

श्री वैलायुधन : मैं अपना और अपने जैसे ईमानदार लोगों का प्रतिनिधि हूं। मैं इस सदन में ईमानदार बातों का वक्ता हूं।

सरदार हुक्म सिंह : फ़िर भी परिवर्तन-शील ?

श्री वैलायुधन : मेरे विचार में आप भी बदल रहे हैं।

मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के संकल्प से हमारा कोई भी अभिप्राय सिद्ध नहीं होगा। इस बात का एक-मात्र सुझाव यही है कि हम एक दृढ़ राष्ट्रीय चरित्र का संगठन करें।

सभापति महोदय : श्री सूर्य्य प्रसाद।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): कृपा करके मुझे पांच मिनट दें।

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर नहीं दे सकता, यद्यपि मेरी यही कोशिश है कि प्रत्येक को अवसर मिले। इस माननीय सदस्य ने तो सदन में बिल्कुल नहीं बोला।

श्री सूर्य्य प्रसाद (मुरैना—भिन्ड-रक्षित—अनुसूचित जातियां): सभापति महोदय, आपने जो मुझे इस हाउस में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मेरे तमाम साथियों ने अपने अनेक विचार रखे और भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये भी तमाम बातें हाउस के सामने रखीं। कुछ साथियों ने बताया कि जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं उनको फांसी की सज़ा दे दी जाय। मेरे कुछ साथियों ने बताया कि इसकी जांच के लिये एक कमीशन बनाया जाय। वास्तव में यह तो हमें मानना पड़ेगा कि जो भ्रष्टा-चार हमारे देश में है वह केवल शासन को कोसने से, शासन को गालियां देने से, शासन की बुराई करने से नहीं मिटेगा। यह मेरा एक विचार है और अपने इस विचार को मैं आपके सामने रखता हूं। सब से बड़ी बात यह देखने की है कि घूस किस की तरफ से दी जाती है। यह बात भी हमारे सोचने की है। घूस जनता की तरफ से दी जाती है और अधिकारियों को भ्रष्ट किया जाता है। तो सबसे पहिली जो चीज़ है वह यह है कि हमारे देशवासियों का, उन लोगों का, जो हमारे देश में रहते हैं नैतिक सुधार किया जाय। जब लोग उन अफसरों को, जो कि रिश्वत के बल पर काम करते हैं, रिश्वत नहीं देंगे तो देखिये कि इस देश में किस तरह भ्रष्टाचार रह सकता है। मैं यह मानने को तैयार हूं कि राज्यों में और केन्द्र में सारे हिन्दुस्तान में बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो रिश्वत के भरोसे पर चलते हैं। जिस तरह इंजन कोयला देने पर चलता है उसी तरह वह अधिकारी रिश्वत देने पर काम करते हैं। यह सही बात है। इसको मानना पड़ेगा। सारे लोगों को मानना पड़ेगा और मैं तो यह महसूस करता हूं कि सब को यह मान लेना चाहिये कि हमारे देश में

[श्री सूर्य प्रसाद]

भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार सब लोग महसूस करते हैं। यह भ्रष्टाचार छोटे से छोटे अधिकारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक फैला हुआ है। रेवेन्यू (राजस्व विभाग) में देखिये कि पतरौल से लेकर, उस आदमी से लेकर, जो कि खेत में पानी देता है, कलक्टर तक रिश्वत लेते हैं। यह मानी हुई बात है। एक किसान का खेत सूख रहा है लेकिन पतरौल कहता है कि मुझे दस या बीस रुपये मिल जायेंगे तो मैं आपके खेत को पानी दूंगा। या तो किसान यह रुपया दे अन्यथा उसका धान सूख जायगा और उसका सारा घर बरबाद हो जायगा। दूसरी तरफ़ आप पुलिस में जाइये। हर पुलिस स्टेशन पर, बाज पुलिस स्टेशन ऐसा होगा, जहां पर यह नहो, रिश्वत ली जाती है। जैसे मन्दिर में आपको चढ़ोतरी चढ़ानी पड़ती है उसी तरह पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करने पर ही आप को चढ़ोतरी देनी पड़ती है।

मैं मध्य भारत का रहने वाला हूं और मुरैना भिन्ड की कान्स्टिटुएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) से आया हूं। अगर मैं वहां की हालत आपके सामने रखूं तो आप देखेंगे कि वहां जो मशीनरी है वह हम को राजाओं और अंगरेजों की देन से मिली है। आजादी के पहले हमारे देश में अंगरेज राज करते थे, जब कांग्रेस पावर (सत्तारूढ़ हुई) में आई तब उसको जो मशीनरी मिली है वह उस देन में मिली है जो राजाओं और अंगरेजों की देन है। जो भ्रष्टाचार या करप्शन हमारे देश में फैला है वह राजाओं और अंगरेजों की देन है। उन्होंने हमें यह मशीनरी दी है। उस मशीनरी को लेकर जो हमारे तपे हुए लोग हैं, जो हमारे चोटी के लोग हैं वह काम कर रहे हैं। उन को कोसने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें मशीनरी को ठीक करना है। हमें जनता का भी नैतिक सुधार करना है ताकि वह लोगों को रिश्वत न दे। हमने बहुतसी जगहों में देखा है कि एक चोर है वह चोरी करता है पांच हज़ार रुपये पैदा करता है और उसी चोरी के रुपये में से एक हज़ार रुपया पुलिस को देकर ज़मानत पर छूट जाता है और फिर वारदात करता है। इसलिये सब से बड़ी बात यह है कि हमें जनता का नैतिक सुधार करना है। जनता में हमें जाकर प्रचार करना है, तथा मैं तो तमाम हाउस से अपील करूंगा कि वह अपना सबसे बड़ा उद्देश्य यह रखें, और हमारा भी सबसे पहला उद्देश्य यह होना चाहिये कि हम अपने अपने क्षेत्रों में जायें, अपने क्षेत्रों के छोटे छोटे किसानों से मिलें और उनको समझायें। चपरासी से लेकर बड़े बड़े लोगों तक से मिलें और देखें कि यहां के अधिकारी कोयला पानी अर्थात् रिश्वत लेकर काम करते हैं या वैसे ही करते हैं। अगर कहीं पर कोई ऐसा आदमी मिले तो हम उस पर हावी हो जावें। साथ ही जनता को भी समझायें कि रिश्वत देना पाप है। जिस तरह पर हमने अपनी चुनाव कैम्पेन (आन्दोलन) में काम किया उसी प्रकार से इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये प्रयत्न करें। हमें चाहिये कि हम इसके लिये लीफ़लेट (परिचियां) छपवायें और देश में प्रचार करें कि रिश्वत देना पाप है। तभी यह भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारी मशीनरी ठीक नहीं है, वह ठीक से काम नहीं कर सकती है, सबसे पहले हमें उसे ठीक करना है। हम उसको भी सुधारें, हमारे अधिकारी सुधरें, और उसके बाद हम जो जनता के नुमाइन्दे हैं वह जनता को सुधारने की कोशिश करें।

श्रीमती उमा नेहरू (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी – पश्चिमी) : जनाब चेयरमैन

साहब, मैं आपकी बहुत मश्कूर हूं कि आपने मुझे यह मौक़ा दिया कि मैं यहां पर बोलूं। भाई हुक्मसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं समझती हूं वह बहुत ही सोच कर और समझ कर रखा है और वह निहायत उम्दा प्रस्ताव है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना ख्याल आ रहा है कि यह प्रस्ताव जिस तरह से रखा गया है वह मेरे नज़दीक बिल्कुल ग़लत तरीक़ा है। चौराहे पर ऐसे प्रस्ताव नहीं रखे जाते हैं। मैं तो यही कहती हूं कि यह नेक दिली से रखा है। जब अभी मैं अपने भाई हुकुमसिंह जी को देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि अगर वाक़ई उन का दिल इसे ठीक समझता था तो इस प्रस्ताव को वह हमारे मिनिस्टर साहब के सामने लाते, कोशिश करते, औरों से मिलते और यह कहते कि हुकूमत में जो ख़राबियां आई हैं, उनको अलग करना है। लेकिन यह न कर के उन्होंने इस प्रस्ताव को यहां पर ला करके पेश किया। यह देख कर के मुझे कभी कभी शंका होती है कि मालूम नहीं क्या बात है। जितनी मिनिस्टर को और हुकूमत को गाली पड़ती है, या बुराई होती है, उतनी ही उनके चेहरे पर मुझे मुस्कराहट दिखाई देती है। मैं यही सोच रही हूं कि यह बात क्या है?

लेकिन यह सब बातें सुनने के बाद अब मेरी राय यह है कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे मिनिस्टर साहब, जिनके सामने हम यह सब ब्यान कर रहे हैं, एक सत्यवादी आदमी हैं। लेकिन जितने सत्यवादी होते हैं उनके सामने यह मुसीबतें ज़रूर आती हैं। तो मुझे यह कहना है कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जिस वक्त हम इस हुकूमत में आये, हुकूमत करने आये तो हमारा यह पहला धर्म था कि हम सत्य को बराबर क़ायम रखें और जहां भी हमें कोई चीज़ ग़लत दिखाई दे, करप्शन (भ्रष्टाचार) दिखाई दे, उसका हम ख्याल करें! यह हमारा पहला फर्ज था। संग संग यह भी है कि मैं यह भी देख रही हूं कि करप्शन एक अजीब चीज़ है। किस किस चीज़ में करप्शन देखा जाय। करप्शन रुपये पैसों का है, करप्शन चाल-चलन का है, करप्शन कई चीजों का होता है। अगर नेशन (राष्ट्र) में मोरल करप्शन (नैतिक भ्रष्टाचार) हो गया है, मोरेलिटी (नैतिकता) नहीं रह गई है तो वह नेशन आगे भी नहीं बढ़ सकती है रुपये की तो एक छोटी चीज़ होती है घूस लेने में, या देने में जो करप्शन होता है वह करप्शन ज़रूर है। लेकिन मोरल करप्शन सबसे गिराने वाली चीज़ होती है। जो नैतिकता से भ्रष्ट है उसके लिये यह कहना कि साहब, उसने घूस ले लिया, उसने यह किया, वह किया, यह छोटी चीज़ें हैं। तो मैं तो अपनी गवर्नमेंट से कहूंगी, कि वह इस प्रस्ताव को सच्ची भावना से देखे। हमारी भावना तो सच्चाई की तरफ है। मैं इस प्रस्ताव को भी सत्य की नज़र से देखती हूं और मैं यह अपनी सरकार से कहूंगी कि यह प्रस्ताव किसी भी नियत से आया हो, लेकिन वह इसको नेकनियती से देखें। हम में आज भी कमज़ोरियां हैं और अगर हमें वह अपनी नज़रों से दिखाई दें तो हम उसको ठीक करें। लेकिन आज सुबह तो मुझे ज़रा दुःख भी हुआ था। उस वक्त एक प्रश्न आया था हमारे सामने, जिसकी कहानी कोई छिपी हुई नहीं है। सब जानते हैं। तो मुझे ताज्जुब हुआ जब उसका ज़िक्र आया तो यहां जवाब दिया गया कि साहब हम को पता नहीं है, हमें उस बारे में अज्ञान बतलाया गया, हां, यह जरूर हो सकता था जैसा कि मिलीटरी (सेना) के बारे में या डिफेंस (रक्षा) के मामले में सवाल होते हैं तो कहा जाता है कि "इट इज़ नाट इन दी इन्टरेस्ट आफ़ दि कन्ट्री" "यह बात देश के हित में नहीं है" तो यह हो सकता था कि ऐसा जवाब

[श्रीमती उमा नेहरु]

मिल जाता कि "इट इज़ नाट इन दी इन्टरेस्ट आफ दी कन्ट्री" "यह बात देश के हित में नहीं है।" यह समझ में आ सकता था। लेकिन उन्होंने कहा कि वह जवाब नहीं दे सकते जब यह चीज़ें होती हैं तो हमको ऐसी चीज़ों का इलाज भी करना होता है।

संग संग मैं अपने भाइयों से कहूंगी और बहनों से भी जो दूसरी तरफ हैं, और जो इस वक्त की गवर्नमेंट की गलतियां बताते हैं उनसे भी कहूंगी कि अगर करप्शन है, फर्ज़ कीजिये किसी भी पार्टी में करप्शन आता है तो उनका धर्म है कि वह नेशन को खराब न करें। उनका फ़र्ज़ है कि वह आयें और नेक दिल से सब चीज़ें सामने रखें और यह कोशिश करें कि वह करप्शन हट जाये। लेकिन इसके लिये बड़ी मारल करेज (नैतिक साहस) की ज़रूरत होती है। खुद इंसान जब करप्ट हो जाता है तो वह दूसरों का करप्शन दूर नहीं कर सकता। मेरा मतलब रुपये पैसे के करप्शन से नहीं है दूसरे तरह के करप्शन भी नहीं हटाये जा सकते तो गवर्नमेंट को दो-तीन चीज़ों पर ग़ौर करना है ज्यादा नहीं! एक बात तो यह कि परमिट (आज्ञापत्र) जो मिलते हैं लोगों को, उसका ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। जो लाइसेंस दिये जाते हैं उनका ग़लत इस्तेमाल किया जा रहा है। खुद मेरी राय यह है कि जो ब्लैक मार्केट करता हुआ पकड़ा जाय, चाहे वह रईस हो या ग़रीब हो, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिये। और मैं तो यह कहूंगी कि यह राष्ट्र तभी ठीक हो सकता है जब अब छोटे आदमियों को नहीं जो बड़े आदमी आपको मिलें इन कामों में उनको भी आप जड़ से उड़ा दें। तभी आपका कल्याण हो सकता है। इसलिये यह होना बहुत ज़रूरी है।

बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है क्योंकि आपने मुझे आख़िर में मौक़ा दिया कि मैं बोलूं। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूं कि हमारी सरकार इस करप्शन को दूर करे क्योंकि हम देश के सामने यह वादा लेकर आये हैं कि हम करप्शन, चोरी, बेईमानी, बेइन्साफी सबको दूर करने के लिये जा रहे हैं। क्योंकि हमने प्रतिज्ञा की है और वह हमें भूली नहीं है।

मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो हमारे भाई आज हमारे ख़िलाफ़ हैं वह पोलिटिकली (राजनीतिक दृष्टि से) ज़रूर ख़िलाफ हैं, लेकिन इन्सानियत में वह हमारे साथ हैं। इसलिये मैं तो उनसे कहती हूं कि अगर हम से कोई ग़लती होती है तो वह हमारा रास्ता रोक कर खड़े हो जायें और हम से वह गलती न होने दें। बस इतना कह कर मैं समझती हूं कि जिस भविष्य को मैं देखती उसी भविष्य को हमारी सरकार भी देखे। और जितना करप्शन कम होगा और मिटेगा उतना हमारा देश पनपेगा।

पंडित अलगू राय शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, सरदार हुक्म सिंह जी का जो प्रस्ताव है, उसके शब्दों का समर्थन तो मैं नहीं कर सकता, किन्तु उसके पीछे जो भावना है, उस भावना का आदर प्रायः सभी ने इस भवन में किया है। उसके पीछे भावना केवल यह है कि हम अपने सामाजिक जीवन को पवित्र करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के पीछे यह भावना है कि हमारा सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन पवित्र हो।

सरदार हुक्म सिंह: यही बात है।

पंडित अलगू राय शास्त्री: इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं है और इस भावना के सम्बन्ध में इस सम्मानित भवन का कोई सदस्य ऐसा नहीं होगा जो एक राय न रखता हो।

सच बात यह है कि हम अपने चुनावों में चुनाव का खर्चा दिखाते हैं और उसमें कोई छोटा आदमी हो या बड़ा, हर एक को शपथपूर्वक यह कहना पड़ता है कि इतना खर्चा हुआ है। अब ईमानदारी की बात देखी जाय तो इतने बड़े बड़े आदमी सभी ऐसी बात क्यों करते हैं। वह जो कहते हैं वह बात मान लेनी चाहिये कि ठीक ही होगी, उसके लिये शपथ खाने की क्या आवश्यकता है। मैं तो यह समझता हूं कि यह जो खर्चा दिखाने की एक प्रणाली है, प्रथा है, वह प्रथा तक ही है। जो क़ायदे क़ानून और नियम हैं, हम में से इतने आदमी यहां बैठे हैं वह देखें तो पावेंगे कि सारे क़ायदे क़ानून की पाबन्दी उसमें कठिन होती है। किन्तु वह डिक्लेरेशन फ़ार्म (घोषणा पत्र) हम को भरना पड़ता है और भर कर देना होता है, और सब लोग यह काम करते हैं। तो इसमें कोई आपत्ति की बात मुझे दिखाई नहीं पड़ती। हमारे पूंजीवादी समाज में, जहां पर कि पूरा समाजवादी जीवन हमारे राष्ट्र का नहीं है, और न ऐसे पूरे समाजवादी जीवन का मैं कोई बड़ा भारी समर्थक हूं, यह ज़रूरी है कि जो लोग सरकारी कोष से धन पाने वाले हों, उनका जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो और यदि जिस समय उनकी नियुक्ति किसी पद पर होती है तो उसके तीन महीने के भीतर अपने असेट्स (सम्पत्ति) और लायबेलिटीज़ (दायित्व) का एक पूरा अकाउंट अपनी तरफ से उपस्थित कर दें तो इससे बड़ी भारी मदद मिले। इस में सन्देह नहीं कि हमारे जो कर्मचारी हैं, उनके लिये कम से कम स्वराज्य आने के बाद तो यह कहा जा सकता है कि उनके ऊपर शासन चलाने का जो भार आया उसको उन्होंने एक शानदार ढंग से निभाया। किन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि जितनी ज़िम्मेवारी हमारे ऊपर आई, जितने विभाग हमारे खुले, या जितना यह जाल सरकारी कर्मचारियों का व्यापक हुआ, उसके कारण काफ़ी शिकायतें भी सुनने में आईं, और उसका रोज़ अनुभव होता है।

यह देखा गया है कि साधारण से साधारण स्थिति का आदमी अन्त में बड़ी जायदादें छोड़ता है। आखिर तो ऐस्टेट ड्यूटी बिल (सम्पदा शुल्क विधेयक) हाउस (सदन) के सामने आने वाला है और उस में इन लोगों की जायदाद का तखमीना और अन्दाज़ा लगाना ही पड़ेगा। मरने के बाद लगने के बजाय पहले ही से ऐसे लोगों के बारे में लग जाय कि जो सरकारी काम को चलाने के लिये ज़िम्मेदार हैं, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है। अन्त में तो हिसाब देना ही होगा।

एक माननीय सदस्य: वह तो क़यामत के दिन हिसाब देना होगा।

पंडित अलगू राय शास्त्री: जी हां, क़यामत के दिन जो हिसाब देना है वह पहले ही हो जाय तो आसानी होगी।

कठिनाई यह है कि इस देश में जो विदेशी हुकूमत रही है उस विदेशी हुकूमत ने सिक्के के लिये मोह पैदा किया। बाहर की हुकूमत थी। उसने तनख्वाहों से और वेतनों से लोगों के बड़प्पन और छोटेपन का फ़ैसला किया, काम के हिसाब से नहीं। नासिरुद्दीन अपने हाथ से टोपी सी कर बादशाह होते हुए भी अपनी इज्जत रख सकते थे। नासिरुद्दीन दिल्ली में बादशाह रहे। लेकिन आज हमारे लिये यह बात, यह आदर्श कोई आदर्श नहीं रह गया है, यह मजाक की चीज़ हो गई है। हम समझते हैं कि वह आदमी बड़ा है जिसकी तनख्वाह अच्छी है, जिसको अच्छा भत्ता मिलता है। हमारी आंखों से यह बात ओझल हो गई है कि हम को जन सेवा का एक सुअवसर मिलता है और उसे हम ईश्वर का प्रसाद समझें। यह तो है नहीं। हम तो

[पंडित अलगूराय शास्त्री]

संग्रह के लोभी हैं। यह हमारे सामने मुख्य बात हो गई है। सब छोड़ कर अर्थ हमारा परम देवता है। हमारे सामने अभी कल तक गांधीजी थे। यहां बहुत से लोग इन बातों का उपहास कर रहे हैं, लेकिन गांधीजी थे दरिद्रनारायण के उपासक। स्वयं उन के जीवन का एक ढंग था। वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और राष्ट्र के बापू कहलाये। लेकिन हमारे सामने आज उनके जीवन का लक्ष्य नहीं रहा है। हम सेवाओं के रूप में नहीं देखते हैं, हम आसायशें मुहय्या करने के लिये रह गये हैं। इसलिये हमारे राजनीतिक जीवन का सारा दृष्टिकोण बिल्कुल उलट-पुलट सा गया है। आवश्यकता है कि हमारी जो सरकारी सेवायें हैं उनमें आने वाले लोग समझें कि हम कुछ "मेक दी हे व्हाइल दी सन शाइन्स" (समय पर ही काम करो) के स्थान पर नहीं जा रहे हैं, कि जब तक हम नौकरी में हैं कुछ कमा लें, संचित कर लें, बुढ़ापे के लिये या आने वाली नस्लों के लिये। यह दृष्टिकोण लेकर वह न आयें। उनके सामने दृष्टिकोण यह हो कि हम को एक सेवा का सुअवसर मिला है। वह यह समझें कि हम लोक सेवा में दाखिल होने जा रहे हैं।

हमारे इस देश में मैं और सोसाइटियों को नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि माननीय गोखले की सोसायटी, सरवैंट्स आफ इंडिया सोसायटी, में बड़े बड़े योग्य पुरुष दाखिल हुए, उन्होंने उस के अन्दर अपना जीवन दान किया। वह जीवन भर सेवा करते थे और मुट्ठी भर जो उनको जीवन निर्वाह के लिये मिलता था उसी पर वह सन्तोष करते थे। इसी तरह मैं जानता हूं कि स्वर्गीय लाला लाजपतराय की सोसायटी, सरवैंट्स आफ दी पीपुल सोसायटी, में अच्छे अच्छे और योग्य व्यक्ति आये। म अनुभव से कह सकता हूं कि उनके सामने जो लक्ष्य था यदि वही आदर्श लोगों के सामने रख द और उसमें मिथ्या अहंकार की कल्पना न हो, तो बहुत कुछ काम चल सकता है। इस दृष्टि से सरकार को कोई न कोई तरीका इसके लिये निकालना चाहिये।

इसके अन्दर मैं अधिक न जाकर यह कहूंगा कि सभी को, चाहे कोई मिनिस्टर हो, या विधान सभा का सदस्य हो, या किसी सरकारी पद पर, सरकारी नौकरी पर काम करने वाला हो, जिन पदों पर रहने से हमको सरकारी खज़ाने से किसी तरह का धन मिलता हो, तो उस पद पर आने पर जिस दिन नियुक्ति हो उसके तीन महीने के अन्दर हमें एक ऐसा रिटर्न (विवरण) दाखिल करना चाहिये कि जिसमें असेट्स (सम्पदा) और लायबैलिटीज (दायित्व) का पूरा विवरण हो। बस, इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

राज्य-परिषद् से प्राप्त संदेश

सभापति महोदय : सभा-सचिव अब राज्य-परिषद् के सन्देश सुनायें।

सभा-सचिव: श्रीमान्, मुझे राज्य-परिषद् के सचिव से प्राप्त चार सन्देश प्रतिवेदित करने हैं :—

(१) "राज्य-परिषद् के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचना देने के लिये निर्देश किया गया है कि राज्य-परिषद् ने २६ नवम्बर, १९५२ को आयोजित बैठक में ५ नवम्बर, १९५२ को लोक सभा द्वारा आयोजित बैठक में पारित भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक, १९५२ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया है।"

(२) "राज्य-परिषद् में प्रक्रिया नियम तथा कार्य संचालन के नियम १२५ के उप-

बन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचना देने के लिये निर्देश किया गया है कि राज्य-परिषद् ने २६ नवम्बर, १९५२ को आयोजित बैठक में ५ नवम्बर, १९५२ को लोक सभा द्वारा आयोजित बैठक में पारित भारतीय तैलबीज समिति (संशोधन) विधेयक, १९५२ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया है।"

(३) "राज्य-परिषद् में प्रक्रिया नियम तथा कार्य संचालन के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचना देने के लिये निर्देश किया गया है कि राज्य-परिषद् ने २७ नवम्बर, १९५२ को आयोजित बैठक में ५ नवम्बर, १९५२ को लोक सभा द्वारा आयोजित बैठक में पारित व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५२ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया है।"

(४) "राज्य-परिषद् में प्रक्रिया नियम तथा कार्यसंचालन के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचना देने के लिये निर्देश किया गया है कि राज्य-परिषद् ने २७ नवम्बर, १९५२ को आयोजित बैठक में १२ नवम्बर, १९५२ को लोक सभा द्वारा आयोजित बैठक में पारित निम्नांकित विधेयकों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया है:

(१) भारतीय एकस्व तथा रूपांकण (संशोधन) विधेयक, १९५२;

(२) मैसूर उच्च न्यायालय (कुर्ग पर क्षेत्राधिकार का फैलाया जाना) विधेयक, १९५२।"

इसके पश्चात् सदन की बैठक मंगलवार, २ दिसम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई।